राजस्थान विधान सभा

५० वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—५ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर ८ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चाँदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १२७६

राजस्थान में औद्योगिक कारखाने जहाँ लकड़ी का कोयले की भाँति प्रयोग

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में ऐसे कितने औद्योगिक कारखाने हैं जिनमें लकड़ी कोयले के स्थान पर जलाने के काम में लाई जाती है ? उक्त कारखाने कहां कहां हैं ?

(२) ५३-५४ के वर्ष में ऐसे कारखानों में कितने टन लकड़ी जली ?

(३) क्या यह सही है कि इन कारखानों में जलाने के लिये सैकड़ों ही वृक्ष प्रति वर्ष काटे जाते हैं ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—कोयला नियन्त्रित वस्तु है । बुकिंग की कठिनाइयों से व पूरा कोटा न मिलने से कई बार कोयला समय पर नहीं आता है । अतः कोयलों के स्थान पर बॉयलरों में लकड़ी जलाने के काम में लाई जाती है वरना लकड़ी बॉयलरों में जलना कोयलों के

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

मुकाबले बहुत महँगा पड़ता है; यानि खर्चा ड्योढ़ा आता है। कोटा और अलवर और उदयपुर डिविजन की ६ गवर्नमेन्ट जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रियों (भीलवाड़ा, कपासन, गुलाबपुर, चित्तौड़, सादड़ी और शाहपुरा) में लकड़ी जलाई जाती है। इसके अलावा और दूसरे डिवीजनों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

२. कोटा व अलवर में १५०० टन व उदयपुर डिविजन की गवर्नमेन्ट कॉटन फैक्ट्रीज़ में ५०३ टन लकड़ी जलाने की सूचना प्राप्त हुई है।

३. वन विभाग अपने जंगलों की लकड़ी कटाने का ठेका ठेकेदार को देता है और उन्हीं ठेकेदारों से लकड़ी खरीदी जाती है। खासतौर से इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के लिये कोई वृक्ष नहीं काटे जाते।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जयपुर डिविजन में कहीं इस तरह से लकड़ी कारखाने में जलाई जाती है।

श्री जयनारायण व्यास—जलाई जाती होगी, सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार की यह जानकारी में है कि वन विभाग की लकड़ी के अलावा भी सैकड़ों हरे वृक्ष इन कारखानों में जलाने के लिये काटे जाते है।

श्री जयनारायण व्यास—लकड़ी तो जलाने के लिये ही काटी जाती है और कोई अच्छी लकड़ी तो फर्नीचर के लिये भी काटी जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—ये हरे वृक्ष जो काटे जाते हैं क्या सरकार को उनकी भी जानकारी है, जिनको लगाने के लिये लाखों रुपया वृक्षारोपण के नाम से खर्च किये जाते हैं, वन महोत्सव मनाये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—कारखाने के लिये ही खासतौर पर कोई वृक्ष काटे जाते हों, ऐसी बात नहीं है। आमतौर पर कन्ज़म्पशन के लिये काटे जाते हैं और उनमें से कुछ कारखाने में भी जाते होंगे।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोशिश नहीं करने की वजह से कोयला नहीं आ पाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह बिलकुल गलत है। बहुत कोशिश की गई है और बावजूद कोशिश के वैगन नहीं मिलते हैं तब ही लकड़ी जलाई जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में वृक्षों की वैसे ही बहुत कमी है इस स्थिति को देखते हुए सरकार क्या दूसरे कोयले के पत्थरों का उपयोग करने को कहेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—बहुत खुशी होगी अगर सरकार इसकी व्यवस्था कर सके, पर जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा था कि कोयला एक नियन्त्रित वस्तु है और कभी कभी गाड़ियां मिलने में भी दिक्कत हो जाती है। कई बार, अभी कुम्भ की वजह से भी गाडियां रुक गई थीं। तो ऐसी स्थिती में कोयला न आ सके, सरकार के द्वारा पूरे प्रयास करने पर भी, तो अगर कोई लकडी का उपयोग कर ले तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जो कारखाने चलाये जाते हैं उनमें भी ऐसी लकड़ी जलाने के काम आती है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा था, यह सही है। अगर कोयला नहीं मिलता है तो लकड़ी जलाई जाती है।

प्रश्न संख्या १२७७

राजस्थान के प्रचलित समस्त क़ानून तथा उनके आधीन के नियमों का ग्रन्थ

श्री सनसिंह—क्या मन्त्री, विधि विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(१) राजस्थान के प्रचलित सभी कानून और उनके अन्तर्गत नियमों का कोई सम्मिलित ग्रन्थ निकालने का विचार है ?

(२) यदि हां, तो ऐसा कोड कब तक प्रकाशित हो जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) राजस्थान में प्रचलित कानून तीन प्रकार के हैं :

(क) राजस्थान के निर्माण के उपरान्त राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये कानून,

(ख) केन्द्रीय कानून जो राजस्थान में प्रचलित किये गये और

(ग) राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के वे क़ानून जो उन इकाइयों में अभी तक प्रचलित हैं।

उपर्युक्त तीन प्रकार के कानूनों में से (क) का एक ग्रन्थ (कोड) मुद्रित किया जाने को है और वह इस समय मुद्रणालय में है। इसके प्रकाशित होने में सम्भवतः दो या तीन मास का समय लगेगा।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) में इंगित कानूनों का संग्रह प्रकाशित करने का कोई विचार नहीं है। ऐसे कानूनों की पूर्ण सूची तैयार की जा रही है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित की जावेगी।

(ग) में इंगित कानून धीमे धीमे अशक्त होते जा रहे हैं और खण्डित किये जा रहे हैं। ऐसे कानूनों का संग्रह प्रकाशित करने का कोई विचार अभी नहीं है।

ऊपर लिखित कानूनों के ग्रन्थ में इन कानूनों के नीचे बने नियम सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं इन नियमो की सूची अवश्य तैयार की जा रही है जो यथाशीघ्र प्रकाशित की जावेगी।

(२) इसका उत्तर उपर दिया जा चुका है।

विराम

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या १२७८

राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से पंचवर्षीय योजना में भवन तथा सड़कों के लिये रकम

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बिल्डिंग व सड़कों के लिए कितनी रकम मन्जूर हुई है?

(ख) इस रकम में से सिरोही जिले के लिये कितना हिस्सा मन्जूर हुआ है?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) पांचवर्षीय सड़क योजना अभी पांच करोड की है और आशा है कि यह ६५ लाख से बढ़ाई जायगी, जिसके १० कार्य और मन्जूर हुए हैं। इस पांच करोड की योजना में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा, ग्रान्ट व उधार की रकम मिलाकर ४ करोड का है।

(ख) इस रकम में से सिरोही के कार्य करीब ६,३१,७४७ के हैं। बिल्डिंग योजना में पिछले साल २० लाख रुपये के कार्य मन्जूर हुए थे और इस रकम में से सिरोही जिले के कार्य १७६५६) रु० के मन्जूर हुए हैं। इस साल १५० लाख की मकानों की योजना मन्जूर हुई है जिनका ब्यौरा सरकार के विचाराधीन है।

Page No.5

श्री जवानसिंह—क्या इन कार्यों की सूची सदन की मेज पर सरकार रक्खेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कौन से कार्य ?

श्री जवानसिंह—प्रश्न (ख) के उत्तर में जितना आपने खर्च करने का रुपया बताया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—उन कार्यों की सूची क्या जो सिरोही के हैं ?

श्री जवानसिंह—जी।

श्री टीकाराम पालीवाल—जो सिरोही में किये जा रहे हैं, वे ? वह मिल जावेगी आपको।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री सन्तोषसिंह।

प्रश्न संख्या १२७६

भूतपूर्व जयपुर राज्य में ज्योतिषियों इत्यादि को उनकी सेवाओं के निमित्त आर्थिक सहायता

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या मन्त्री, धर्मार्थ विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय कुछ ज्योतिषियों, कवीश्वरों आदि के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भूतपूर्व सेवाओं के निमित्त सोने की मोहरें या उनका सममोल द्रव्य अर्ध वार्षिक या वार्षिक रूप में मिला करता था ? यह रकम कब से मिल रही थी ?

(ख) यह रकम जयपुर राज्य की ओर से मिलती थी या जयपुर नरेश की प्रिवी-पर्स से ?

(ग) क्या राजस्थान राज्य बनने के बाद यह रकम उन्हें मिलनी बन्द हो गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) यह रकम बन्द होते समय उन व्यक्तियों में से कितनी महिलायें थीं और उनके नाम व आयु क्या थीं ?

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि उनमें महिलाओं को, विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं को, यह रकम न मिलने के कारण उनके जीवन-यापन के एक मात्र साधन की समाप्ति हो गई और उन्हें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

Page No.6

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(च) यदि यह रकम प्रिवी-पर्स से मिलती थी तो भी ऐसी वृद्ध महिलाओं को, जिनका भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं है, सरकार की ओर से यह रकम पुनः दिलाये जाने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (धर्मार्थ मन्त्री)—(क) हां, यह रकम दीर्घ काल से मिलती आ रही थी।

(ख) सन् १६४६ तक जयपुर राज्य से तथा इसके पश्चात् जयपुर नरेश की प्रिव-पर्स से। .

(ग) यह प्रश्न सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता। शायद यह मिलना बन्द हो गया है।

(घ) मुसम्मात जड़ाव, नन्दा, किशनी; ये तीन महिलाएं जिनकी की आयु ५०—५५ के करीब हैं, उपरोक्त रकम पाती थीं।

(ङ) सरकार के समक्ष यह प्रश्न नहीं आया।

(च) यदि ये महिलाएं निराश्रित या अनाथ हैं तो सरकार प्रार्थनापत्र आने पर इन्हें यथोचित सहायता (मन्थली मेन्टीनेन्स अलाउन्स) धर्मार्थ फण्ड से देने के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकेगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जब यह आप कहते हैं कि बन्द कर दी गई तो उसको फिर से शुरू करने के लिए सरकार कब से सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं यह अपने जवाब में यह कह चुका हूँ। जयपुर नरेश की प्रिवीपर्स में मिल रही थी रकम वह बन्द हो गई होगी अब।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो क्या सरकार को मालूम है कि राजप्रमुख के पास एक आवेदन-पत्र दिया गया है और उसे सरकार के पास रिकमन्ड करके भेजा गया है कि वापिस इनकी मदद चालू की जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवेदनपत्र सरकार के पास भेजने का प्रश्न नहीं पैदा होता। अलबत्ता जो अपाहिज हो, अपंग हों, निराश्रित और बेसहारे हों तो अगर वे कोशिश करें तो जिस तरह से दूसरों को सहायता मिलती है उनको भी मिल सकती है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह मान लिया जावे कि केवल अपाहिजों को ही यह मदद मिलती है या पाहिज जो हैं उनको भी मिलती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो पात्र होता है उन्हें मिली और जब इसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रिकमन्ड करता है तब मिलती है

श्री भैरोंसिंह—सरकार की जानकारी में यह बात कब से है कि उनकी पेन्शन बन्द कर दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के सामने तो यह प्रश्न किया गया तब आया। बाकी कोई बात सरकार के सामने नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह—क्या प्रश्न आने के बाद राजप्रमुख से रिक्वेस्ट की गई कि उनको पेन्शन चालू रक्खी जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ऐसा क्यों करे ? यह तो राजप्रमुख का मामला है। वे उचित समझेंगे तो स्वयं सरकार के पास भेजेंगे। सरकार के पास तो अपनी निधि है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार स्वयं यह उचित नहीं समझती कि इसके लिए राजप्रमुख से रिक्वेस्ट की जावे ?

श्री अध्यक्ष—उचित अनुचित का सवाल नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—महाराज साहब की प्रीविपर्स से मिलता है फिर बार-बार यह राजप्रमुख का नाम क्यों आता है ?

श्री अध्यक्ष—They have confused it.

श्री सन्तोषसिंह—और जब कि सरकार को यह मालुम है कि उनकी मदद बन्द हो गई है तो फिर सरकार अब वह मदद कब से चालू कर देगी फिर से।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में कह चुका हूँ कि किसी राजा ने क्यों बन्द कर दिया, यह सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता। जिसका बन्द होता है वह स्वयं कोशिश करता है और सरकार के पास अगर आता है तो सरकार उसकी स्थिति देखकर मदद करती है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे कितने मामले हैं जिनकी मदद बन्द कर दी गई है और कितने है जिनको मदद दी जा रही है या सरकार पर इस सम्बन्ध में कितनी लाएबिलिटि है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—धर्मार्थ डिपार्टमेंट आपको मिला था तो उस समय ऐसी कोई लिस्ट नही मिली क्या ?

कुं०श्री जसवन्तसिंह—महाराज की प्रिवीपर्स से रुपया काटकर उन लोगों को रुपया दिलवाने का क्या सरकार कष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष—No.

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं ।

प्रश्न संख्या १२८०

सन् ५३-५४ में परबतसर में मलबा लाग से वसूली

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(१) ५३-५४ के वर्ष में परबतसर तहसील में मलबा की लाग से कितनी रकम वसूल की गई ?

(२) उक्त रकम में से नम्बरदारों को कितनी रकम तकसीम की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(१) सन् ५३-५४ में मलबा के २३५८ रु० १३ आ० ६ पाई वसूल हुए।

(२) उक्त रकम में से १०७७ रु० १२ आना नम्बरदारों को तकसीम होते हैं। इसमें से कुछ रकम अभी नम्बरदारों को चुकाना बाकी है; अधिकांश चुका दी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि मलबे की रकम नम्बरदारों को देने के लिए ही वसूल की जाती थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसीलिये इसमें से रकम चुकाने की बात आई।

श्री चाँदमल मेहता—तो फिर पूरी रकम नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तक पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि कितनी रकम पहुँची और कितनी नहीं इस कारण से।

श्री चाँदमल मेहता—नहीं, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि इतना रुपया देना है तो जितना रुपया देना है उसके देने के बाद जो बाकी रुपया बचा रहेगा उसका क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पुराने जोधपुर युनिट में जो तरीका था उसी के अनुसार

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दिया जाता है और उसी के अनुसार बांटा जाता है और वही सूचना आपने मांगी और मैंने पेश की।

श्री चाँदमल मेहता—यह क्या तरीका है ? कितना प्रतिशत सरकार खजाने में जमा रखती है और कितना प्रतिशत बाँटती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछली बार में कह चुका था। मैं समझता हूँ कि १००) के पीछे करीब ३ रु० २ आना के हिसाब से या ऐसा ही कुछ है वह दिया जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—वसूल किया जाता है, यह तो ठीक है। पर कितना खजाने में जमा रहेगा, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह खुद में गलत प्रश्न है। पहले भी सदन में इसी तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितना दिया जाता है और वसूल कितना किया जाता है और इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—इसके रूल्स क्या हैं वसूल करने के ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बारे में अगर जानकारी चाही जावेगी तो बाद में मैं पेश कर सकता हूँ। इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मलवा लाग को चालू रखना क्या सरकार आवश्यक समझती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जितनी लागें हैं उन सब की जाँच करने के लिये एक कमेटी कायम की हुई है और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के सामने एक हफ्ता में पेश होने वाली है।

श्री तेजमल बापना—यह मलवा क्या चीज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक तरह से कलेक्शन है।

श्री हिम्मतसिंह—किस बात का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रेन्ट का।

श्री हिम्मतसिंह—रेन्ट पर भी टैक्स।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.10

प्रश्न संख्या ११८१

किशनगढ़ के वर्तमान सहायक कलेक्टर को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के वर्तमान असिस्टेन्ट कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अधिकार किस तारीख को जारी किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—सुन नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इसी सदन में मेरे एक प्रश्न का यह जवाब दिया जा चुका है कि उनको एडिशनल कलेक्टर के अधिकार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—उनको एडिशनल डि० मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं और एडिशनल कलेक्टर के बारे में चर्चा चल रही है। पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों में जहाँ कलेक्टरी नहीं हैं वहाँ के लिए तय किया जा चुका है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर के अधिकार दिये जाँय ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा कोई आमतौर पर निर्णय नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि किशनगढ़ को छोड़कर दूसरी पुरानी राजधानियों में जहाँ कि कलेक्टर नहीं है वहाँ असिस्टेन्ट कलेक्टरों को कलेक्टर्स के पावर्स हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—सभी जगह ऐसी बात नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह बतायेंगे कि कौनसी ऐसी राजधानियाँ हैं जहाँ कि ऐसी बात नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है जो पूछेंगे तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—इसी सदन में यह जवाब दिया गया था किशनगढ़ के असिस्टेन्ट कलेक्टर को कलेक्टर के पावर्स हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह ठीक नहीं है। देने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है। किशनगढ़ के असिस्टेन्ट कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर के पॉवर के बारे में कमिश्नर और राजस्व सचिव के बीच में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि वर्तमान असिस्टेन्ट कलेक्टर के पहले जो असिस्टेन्ट कलेक्टर थे उनको एडीशनल कलेक्टर के पॉवर्स थे।

श्री जयनारायण व्यास—पहले जो अधिकार मिलते थे वह व्यक्ति को मिलते थे, जो सीनियर होता था उसको मिलते थे; स्थान के हिसाब से नहीं मिलते थे। अब यह मामला विचाराधीन है।

श्री चाँदमल मेहता—इसके पहले जो जो असिस्टेन्ट कलेक्टर रहे हैं राजस्थान के निर्माण के बाद में, तो क्या उनको एडिशनल कलेक्टर के पॉवर्स थे ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं जवाब दे चुका हूँ। अगर ऐसे असिस्टेन्ट कलेक्टर्स रहे हैं कि जिनको एडिशनल कलेक्टर के पॉवर्स दिये गये हैं तो वह नाम से दिये जाते थे जहाँ भी ऐसे एडिशनल कलेक्टर के पावर्स दिये जाते थे।

श्री चाँदमल मेहता—जो मसला सरकार के विचाराधीन है उसके कब तक फैसले होने की उम्मीद है ?

श्री जयनारायण व्यास—जब कि राजस्व सचिवालय से उत्तर आ जायगा तो उत्तर दे दिया जायगा कि यह फैसला हो जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि इसी सदन में यह जवाब दिया गया था कि वहाँ असिस्टेन्ट कलेक्टर को अधिकार प्राप्त है; इसमें कहाँ तक तथ्य है ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे याद नहीं पड़ता कि उनको अधिकार प्राप्त थे लेकिन वे एडिशनल कलेक्टर के नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह बात नहीं, सवाल यह है कि......

श्री जयनारायण व्यास—मुझे इस सम्बन्ध में याद नहीं है, लेकिन एडिशनल कलेक्टर के अधिकार मिलने के बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है; यह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२८२

श्री एच. के. व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या १२८३

पेन्शन व ग्रेच्युटी के मामले निर्णयार्थ शेष

श्री हनवन्तसिंह—क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कितने पेन्शन व ग्रेचुएटी के केसेज़ अभी तक निर्णयार्थ बाकी हैं ?

(ख) क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि उनके केसेज मुकर्रर समय में तय कर दे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) ता० ३०-६-५४ तक २६०० मामले विभिन्न स्तरों में बाकी थे।

(ख) प्रत्येक मामले को शीघ्रातिशीघ्र निबटाने का यथा-सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार ऐसे तरीके अपनाने का प्रयास कर रही है कि छः महीने के अन्दर पेन्शन के सारे मामले तय हो जावें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस तरह का आश्वासन सरकार कितने सालों से दे रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—छः महीनों के अन्दर अन्दर यह फैसले कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ऐसे आश्वासन कितने सालों से सरकार दे रही है कि छः महिनों के अन्दर-अन्दर सारे पेन्शन के केसेज़ को सेटिल कर दिया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या फरमाया, सुना नहीं ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह—कितने सालों में छः महीने खत्म हो जायेंगे ?

श्री हनवन्तसिंह—यह २६०० केसेज़ बताये हैं, इनमें कितने ग्रेचुटी वाले हैं और कितने पेन्शन वाले ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ग्रेचुटी और पेन्शन दोनों मिला कर ।

श्री भैरोंसिंह—सरकार प्रयास कर रही है या सरकार ने निर्णय ले लिया है कि ऐसे केसेज़ छः महीने में तय कर लिए जाँय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार ने निर्णय कर लिया है कि वह ऐसे तरीके बना रही है कि छः महिने में वे पेन्शन के कागज सेटिल हो जाँय ।

श्री भैरोंसिंह—यह ६ महीने कब से शुरू हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री हनवन्तसिंह—रूल्स बनाये गये या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह—डेट ऑफ रिटायरमेंट के छः महीने बाद नये केसेज़ तय होंगे यानि जिनकी अब पेन्शन होगी, लेकिन जो पहले से पेन्डिंग हैं उनके लिए अब क्या योजना बन रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनको बहुत जल्दी ही तय करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह—'बहुत जल्दी' का तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह ।

प्रश्न संख्या १२८४

तहसील सिरोही में कृष्णावती नदी पर बाँध बांधने की योजना

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार तहसील सिरोही में कृष्णावति नदी पर बाँध बनाने का विचार रखती है ?

(ख) अगर हाँ, तो इस ओर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रारम्भिक जाँच से पता चला है कि यह बाँध पत्थर का पक्का बनना चाहिये। उसकी आवश्यक दीवार उठाने के लिए सर्वे और इन्वेस्टीगेशन का कार्य हो रहा है।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री जवानसिंह—सर्वे के विषय में आपने जो फरमाया है क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे का काम कब शुरू हुआ है या केवल उसके आर्डर निकले हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी प्रिलिमिनेरी सर्वे हुई है और अब पूरी सर्वे की जायगी।

श्री जवानसिंह—यह प्रिलिमेनरी सर्वे का काम कब हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हो चुका है।

श्री जवानसिंह—मैं यह जानना चाहूँगा प्रिलिमिनेरी सर्वे का काम कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—डेट चाहते हैं।

श्री जवानसिंह—डेट नहीं महीना ही बतलाया दिया जाय।

Page No.15

श्री टीकाराम पालीवाल—महीना मेरे पास नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या निश्चयात्मक रूप से सरकार का कहना मान लिया जाय क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह कहना सही नहीं है कि प्रिलिमिनेरी सर्वे नहीं हुई है। प्रिलिमिनेरी सर्वे के बाद ही यह बात मानी गई है कि पक्का बांध बनाना चाहिये, लेकिन बहुत अधिक खर्चा होगा। अगर सर्वे नहीं होती तो यह दोनों बातें कैसे होतीं ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उस बाँध में कितना पानी इकट्ठा हो सकेगा और कितना खर्चा होगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८५

जिला जैसलमेर के व्यापारियों की रकम

सप्लाई विभाग से लेना

श्री हनवन्तसिंह—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला जैसलमेर के व्यापारियों की रकम सप्लाई विभाग से लेना अब भी बाकी है ?

(ख) अगर बाकी है, तो कितनी और किन-किन की ?

(ग) क्या यह सही है, कि यह रकम सरकार में एक अर्से से जमा है ?

(घ) व्यापारियों के बार-बार मांगने पर भी सरकार ने रुपये अभी तक नहीं दिये हैं ?

(ङ) क्या इसकी जाँच ऑफिसर ओन स्पेशल ड्यूटी, सप्लाई अकाउन्ट एरियर्स ने की है और जाँच हुए कितना अर्सा हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)—(क) कुछ व्यापारियों की रकम देना बाकी है।

(ख) २७,३१६||=)|| देना बाकी है। जिन व्यापारियों को रकम देना बाकी है, सूची मैं अभी बताऊंगा।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) व्यापारियों ने कोई रकम राजस्थान सरकार में जमा नहीं करवाई । हाँ, व्यापारियों ने भारत सरकार के पास अनाज खरीदने के सिलसिले में रकम जमा कराई है । सब हिसाब भारत सरकार से तय किये जा रहे हैं । भुगतान में विलम्ब होने के कारण भी यही हैं ।

(घ) यह ठीक है, परन्तु न देने का कारण यह है कि संबन्धित व्यापारियों ने भारत सरकार से नियुक्त दर से अधिक दर से अनाज बेचा था । अतएव भारत सरकार ने अधिक दर से बेचने से जो रुपया आया उसको लाभ के रूप में मांगा है । यह देखा जा रहा है कि किन-किन व्यापारियों ने इस प्रकार से अधिक रुपया प्राप्त किया है जिससे कि उनसे प्राप्त करके भारत सरकार को दिया जा सके । इस जाँच-पड़ताल के कारण देने-लेने का फैसला नहीं हो सका है ।

(ङ) श्री विलमचन्द भण्डारी ने इन व्यापारियों का केवल गेहूँ का हिसाब देखा था और अन्य अनाजों का हिसाब नहीं देखा था । अतः उन्होंने पूरा हिसाब तय नहीं किया था । अब पूर्ण हिसाब जाँच करके ऑडिट पार्टी के पास जाँच पड़ताल करने के लिए भेजा गया है । उनके आने पर तुरन्त फैसला होगा ।

(च) जाँच पड़ताल पूर्ण हुए लगभग १० महीने हुए हैं और हिसाब एकाउन्टेन्ट जनरल महोदय की ऑडिट पार्टी के पास ऑडिट के हेतु भेजे गए हैं । ऑडिट होते ही व्यापारियों की देन और लेन का निबटारा कर दिया जावेगा ।

जिन व्यापारियों को रकम देना बाकी है वह निम्नलिखित हैं—

		रु० आ० पा०
१.	अजीतसिंह मूलसिंह	१६१- ४-३
२.	जसराज गंभीरमल	१६७- ५-३
३.	हरिदास चुन्नीलाल	४०६- ३-६
४.	राधाकृष्ण अम्बालाल	१६०-१३-०
५.	हरिशंकर राधाकृष्ण	२२४- ०-०
६.	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	१६६६- ५-०
७.	हरिशंकर राधाकृष्ण	१४३-१५-६
८.	भगवानदास टीकमपुर	६१३-१३-६

[श्री भोगीलाल पंड्या]

		रु० आ० पा०
९.	जयगोपाल सुखदेव	९४२- ६-३
१०.	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	६११३- ०-०
११.	चुन्नीलाल शिवनारायण	७१४-१४-६
१२.	किशनलाल गंभीरलाल	२९५- ७-९
१३	भगवानदास भीकमपुर	८४६- १-३
१४.	जयगोपाल सुखदेव	३४३-१४-१
१५.	कालूराम अरोरा	१४६४-१४-६
१६.	रूपचन्द नेमीचन्द	२०१५-१४-९
१७.	जैसराज गंभीरमल	७०९-१२-०
१८.	मिश्रीलाल लक्ष्मीचन्द	३१०३- ८-६
१९.	व्यापार एसोसियेशन	६५९०- ८-९
२०.	विलेज एसोसियेशन	५६३- ६-०
		२७३१९-१०-९

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८६

राजस्थान की तहसीलों में नकदी लगान

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में कितनी तहसीलों में नकदी लगान मुकर्रर हो चुका है?

(२) उक्त तहसीलों में नकदी लगान के साथ-साथ क्या क्या लाग वसूल की जा रही है और उक्त लाग किस तरह और किस कारण से वसूल की जा रही है?

(३) ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जहाँ नकदी लगान के साथ कोई लागें वसूल नहीं की जा रही हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(१) राजस्थान की १७ तहसीलों में नकदी लगान कायम हो चुका है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(२) जयपुर की तहसीलों में नकदी लगान के साथ पटवार, सेस और मलबा वसूल किया जाता है।

जोधपुर डिविजन में मलबा, खरड़ा मापा, और घासमारी वसूल की जाती है।

बीकानेर डिविजन में पटवार और लोकल रेट वसूल की जाती है।

उदयपुर और कोटा की तहसीलों में नकद लगान के साथ कोई लाग नहीं ली जाती।

(३) उदयपुर और कोटा डिविजन की तहसीला में केश लगान के साथ कोई लाग नहीं ली जाती।

अराई व सरवाड़ में भी नकदी लगान के साथ कोई लाग नहीं लगाई गई है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—जब राजस्थान के दूसरे हिस्सों में पटवार नहीं ली जाती है तो गंगानगर जिले में यह क्यों ली जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहाँ पर यह लाग पहले से चली आ रही थी इसलिये अब भी ली जा रही है। युनिफोर्म करने के लिये प्रयत्न जारी है।

श्री मोतीराम—जब समूचे राजस्थान में एकसा कानून हो रहा है तो क्या सरकार गंगानगर में भी ऐसा नहीं करेगी ? क्या वहाँ यह लाग नहीं छूटेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां छूटेगी या दूसरी जगह भी यह लाग लगेगी, यह तो युनिफार्म रेट्स होने पर ही पता चलेगा।

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न के भाग (२) का जवाब नहीं मिला कि ये लागें किस कारण से ली जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि पहले से ये ली जाती हैं और अलग अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह की लाग ली जाती है। कहीं पटवार लाग ली जाती है तो कहीं लोकल लाग ली जाती है, युनिफोर्मिटी होने के बाद बन्द होगी।

श्री चांदमल मेहता—पहले से वसूल होने से क्या मतलब है ? क्या राजस्थान के निर्माण से पहले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले का मतलब यह कि राजस्थान के निर्माण के पहले और उसके बाद भी।

Page No.19

श्री रामदयाल उपाध्याय—राजस्थान निर्माण के बाद इसको चालू करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यूनिफॉर्म लागे अभी तक कहीं नहीं हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—अब कितने दिन तक यह चालू रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप देख ही रहे हैं कि यूनिफॉर्म करने के लिये आपके सामने बिल मौजूद हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जयपुर रियासत में लगान के साथ एक आना रुपया व बट्टा और लिया जाता है। यह लाग है या क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं नोटिस चाहूँगा, यह जानने के लिये कि पट्टे की कोई अलग फीस भी ली जाती है क्या।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह पट्टा नहीं है पर बट्टा है।

श्री श्रीदास गोयल—झाड़शाही एक रुपये के पीछे एक आना ज्यादा लिया जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले जो झाड़शाही रुपया चलता था उसकी वेल्यू ज्यादा थी, उस में कमी नहीं की गई है। रेन्ट उसी में फिक्स था और वही रेन्ट राजस्थान बनने के बाद भी लिया जाता है। पहले उसको इन में लिया जाता था या प्रचलित कोइन में से एक आना रुपया पीछे अधिक लिया जाता था, वही अब राजस्थान बनने के बाद लिया जाता है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या बट्टा अब भी लगता ही रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले रुपये की कीमत आज के रुपये से एक आना अधिक थी और रेन्ट उस रुपये में वसूल किया जाता था, अब आज के प्रचलित रुपयों में वसूल किया जाता है। इसलिए यह बट्टा है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या सरकार इसे गैर कानूनी नहीं समझती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आजकल जो रेट फिक्स की जाती है उसमें बट्टा नहीं लिए जाता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट के बावजूद भी बट्टा लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या निजामत सवाई माधोपुर में इस बात की जांच कराई जायगी ?

Page No.20

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि इस प्रकार की बात है तो सामने लाने पर जाँच कराई जायगी ।

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या सेटलमेन्ट की रेट में बट्टा नहीं लिया जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोई कॉन्क्रीट उदाहरण सामने रख बात पूछनी चाहिये ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से रेवेन्यू अधिकारी नीलाम करते हैं तो उस पर भी बट्टा लेते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप नीलाम की बात करने लगे बट्टे के साथ ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जमीन नीलाम करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ ।

श्री मोहन लाल सुखाड़ीया—अब कोई बात नही हैं, यदि है तो उस पर विचार किया जायगा ।

प्रश्न संख्या ११८७

उदयपुर डिविजन में चलने वाली जिनिंग प्रेस फैक्ट्रीज़ में सुधार

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(अ) क्या उदयपुर डिविजन में चलने वाली सरकारी जिनिंग प्रेस फैक्ट्रीज से सरकार को अप्राप्य आय होने पर भी सरकार उनमें कोई सुधार करना नहीं चाहती है ?

(ब) क्या सरकार इन फैक्ट्रीज़ को बेचने का विचार करती है ?

(स) सरकार की ऐसी कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बिल्कुल बन्द हैं और वे कितने-कितने साल से बन्द हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—सरकार इन फैक्ट्रियों का सुधार करना चाहती है और सम्बन्धित अधिकारी से इस विषय में विचार-परामर्श हो रहा है। कुछ फैक्टरियों में प्रिन्टिंग प्रेस लगाने का भी आयोजन है। जो मशीनें पुरानी हैं उनको आधुनिक मशीनों से परिवर्तित करने का इरादा भी है।

(ब) सरकार का इन फैक्ट्रियों को बेचने का कोई इरादा नहीं है।

(स) सरकार की दो फैक्ट्रियाँ अभी बन्द हैं। इनमें पेच की जावद फैक्ट्री ७-८ वर्ष से बन्द है। वहाँ पर सिर्फ प्रेस है, जीन नहीं। वहाँ पर कपास की पैदावार कम है, अतः जिनिंग मशीन लगाना व्यर्थ है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

[श्रीजयनारायण व्यास]

कोटा स्टेट ऑयल मिल छः साल से बन्द है। पहले कोई लीज़ पर लेने वाला नहीं मिला। सरकारी तौर पर चलाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि यह बेची जाय अथवा लीज़ पर दी जाय।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार उन सरकारी फैक्ट्रियों को उस इलाके में तब्दील करने को तैयार है जहां कपास अधिक पैदा होती है?

श्री जयनारायण व्यास—विचार किया जा सकता है, दो फैक्ट्रियें बन्द हैं; बाकी घाटे में चल रही हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर के लिये विचार किया जा सकता है?

श्री जयनारायण व्यास—जो विचार किया जाता है वह सारे राजस्थान के लिये किया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—सरकार के पास कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो हर साल घाटा होते हुए भी बराबर चल रही हैं?

श्री रामदयाल उपाध्याय—बराबर घाटा नहीं होता घाटे वाली फैक्ट्रीज़ बन्द हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या मशीनरी की हालत अच्छी है?

श्री जयनारायण व्यास—यदि हालत अच्छी होती तो खरीददार जल्दी मिल जाते।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि बावड़ी की फैक्ट्री, जो ७-८ साल से बन्द है, बिल्कुल बेकार है?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल बेकार है।

श्री कँवरलाल जेलिया—यह कहां तक सही है कि 'कोटा ऑयल मिल' को जो पहले चल रहा था वह उसके पुर्जे निकाल कर ले गया?

श्री जयनारायण व्यास—यह ६ साल पहले की बात है। पता नहीं उस समय क्या हुआ था?

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह समझा जाय कि सरकार की मशीनों के कल-पुर्जे निकल जायें तो भी सरकार के ध्यान में नहीं आता?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार कल्पना नहीं कर सकती। यह बात तफसील के साथ सरकार के ध्यान में लाई जाय तो जांच करेगी।

Page No.22

श्री कंवरलाल जेलिया—यह ध्यान में लाने का काम किसका है, यह बताया जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—लाने का काम उनका है जिनके ध्यान में यह बात आवे। यह नहीं हो सकता कि ध्रुपद की ताल बजाई जाय और सरकार नाचने लग जाय। हरेक की ताल पर सरकार नहीं नाचेगी।

प्रश्न संख्या १२८८

सिंचाई विभाग के सब डिविजनल ऑफीसर का कार्यालय तथा सिरोही शहर में भी ऐसे कार्यालय की स्थापना

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सिंचाई विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर का दफ्तर कहां पर है ?

(ख) सिरोही शहर में इस दफ्तर को अभी तक क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—सिंचाई विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर का अस्थाई कार्यालय जवाई में स्थित है। इसमें सिरोही सब डिविजन के अतिरिक्त पाली, सिरोही व जालोर ये तीन जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सिंचाई पाली जिले में होती है। इस समय जो सिरोही जिले में ५ छोटे-छोटे बांध हैं उनसे मामूली सिंचाई होती है। इसलिये इस सब डिविजन का मुकाम अस्थायी तौर पर जवाई में रखा गया है जो सब बांधों के मध्य में है।

सिरोही में सर्वे व इन्वेस्टीगेशन के सब डिविजन का दफ्तर रखा गया है। सिंचाई की भूमि सिरोही में बढ़ जाने पर इसके मुकाम का अवश्य विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या १२८९

सिरोही जिले के सिंचाई विभाग की ओर से सर्वे

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सिरोही जिले का सिंचाई विभाग की ओर से सर्वे हो गया है ?

(ख) अगर हाँ, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने के लिये सरकार तैयार है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—(क) नहीं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) हाल ही में इन्वेस्टिगेशन डिविजन कायम किया जायगा और जो लाभदायद काम होगा उसकी जाँच करेगा।

श्री जवानसिंह—सिरोही में इन्वेस्टिगेशन का काम कब से शुरू हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री जवानसिंह—क्या पूरे राजस्थान के इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला तय होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ, पूरे राजस्थान के लिये है जिसमें सिरोही शामिल है।

प्रश्न संख्या १२६०

जिला जैसलमेर के व्यापारियों द्वारा सन् १६४८ में जमा कराये गये रुपयों से अनाज भेजना

श्री हनवन्तसिंह—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के व्यापारियों ने जो रुपये सन् १६४८ में जमा कराये उससे कम रुपयों का अनाज मिला ?

(ख) बाकी रुपया जो जमा है वह कब तक मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)—यह सही है कि व्यापारियों ने ४७-४८ में भारत सरकार में रुपये जमा कराये, उससे किन्हीं व्यापारियों को कम अनाज मिला और किन्हीं को अधिक अनाज मिला। इसका विगतवार हिसाब भारत सरकार के यहाँ तय किया जा रहा है। बाकी रुपये जमा हैं, भारत सरकार द्वारा हिसाब तय होने पर मिलेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ये रुपये राजस्थान सरकार के पास हैं या भारत सरकार के पास हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले ऐसी व्यवस्था थी कि भारत सरकार को सीधा हिसाब दिया जाता था और उनके पास हिसाब रहता था। व्यापारियों ने हिसाब नहीं दिया, इसलिये भारत सरकार ने व्यापारियों को रुपये नहीं दिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरा सवाल यह है कि व्यापारियों के रुपये राजस्थान सरकार के पास हैं या भारत सरकार के पास हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार के पास राजस्थान के ३ करोड़ ६४ लाख रुपए जमा हैं। ज्यों-ज्यों हिसाब पेश किया जाता है त्यों-त्यों रुपए दे दिए जाते हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि व्यापारियों के दौड़-धूप करने पर भी उनको रुपए नहीं मिले ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो व्यापारी हिसाब पेश करते हैं उनको रुपए मिल जाते हैं, जिनको हिसाब पेश करने में कठिनाई होती है उनको आसानी से नहीं मिलते।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि ५–७ साल के प्रयत्न करने पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने ऐसा ओर्डर निकाला था कि जिन व्यापारियों के सिक्योरिटी के रुपए जमा हैं वे अपना हिसाब दें और रुपए ले जाँय। कुछ व्यापारियों ने रुपए वापिस लेने की माँग नहीं की। ३ साल हो जाने के बाद खजाने में जमा हो जाते हैं, उसके बाद अकाउन्टेन्ट जनरल की मार्फत वापिस मिलते हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि उनका जितना रुपया एड्वान्स है उससे कहीं अधिक रुपया उनके आने-जाने में भी खर्च हो जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनका रुपया लेने के लिये सरकार ने एक प्रोसिजर ले डाउन कर दिया है। अगर उसको कोई नहीं समझता है तो इसमें, अगर उनको खर्च करना भी पड़ता है तो मैं नहीं समझता कि सरकार जिम्मेदार है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह रुपया भारत सरकार के पास है या राजस्थान सरकार के पास और वह रुपया उनको कब मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ कि भारत सरकार के पास रुपया जमा है। अब बताये हुए प्रोसिज़र के माफिक वे लोग एकाउन्ट्स क्लीयर कर देंगे तब राजस्थान सरकार भारत सरकार से माँग करेगी और वह रुपया भारत सरकार से मिलने पर उन व्यापारियों को दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६१

पशु उन्नति के लिये आवश्यकतानुसार योग्य सांडों का वितरण

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार द्वारा पशु उन्नति के लिये आवश्यकतानुसार योग्य सांडों का वितरण कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितने सांडों का ? क्या वितरण-संख्या आवश्यकता के लिये काफी है ?

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

(ख) क्या सरकार को रद्दी सांडों को, जो इधर-उधर घूमते फिरते हैं और नस्ल खराब करते हैं दूर हटाने में कोई अड़चन है? यदि हाँ, तो वह क्या और नहीं तो सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं अपनाई गई है?

(ग) क्या इस प्रकार की व्यवस्था किए बिना पशुओं की नस्ल सुधर सकेगी? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का सोच रही है?

(घ) क्या इन रद्दी सांडों को रखने के लिये सरकार गौ-सदन भी खोलने का विचार रखती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(क) सन् १९५० से ५४ तक ९९ सांडों का वितरण हो चुका है; यह काफी नहीं है।

(ख) निकम्मे सांडों को बधिया करने तथा दूर करने में वैधानिक आपत्ति है। इस आपत्ति को दूर करने के लिये कानून बनाया जा रहा है।

(ग) नहीं, निकट भविष्य में इस व्यवस्था के लागू करने की संभावना है।

(घ) हाँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जयपुर की नस्ल सुधार के लिये कितने सांडों की आवश्यकता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी इसका हिसाब नहीं लगाया है।

श्री कपिल देव अग्रवाल—ये जो ९९ सांड बांटे गये हैं, ये कौनसी ब्रीड के हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अलग-अलग स्थानों के लिये जैसे-जैसे उपयुक्त थे उसी तरह के सांड वितरित किये गये हैं, वे कौन-कौनसी ब्रीड के हैं उसकी खास जानकारी नहीं है। आप चाहें तो अलग लिस्ट पेश की जा सकती है।

श्री कँवरलाल जेलिया—९९ सांड कहाँ-कहाँ वितरित किये गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तो मेरे पास इस तरह की पूरी सूची नहीं है, अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको पूरी लिस्ट भेज दी जायगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उदयपुर डिविजन में कितने सांड भेजे गये हैं? (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सब से कम। (हंसी)

Page No.26

प्रश्न संख्या १२६२

गत पाँच वर्षों में डाकुओं द्वारा मारे गये पुलिस कर्मचारी

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गत पाँच वर्षों में डाकुओं द्वारा राजस्थान में कितने (नामजद) पुलिस कर्मचारी मारे गये ?

(ख) उनमें से किन किन के परिवार को अब तक सहायता नहीं दी गई ?

(ग) सरकार ऐसे केसेज़ में कब और क्या सहायता दे रही है ?

(घ) अब तक सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) गत पाँच वर्षों में निम्नलिखित ३४ पुलिस कर्मचारी-गण डाकुओं द्वारा मारे गये:—

१ का० आम सिंह	२ का० गोकल सिंह
३ सवार रायीदान सिंह	४ एस.आई. यासीन अली
५ का० सोन सिंह	६ का० अहमद खां
७ एस.आई. जसवन्त लाल	८ का० भगवत सिंह
९ का० सवाई सिंह	१० का० जगत सिंह
११ का० मालीराम	१२ का० देवा राम
१३ इन्सपेक्टर अहमद बख्श	१४ एस०आई० गजेन्द्रनारायण
१५ ड्राइवर अमरसिंह	१६ का० उमेद खां
१७ का० भैरों सिंह	१८ ए०एस०आई० भूरे खां
१९ का० बच्छ राज	२० का० मंगल सिंह
२१ का० हमीद खां	२२ का० ईश्वर दान
२३ एस०आइ० अब्दुल वाहब	२४ हे०का० शकरू खां
२५ का० महबूब खां	२६ एस०आई० जोहरसिंह

[श्री जयनारायण व्यास]

२७ का० जोरसिंह	२८ है० का० विजयसिंह
२९ का० नूरुद्दीन	३० इन्स्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल
३१ है०का० हजारी राम	३२ जमादार बल्ला राम
३३ का० कुशल सिंह	३४ एस०आई० जग्गू लाल

(ख) ७ कर्मचारियों के अलावा सभी को सहायता दे दी गई है।

(ग) उन कर्मचारियों में से ५ के केसेज़ सचिवालय में इस मंजूरी के लिये भेजे गये हैं कि इनमें सहायता राजस्थान सर्विस रूल के तहत में दी जावे क्योंकि यह कर्मचारी कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड के मेम्बर थे।

इसी प्रकार ४ कर्मचारियों के पेन्शन केसेज़ अकाउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान, जयपुर को पेन्शन की तस्दीक के लिये भेजे गये हैं। शेष ७ कर्मचारियों के पेन्शन केसेज़ अभी तक सम्बन्धित पुलिस कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इसका उत्तर (ग) में दिया जा चुका है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि ७ कर्मचारी जिनकी पेन्शन का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, कई वर्ष पहले डाकुओं द्वारा मारे गये थे?

श्री जयनारायण व्यास—मैं ठीक समय तो नहीं कह सकता पर इतना कह सकता हूँ कि उन ७ कर्मचारियों में से एक आध तो, मुझे याद है, बहुत ही ताजा उदाहरण है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन सात कर्मचारियों में से ४ कर्मचारियों के केसेज़ तो एकाउन्टेन्ट जनरल के पास पेन्डिंग हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स से प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन सिपाहियों के परिवार वालों को कितनी-कितनी पेन्शन दी गई?

श्री जयनारायण व्यास—अलग-अलग दी गई। इसके लिये अलग प्रश्न पूछा जाय तो बता सकता हूँ लेकिन पुलिस की ओर से जो इमिजियेट सहायता दी गई वह मैं बता सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the lowest minimum number of Pension sanctioned?

श्री जयनारायण व्यास—वे according ही होती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उनके परिवार वालों को ४ रुपया माहवार तक की पेन्शन दी गई?

श्री जयनारायण व्यास—इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ कि अलग से प्रश्न दिया जाय तो पूरी बातें बता सकता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह-मारे गये उनके अलावा क्या उन सिपाहियों का भी नम्बर शुमार है जिनको कि डाकू पकड़ कर ले गये ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न किया जाय तो इत्तला दे सकूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—जिन बहादुर सिपाहियों को डाकुओं के हाथों खत्म होना पड़ा उनके बारे में पुलिस की ओर से अभी तक रिकमन्डेशन नहीं भेजी गई, हालांकि यह इतना इम्पोर्टेन्ट मामला है; इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझा नहीं, आपका क्या मतलब है ?

श्री श्रीदास गोयल—अभी आपने फरमाया कि उन सात कर्मचारियों के केसेज़ में से ४ के केसेज़ अभी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से प्राप्त नहीं हुए हैं। यह एक बहुत ही जरूरी मामला है इस प्रकार के काम में देरी का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे कहने का मतलब यह है कि रिकमन्डेशन के कागज मुकम्मिल होकर नहीं आये, उनमें कुछ खामियाँ पूरी करने को रह गई होंगी। बिल्कुल ही रिकमन्डेशन नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं यह बात दूं कि ऐसे मामलों में सरकार की ओर से बहुत ताकीद की जाती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—जो सिपाही डाकुओं द्वारा मारे जाते हैं उनके परिवार वालों को पेन्शन देने के लिये मध्य भारत में जो रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ भी रूल्स बनाये जायेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६३

चित्तौड़ जिले में ५२-५३ तथा ५३-५४ में बाँधे गये तालाब व नदियों पर व्यय

श्री सुगनचन्द—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड़ जिले में सन् ५२-५३, व ५३-५४ में कहाँ-कहाँ तालाब व नदियाँ बांधी गई हैं और अब कितनी बाँधनी बाकी हैं, और किस-किस पर कितनी रकम खर्च हुई ?

(ख) क्या दूसरे जिलों की बजाय चित्तौड़ जिले में कम बांध बनाये गए हैं ?

[श्री सुगनचन्द जैन]

(ग) अब कितने बांध बनाने को सरकार की योजना है और किन-किन तालाबों की सर्वे हो चुके हैं ?

(घ) क्या डेगूं सब डिविजन में तालाब टूटे हुए हैं ? उसमें से कितने तालाब सरका बनाने की योजना रखती है, और कौन-कौन से तालाबों की सर्वे हो चुकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) चित्तौड़ जिले में निम्न-लिखित बांध सन् ५२-५३, ५३-५४ में बांधे गये हैं; खर्च आगे लिख दिया गया है।

(अ) बांध जिन पर काम समाप्त हो गया है।

नाम	खर्चा
(१) मंगलवार	६६०००)
(२) भीमका नाका	५७०००)
(३) घमाना	२३०००)
(४) उंचा	१,०२०००)
(५) मंडल डेह	१६०००)
(६) मंगरोल	३१०००)
(७) सलेरा	५००००)
(८) रम्भावाली	११५००)
(९) इंटों का परदा	२,१५६)
(१०) जदाना	७४११)
(११) दादून	३१६६८)
(१२) गिलन्द	३५७१७)
(१३) तुकिया	११३२६)
(१४) मेवदा	६२३७)

(ब) बांध जिन पर काम चालू हैं।

नाम	खर्चा
(१) बनेना	२६५८०)

Page No.30

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(२) अचलपुरा १२५५२)

(ख) नहीं, कई एक जिलों की अपेक्षा चित्तौड़ में कहीं अधिक बांध बनाए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित बांध और बांधने की योजना है :—

(१) गम्भीरी प्रोजेक्ट सर्वे हो चुकी है।

(२) बेरच ,,

(३) गडोला ,, काम शीघ्र शुरू होने वाला है।

(४) बजरंगगढ़ ,, ,,

(५) बगाना ,,

(६) बोरदा ,,

(७) हेदाखेड़ी ,,

(८) खटूला ,,

(घ) इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इन सब बन्धों पर कितना रुपया खर्च होगा और कितना पानी इकट्ठा हो सकेगा व कितनी जमीन की सिंचाई होगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल- मैंने जो रकम बताई उसको जोड़ कर आप निकाल लें कि कितना रुपया खर्च होगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कितने एरिया में सिंचाई होगी और कितना पानी इकट्ठा होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह अलग प्रश्न है। अगर आप पूछते तो इसका भी जवाब दिया जाता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या बंध तैयार किए जाते हैं उससे पहले रिटर्न का ध्यान नहीं रखा जाता ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न नहीं था। इसलिए जब आप इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६४

चित्तौड़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें व भवन बनाने की योजना

श्री सुगनचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चित्तौड़ जिले में पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कें व बिल्डिंग बनाने की योजना है ?

(ख) कहाँ कहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गईं व कौन-कौन सी सडकें बनाई हैं और उन पर कितने-कितने रुपये सन् ५४ तक खर्च हुए हैं ?

(ग) कौन-कौन सी सड़क व बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या बकाया सड़कें व बिल्डिंग इसी योजना में तैयार हो जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़ जिले में जो सड़कें ली गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है। बिल्डिंगज़ की योजना अभी पूर्णतया नहीं बन पाई है। जो अंशतः बनी है उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(ख) (क) के उत्तर में इसका उत्तर आ जाता है।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजनानुसार सन् १९५५–५६ तक पंचवर्षीय योजना के कार्य समाप्त होने चाहिये। जो कार्य सन् १९५५–५६ तक समाप्त हो जायेंगे वे उक्त सूची में बताये गये हैं और जो खतम नहीं होंगे उनके लिये सन् १९५५–५६ के बाद में भी कितनी रकम चाहियेगी वह बताई गई है। उनके योजनानुसार समाप्त नहीं होने का कारण देर से मंजूरी आदि होना ही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सुगनचन्द—सूची नहीं मिली है।

श्री टीकाराम पालीवाल—सूची सदन की मेज पर रखी जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सड़कों और बिल्डिंग के लिये पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम रखी गई है ?

Page No.32

श्री टीकाराम पालीवाल—इस सिलसिले में अगर आप बजट देखें तो आपको मालूम हो जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं एक सूचना चाहता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह एक गलत तरीका है। जो सूचना है वह क्या बार-बार दी जाती है?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr, Speaker, Sir, I think it is my right to ask questions. It is not my duty to go into the provisions of the budget. There are many things which are not new and are knwn to us, but still it, is within our right to ask the Minister concerned for some information

श्री टीकाराम पालीवाल—I can certainly refer to the budget.

श्री जवानसिंह--क्या इसका हम यह मतलब समझें कि माननीय मन्त्री इसके उत्तर से अनभिज्ञ हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल--इसका कोई यह मतलब नहीं होता कि मन्त्री इसके उत्तर से अनभिज्ञ हैं। यह चीज बजट में देखने से मालूम हो सकती है। जो सबको मालूम है उसको रिपीट करके सदन का समय क्यों जाया किया जावे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या जो इत्तलाएं माननीय मन्त्री द्वारा सदन में दी जाती हैं उनकी जानकारी सदन को नहीं है या जनता को जानकारी नहीं होती है?

श्री टीकाराम पालीवाल--ज्यादातर सरकार यही मानकर चलती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I appeal to you as to whether the reply given by the Minister is correct and whether the Ministry can take up this position.

श्री टीकाराम पालीवाल--I say it is perfectly clear.

जो सूचना पहले से ही प्रकाशित की जा चुकी है और सदन में आ चुकी है मैं उस सम्बन्ध में रेफर कर सकता हूँ और सदन के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे उसको पढ़ें। वे बजट को पढ़ने की तकलीफ नहीं करें और सदन में एक बड़ी लम्बी चौड़ी सूची मांग बैठें तो.........

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Why does the Minister not sincerely admit that he does not know this thing?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न माननीय सदस्य के उत्तेजित होने का नहीं है। सदन का समय बहुत कीमती है और इसके लिए समय-समय पर गवर्नमेंट की ओर से विज्ञप्ति आदि से जो सूचना

[श्री अध्यक्ष]

प्राप्त हो सके तो उसके लिए सदन में प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए और इसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के क्लॉज़ २८ का सब क्लॉज़ १२ स्पष्ट है :

"it shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or in ordinary works of reference." जो सूचना बजट में दी जा चुकी है या और किसी तरीकों से मिल सकती है तो उसके लिए प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये; चाहे प्रश्न सदन में गलती से मन्जूर भी हो गया हो ?

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे सदन का समय और बहुत से दूसरे कर्मचारियों का समय व सरकारी रुपये व समय का अपव्यय होता है, वह बचेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, we know that the Minister concerned is very anxious to save the mony of the exchequer.........

श्री अध्यक्ष—That is a different question......

कु० श्री जसवन्तसिंह—But the excuse of saving the time of the officials does not hold much water, I am sorry to say.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६५

सिरोही जिले के कुछ व्यक्तियों के कुए सरकार द्वारा लिये जाकर उनको एवजाना देना

श्री जवानसिंह—क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिरोही जिले में किन-किन व्यक्तियों के कुए सरकार ने लेकर एवजाने की रकम देवस्थान विभाग से मुकर्रर की है और कितने मामले अभी जेर तजवीज हैं ?

(ख) क्या गाँव मांडवा, तहसील सिरोही के भी ऐसे कई मामले अभी जेर तजवीज हैं ?

(ग) अगर हाँ, तो कब से ? उनका तसफिया अभी तक क्यों नहीं हो पाया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मन्त्री)—(क) भूतपूर्व सिरोही राज्य द्वारा तीन व्यक्तियों के कुऐ लिए गये थे और इन्हें एवजाने की रकम मुकर्रर की गई थी। नया कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) रावत पूनमा गांव मांडवा का एवजाना जारी रखने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(ग) इसका तस्फिया शीघ्र ही किया जावेगा। विलम्ब का कारण परवाना देर से प्राप्त होना है।

श्री जवानसिंह—परवाने कब मंगाये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गत वर्ष मंगाये गये थे।

श्री जवानसिंह—क्या यह राजस्थान बनने से पहले से चला आ रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिरोही स्टेट ने कुए लेकर रकम मुकर्रर कर दी थी। उन व्यक्तियों से परवाने मांगे गये तो उन्होंने परवाने पेश नहीं किये। अब परवाने आ गये हैं। अब रुपया देने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या १२६६

राजस्थान में पशु संवर्द्धन केन्द्र

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने पशु संवर्द्धन केन्द्र हैं ? क्या ये पशु उन्नति के लिए काफी हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस विषय में सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) तीन। सारे राजस्थान की पशु उन्नति के लिए ये काफी नहीं हैं और इस सम्बन्ध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह—The reply is not complete. The first question is : "राजस्थान में कितने पशु संवर्द्धन केन्द्र हैं।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I told three, तीन। मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.35

प्रश्न संख्या १२६७

सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन के समीप की तेल मिल का बन्द होना।

श्री श्रीदास गोयल—(क) क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन के नजदीक एक ऑइल मिल बन्द पड़ी हुई है ?

(ख) इस मिल में कितना धन लग चुका है व इसके बन्द रहने का क्या कारण है ?

(ग) सरकार उक्त मिल को चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है व कब तक यह चालू हो जावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हाँ, कमला ऑयल और दाल इन्डस्ट्रीज नामक फेक्ट्री बन्द पड़ी हुई है।

(ख) ३,३५,०००) रु० इस मिल में लग चुके हैं। यह बन्द है क्योंकि इसको चलाना अनइकोनोमिकल साबित हुआ है।

(ग) कम्पनी की मीटिंग १६-५-५४ को हुई। उसमें इस मिल को बन्द करने का प्रस्ताव सर्व सम्मत्ति से पास हुआ; अतः इस मिल को चालू कराने के विषय में व्यक्तिगत रूप से तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो-जो फैक्ट्रीज बन्द हैं उनको फिर चालू करने के उद्देश्य से उनके बन्द होने के कारणों की जांच सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी से कराई जा रही है और उनको फिर से चालू करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। इसके अन्तर्गत इस मिल का भी ध्यान रखा जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इसके बन्द होने का कारण रॉमेटिरियल का नहीं पहुँचना है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ तक मेरा खयाल है, यह नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि जब यह इन्डस्ट्री कायम की गई थी उस समय भूतपूर्व जयपुर स्टेट ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वहाँ ब्रिज बना दिया जावेगा और उसके नहीं बनने से कच्चा माल आने जाने में तकलीफ रहती है और यह भी एक कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है। इसको बाद में पूछा जावेगा तो इसका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल— क्या यह सही है कि रॉ मेटिरियल इस पुल के न बनने से वह पर न जा सका ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे सामने जो कागजात है उनमें इसके साथ क्या-क्या अलग अलग एग्रीमेंट थे, वे सामने नहीं है ? इसलिए इस सम्बन्ध में यदि अलग प्रश्न किया जाय तो मैं जानकारी हासिल करके उसका जवाब दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६८

जनवरी सन् १९५४ से अब तक पकड़े गये रिश्वतखोरी के मामले

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रिश्वतखोरी के कितने मामले जनवरी सन् १९५४ से अब तक पकड़े गये ?

(ख) सरकार द्वारा इन केसेज में क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या सरकार जिला केन्द्रों पर एक-एक रिश्वत रोकने वाले अधिकारी की नियुक्ति कर रही है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) २७ मामले अब तक पकड़े गये हैं।

(ख) १२ मामले अदालत में पेश कर दिये गये हैं, दो मामलों में तफतीश बन्द कर फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है, क्योंकि उनके आगे चलाने के सम्बन्ध में काफी सबूत नहीं था। १३ मामले जेर तजवीज है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह जरूरी है कि रिश्वत के सारे मामले अदालत में भेजे जावें ?

श्री जयनारायण व्यास—बहुत सारे डिपार्टमेंटली तय हो जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—कितने डिपार्टमेंटली तय हुए ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग मामला है। अगर आप इस सम्बन्ध में अलग प्रश्न करें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर एक-एक रिश्वत रोकने वाले अधिकारी को नियुक्त नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—हर एक जिले में रिश्वत लेने वाले हों हीं, यह मानकर चलना ठीक नहीं। जहाँ ज्यादा रिश्वतखोरी के मामले हों वहाँ पर ध्यान देना ठीक होगा। इस प्रकार का अधिकारी फिजूल बैठा रहेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था रख छोड़ी है कि जिलों में रिश्वतखोरी का क्या हाल है, उसकी उनको जानकारी होती रहे ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती है। रिश्वतखोरी सबजेक्ट है। कितनी इस जगह होगी और नहीं होगी और कितनी उस जगह होगी, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में है कि मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जो तरीका है उससे रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कराने में गाँव वालों को काफी उलझनें मालूम होती हैं और उससे देहातों में गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकती हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकती हैं की नहीं, यह उलझन कानून और संविधान की है। इससे राजस्थान सरकार का कोई वश नहीं।

एक माननीय सदस्य—कितने मामले ऐसे हैं जो पुलिस अधिकारियों से ताल्लुक रखते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—आठ मामले हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री बिशनसिंह।

प्रश्न संख्या १२८१

श्री अध्यक्ष—श्री बिशनसिंह।

प्रश्न संख्या १२९९

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—उनकी जगह क्या मैं प्रश्न पूछूं ?

श्री अध्यक्ष—No

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मुझे लिखी हुई उनकी इजाजत मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नहीं आई है, आप अपने पास रखिये इसे। नोटिस मुझे देना चाहिये था।

श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या १३००

बाड़मेर की पुलिस लाइन के लिये नया मकान

श्री तन सिंह—क्या मन्त्री जन-कार्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) क्या बाड़मेर की पुलिस लाइन के लिये नई इमारत बनने वाली है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक बन जावेगी ?

(३) इसी बजट वर्ष में न होने के क्या कारण हैं ?

(कोई उत्तर प्राप्त न होने पर)

कु० श्री जसवन्तसिंह—What has happened to the ministry ?

श्री टीकाराम पालीवाल (जनकार्य विभाग मन्त्री)—(१) हां।

(२) इस साल में कार्य शुरू होने की आशा है।

(३) बजट में है। राजस्थान बजट १९५४-५५ की वोल्यूम तीसरी के पेज ११ पर १० लाख की इकजाई रकम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिये रखी है, उसमें से यह कार्य होगा; अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द।

प्रश्न संख्या १३०१

चित्तौड़ जिले में सन् ५२ से ५४ तक आने वाली सीमेण्ट तथा लोहे की चद्दरें

श्री सुगनचन्द—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री सुगनचन्द]

(क) चित्तौड़ जिले में सन् ५२-५३, व ५३-५४ में कितनी सिमेन्ट व कितनी चद्दरें लोहे की आईं ? यदि नहीं आईं, तो क्यों नहीं ?

(ख) जो कोटा चित्तौड़ के लिये आता है वह कहां पर जाकर बिकता है ?

(ग) क्या चित्तौड़ के लिये कोई डीलर है ? यदि हां, तो उसका क्या नाम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)— (क) चित्तौड़ जिले में सन् ५२-५३, ५३-५४ में सीमेन्ट व लोहे की चद्दरों की जो मात्रा आई वह निम्नानुसार है :

	लोहे की चद्दरों की संख्या	सीमेन्ट की बोरिया
१६५२-५३	२७२३	१३४०
१६५३-५४	५५७	१८४०

(ख) चित्तौड़ जिले के लिये जो सीमेन्ट व लोहे का कोटा आता है वह उसी जिले में जाकर बिकता है।

(ग) चित्तौड़ जिले के सीमेन्ट व लोहे के रजिस्टर्ड व्यापारियों के नाम निम्नांकित हैं ;

लोहे के रजिस्टर्ड व्योपारी—

१. श्री अब्दुल हुसेन शेख लारजी, उदयपुर।

२ श्री अग्रवाल ब्रॉदर्स, उदयपुर।

सीमेन्ट के व्योपारी—

१. श्री अल्लाबक्स दौदजी बोहरा, प्रतापगढ़।

२. श्री मुल्ला हसन अली राजब अली बोहरा, निम्बाहेड़ा।

३. श्री अब्दुल हुसेन शेख लारजी, उदयपुर।

४. श्री अग्रवाल ब्रदर्स, उदयपुर।

५. श्री अब्दुल हुसेन शेख लारजी, उदयपुर व श्री अग्रवाल ब्रादर्स, उदयपुर द्वारा मँगाई गई सीमेन्ट व लोहे की मात्रा उनके एजेन्ट आइरन व सीमेन्ट एसोसियेशन, चित्तौड़गढ़ द्वारा वितरित की जाती है।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या ऐसे नियम बनाये गये हैं कि आधे के लिये परमिट दिया जाय और आधा व्योपारी को ब्लेक में बेचने दिया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री कपिलदेव अग्रवाल।

Page No.40

प्रश्न संख्या १३०२

श्री अध्यक्ष—श्री कपिलदेव अग्रवाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १३०३

जैसलमेर में सुरक्षा के हेतु जनता को अनिवार्य सैनिक शिक्षा।

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार जिला जैसलमेर में सुरक्षा के हेतु जनता को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाने के बारे में सोचती है ?

(ख) अगर सोचती है तो कब तक यह कार्यान्वित हो जायगी ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क, ख, ग) अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने का कोई विचार नहीं। सेना तथा सैनिक शिक्षा का विषय केन्द्रीय सरकार का है। जनता की सुरक्षा का प्रबन्ध पुलिस तथा आर. ए. सी द्वारा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हनवन्तसिंह—मैं कुछ......(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिये।

प्रश्न संख्या १३०४

गन-राइफल तथा पिस्तोल के लाइसेन्स दिये जाने में विलम्ब

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि गन राइफल व पिश्तौल के लाइसेन्स एप्लाई करने के बाद दो-दो साल तक नहीं मिलते ?

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में सुविधा देने की सोचती है ?

Page No.41

[श्री हनवन्तसिंह]

(ग) क्या सरकार लाइसेन्स देने के अख्तियारात कलेक्टर्स को देगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—इस प्रश्न का उत्तर श्री झुझारसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४१७ सी. एम. द्वारा दे दिया गया है।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर भी श्री झुझारसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न ४१७ सी. एम. द्वारा दे दिया गया है।

(ग) विचाराधीन है और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३०५

सन् १९५३-१९५४ में सिंचाई विभाग द्वारा हरे वृक्ष काटने की आज्ञा

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ५३-५४ के वर्ष में सिंचाई विभाग द्वारा राजस्थान में कितने हरे वृक्ष काटने की आज्ञा दी गई है ?

(२) उक्त वृक्षों के काटने के क्या कारण हैं ?

(३) उक्त वृक्षों से ५३-५४ के वर्ष में सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

(४) किशनगढ़ सब डिविजन में कितने हरे वृक्ष इस विभाग द्वारा काटे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(१) सन् १९५३-५४ के वर्ष में सिंचाई विभाग द्वारा कुल २७२० वृक्ष काटने की आज्ञा दी गई।

(२) उक्त वृक्षों को काटने के निम्नलिखित कारण हैं:-

(अ) कुछ वृक्षों तालाबों की पाल को नुकसान पहुँचाते थे।

(ब) कुछ आँधी से गिर गये थे, इसलिए उनको हटाने के लिए काटना पड़ा।

(स) कुछ वृक्ष बन्ध बनाने और मरम्मत कराने के लिए काटे गये।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ड) कुछ वृक्ष नहर के वर्नो पर खड़े हुए थे और वे इतने छोटे थे कि उनका किसी भी क्षण गिरने की और नहर के किनारों को नाका करने की आशंका थी जिससे पानी के निकलने के कारण हजारों रुपयों की हानि होने का भय था, इसलिए हटाना पड़ा।

(द) कुछ वृक्ष गंगानगर-पदमपुर सड़क, जो कि नई निर्माण की जा रही है, के बीच में आ जाने के कारण निर्माण विभाग द्वारा कटाये गये।

उक्त वृक्षों में ५३-५४ के वर्ष में सरकार को ११,४०६) रुपयों की आमदनी हुई।

(४) किशनगढ़ सब डिवीजन में हरे वृक्ष काटने की कोई इजाजत नहीं दी गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि सिंचाई विभाग के, वहाँ के अधिकारियों द्वारा वृक्ष बेचे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यहां का मतलब ?

श्री चाँदमल मेहता—किशनगढ़। कहा यह जा रहा है कि इजाजत नहीं दी गई। तो माननीय मन्त्रीजी की यह जानकारी में नहीं है कि किशनगढ़ सब डिविजन में सैंकड़ों ही वृक्ष काटे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—तालाब की पाल के लिए जो कहा उसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस प्रकार के हरे वृक्ष काटने के सैंकड़ों मामले सिंचाई विभाग में पेंडिंग हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पेन्डिग हैं, उनकी जाँच हो रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार से जो पेड़ जिन कारणों से, जैसा कि माननीय मन्त्री ने बताया, काटे गये तो क्या उनके नीलाम के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन निकाला गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय जाँच करने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से हरे पेड़ों की बरबादी किशनगढ़ सब डिविजन में की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--खास-खास मामले लायें जावेंगे तो जाँच होगी।

श्री चाँदमल मेहता--क्या इस विषय पर जनरल जाँच कराने के लिए तैयार हैं कि सैकड़ों हरे वृक्ष काटे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जनरल जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री घीसीसिंह—किसानों को तो पेड़ बेचने का अधिकार नहीं है तो सरकार द्वारा पेड़ काटे जाकर बेचना कहाँ तक उचित है ?

श्री टीकाराम पालीवान—सर्वथा उचित है।

श्री घीसीसिंह—सर्वथा उचित का क्या कारण है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११०६

किशनगढ़ सब डिविजन में सन् ५३-५४ वर्ष के आरम्भ में तालाबों पर पेड़।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिविजन में किस-किस तालाब पर कितने-कितने पेड़ ५३-५४ के वर्ष के प्रारम्भ में थे ?

(२) ५३-५४ के वर्ष के किस-किस तालाब से कितने पेड़ सिंचाई विभाग द्वारा कटाये गये ?

(३) वर्ष के आखिर में वृक्षों के रजिस्टर के द्वारा कितने-कितने पेड़ किस-किस तालाब पर होने चाहिए और वास्तव में कितने-कितने पेड़ थे ?

(४) उक्त पेड़ों की कमी के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(१) १०६ तालाबों के वृक्षों की

[श्री टीकाराम पालीवाल]

संख्या की सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है। कुल वृक्ष १६, ७७५ थे।

(२) इस विभाग द्वारा १२६ वृक्ष बेचे गये। बाकी ८७१ वृक्ष चोरी से काटे गये जिनके केस चल रहे हैं।

(३) १६, ७७५ वृक्ष पहले थे और अब मौके पर १५, ७७८ वृक्ष हैं जिनकी फेहरिस्त सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ८७१ वृक्ष चोरी से काटे गये और १२६ सूखे होने के कारण बेचे गये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल के मुताबिक जो चीज टेबल पर रखी जाती है वह संबन्धित सदस्य को दी जानी चाहिये ताकि पूरक प्रश्न पूछने में सहूलियत हो। किन्तु माननीय अध्यक्ष के कई बार कहने पर भी मुझे इस सूची की कॉपी नहीं दी गई।

श्री टीकाराम पालीवाल—नोटिस ऑफिस में इसकी कॉपी रख दी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—रूल्स में संबन्धित सदस्य को देने के लिये कहा गया है। क्या वह रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा स्थगित कर दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—आपको माननीय मन्त्री कहाँ-कहाँ तलाश करें, इसलिये सदन की कार्यवाही शुरू होने से १५ मिनिट पहले नोटिस ऑफिस में उसकी कॉपी दे दी जाती है ताकि माननीय सदस्य उसको ले सकें।

श्री भैरोंसिंह—यह कैसे पता चलेगा कि नोटिस ऑफिस में कापी रख दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही शुरू होने से १५ मिनिट पूर्व नोटिस ऑफिस में कॉपी दे दी जाती है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर कोई सदस्य लम्बी-चौड़ी फहरिश्त माँगता है तो उससे यह समझ लेना चाहिये कि वह फहरिशत टेबल पर रखी जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The point is not clear.

प्रश्न संख्या १३०७

जैसलमेर में समेरी सेटलमेंट का प्रारम्भ किया जाना

श्री हनवन्तसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

जिला जैसलमेर में समेरी सेटलमेंट कब से शुरू हो रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—सन् ५६-५७ से शुरु होने की सम्भावना है।

श्री खेतसिंह—जो समेरी सेटलमेंट करवाया जा रहा है क्या वह वहाँ के अनुकूल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जैसलमेर का इलाका ऐसा है जिससे समेरी सेटलमेंट से काफी नुकसान होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है बहुत कम परसेन्टेज में।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा प्रश्न रह गया था, क्या मैं आपकी आज्ञा से पूछ सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप एबसेन्ट थे, when the question was called.

(विराम)

The question hour is over and 15 minutes are over above that.

(कुछ सदस्य बोलने के लिए उद्यत)

Order please.

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास को सदन से बाहर निकालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—२५ मई सन् १९५४ को मेरे पास कुँवर श्री जसवन्तसिंहजी ने निम्न लिखित विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया:—

[श्री अध्यक्ष]

"सदन के विशेषाधिकार को उल्लंघन करने की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई कि तथा-कथित सार्जेन्ट एट आर्म्स और अन्य चार वाच एन्ड वार्ड स्टाफ के अधिकारियों द्वारा जो कि इस असेम्बली के नियमित पदाधिकारी नहीं थे, उन्होंने इस सदन के सदस्य श्री हरिकृष्ण व्यास को बल-पूर्वक बाहर निकाल दिया। ये पाँच अफसर सदन के किसी सदस्य को स्पर्श करना तो दूर रहा सदन में प्रवेश करने के भी अधिकारी नहीं थे और उनमें से चार न तो विशेष रूप से आज्ञप्त थे और न सदन में ही प्रवेश कर सकते थे।"

इस पर विचार किया जावे।

प्रत्युत मेरे पास सार्जेन्ट एट आर्म्स ने यह प्रार्थना करके उपालम्भ प्रस्तुत किया है कि जब उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा श्री हरिकृष्ण व्यास को सदन से बाहर निकालने का आदेश हुआ तो श्री हरि-कृष्ण व्यास से बाहर जाने की प्रार्थना की गई। इस पर श्री हरिकृष्ण व्यास ने सदन से बाहर जाना अस्वीकार किया तो यह आवश्यक होगया कि उन्हें, बल प्रयोग करके बाहर ले जाया जाय और क्योंकि दूसरे मेम्बर जो कि श्री व्यास के आसपास बैठे हुए थे उन्होंने इस आज्ञा को कार्यान्वित करने में बाधा पहुँ-चाई और मार्ग में कुर्सियाँ आदि रख दीं, इसलिये उन्हें तीन और वाच एन्ड वार्ड के अधिकारियों को अपनी सहायता के लिये बुलाना पड़ा। सार्जेन्ट एट आर्म्स से आगे विशेष पूछताछ करने पर यह पता चला कि नीचे लिखे सदस्यों ने सार्जेन्ट एट आर्म्स को श्री हरिकृष्ण व्यास को सदन से हटाने की उपाध्यक्ष की आज्ञा को कार्यान्वित करने में बाधा पहुँचाई है:—

(१) श्री भैरूंसिंह (खाचरियावास)

(२) श्री मुक्तिलाल मोदी।

(३) श्री गोपीलाल यादव।

(४) श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

(५) श्री मंगलसिंह कछवाहा।

यह स्पष्ट है कि जो विशेषाधिकार का नोटिस, श्री बसवन्तसिंह ने दिया है वह सार्जेन्ट एट आर्म्स की रिपोर्ट से अभिन्न रूप से सम्बन्धित है इसलिये इन दोनों का निर्णय एक साथ ही करना उचित होगा।

माननीय सदस्य भली भाँति परिचित हैं कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है, यह प्रश्न अनुमति दिये जाने का है। साधारणतः ऐसे प्रश्नों की प्राथमिक जाँच की जाती है जिससे यह ज्ञात हो सके कि विशेषाधिकार का प्रश्न तत्व रूप से (प्राइमाफेसी) विद्यमान भी है और उस पर अनुमति दी जानी चाहिये। यदि प्राथमिक जाँच में ऐसा कोई प्रश्न दृष्टिगोचर नहीं होता तो उसके लिये कोई अनुमति नहीं दी जाती।

[श्री अध्यक्ष]

उपरोक्त विशेषाधिकार के प्रश्न में ३ मुद्दे उठाये गये हैं जो नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(१) सार्जेन्ट एट आर्म्स और चार वाच एन्ड वार्ड स्टाफ के सदस्य केवल तथाकथित हैं जिनसे तात्पर्य यह निकलता है कि वस्तुतः वे अधिकार सम्पन्न वैधानिक अधिकारी नहीं थे।

(२) वे असेम्बली के नियमित कर्मचारी नहीं थे।

(३) वाच एन्ड वार्ड के चार सदस्यों को उपाध्यक्ष की ओर से कोई आज्ञा नहीं थी। किसी सदस्य को स्पर्श करना तो दूर रहा वे सदन के अन्दर प्रवेश करने के भी अधिकारी भी नहीं थे।

पहले प्रश्न के बारे में यह बुद्धिगम्य नहीं हुआ कि तथाकथित सार्जेन्ट एट आर्म्स से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ? सदन का सत्र जब चालू होता है हम राज्य के विभागों से असेम्बली में काम करने के लिये अधिकारियों की मांग करते हैं और ऐसे सारे अधिकारी जब तक वे असेम्बली में काम करते हैं, इस सदन के सीधे मातहत हैं। वे सदन के अध्यक्ष से आज्ञा प्राप्त करते हैं और सारे व्यावहारिक कार्य के लिये इसी असेम्बली सेक्रेटेरियट के वाच एन्ड वार्ड स्टाफ के सदस्य हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी तथाकथित नहीं हैं किन्तु वास्तविक रूप में सार्जेन्ट एट आर्म्स और वाच एन्ड वार्ड स्टाफ के सदस्य हैं जिनको अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर आज्ञायें प्राप्त होती हैं।

दूसरे प्रश्न के बारे में यह स्वीकार किया जाता है कि ये लोग असेम्बली के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। किन्तु इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं निकलता कि ये असेम्बली के कर्मचारी कदापि नहीं माने जा सकते। ये सत्र में काम करने वाले अन्य अस्थायी कर्मचारियों की भाँति ही कर्मचारी हैं और उनका अस्थायी होना उनके किसी कार्य में, जो ये करते हैं, अनुचित या अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य उतना ही वैधानिक है जितना असेम्बली के स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया गया होता है।

तीसरा प्रश्न यह है कि वाच एन्ड वार्ड के कर्मचारियों को उपाध्यक्ष द्वारा श्री हरिकृष्ण-व्यास को बाहर ले जाने के आदेश स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, यह ठीक है; किन्तु माननीय सदस्यों को यह स्मरण होना चाहिये कि सर्व प्रथम उपाध्यक्ष से आज्ञापित होने पर सार्जेन्ट एट आर्म्स ने ही सदन में प्रवेश करके श्री हरिकृष्ण व्यास से सदन से बाहर जाने की प्रार्थना की। श्री व्यास पहले भी सदन से बाहर चले जाने की उपाध्यक्ष के आदेश की अवहेलना कर चुके थे। श्री हरिकृष्ण व्यास ने सदन से बाहर जाने से अस्वीकार किया और कुछ माननीय सदस्य सार्जेन्ट एट आर्म्स के आज्ञा-पालन करने के कर्तव्य में बाधा डालने लगे। ऐसी परिस्थिति में सार्जेन्ट एट आर्म्स को अपने अधीनस्थ वाच एन्ड वार्ड के अधिकारियों की सहायता लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहा और उसका यह कार्य बिल्कुल उचित था। उपाध्यक्ष की आज्ञा का पालन उसे हर परिस्थिति में करना था और वह अकेला उसे करने में अशक्त था। उपाध्यक्ष और सदन इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सार्जेन्ट एट आर्म्स के लिये श्री हरिकृष्ण व्यास को बलपूर्वक सदन से बाहर ले जाने के निमित्त दूसरे

[श्री अध्यक्ष]

कर्मचारियों की सहायता लेना आवश्यक हो गया था। उपाध्यक्ष की अनुमति इस कार्य के लिये आवश्यक थी और यदि आवश्यक थी तो वह इस आज्ञा में निहित थी।

उपर्युक्त कारणों से मैं समझता हूँ कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उसमें कोई बल नहीं है और इसलिये मुझे इस प्रश्न पर अपनी अनुमति देने में असमर्थता है।

अब प्रश्न सार्जेन्ट ऐट आर्म्स द्वारा दी गई रिपोर्ट का रह जाता है। मुझे यह प्रतीत होता है कि सदन के कतिपय सदस्यों ने सार्जेन्ट एट आर्म्स के उक्त कर्तव्य में श्री हरिकृष्ण व्यास को सदन से बाहर ले जाने में बाधा पहुँचाई। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह बहुत गम्भीर मामला है। यह सारे सदन के सम्मान का प्रश्न है और जो आज्ञा सदन के तत्कालीन अध्यक्ष ने दी उसकी अवहेलना से सारे सदन का अपमान होता है। जो सदस्य सदन के अध्यक्ष की अवहेलना करते हैं वे न केवल सदन से बाहर निकाले जाते हैं किन्तु इससे वे सदन की शोभा या प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि नहीं करते। इस तरह की अवहेलना हमारे जनतन्त्र की जड़ को खोखला करने की प्रवृत्तियां हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और यह आवश्यक है कि विशेषाधिकार कमेटी उक्त प्रश्न की जाँच करे और मैं स्वयं इसे प्रशासन-प्रक्रिया की धारा ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को इसकी परीक्षा, जाँच और रिपोर्ट के लिये भेजने की आज्ञा दे सकता था, परन्तु जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि थोड़े दिनों से सदन में जो वातावरण फैलाये जाने की चेष्टा की जा रही है उसका अन्त किया जावे। मैंने इ सही भावना से प्रेरित होकर इतना समय माननीय सदस्यों को दिया था कि वे इस पर विचार करें और ठंडे दिमाग से विचार करें। परन्तु सम्भवतः अभी इसके लिये थोड़े समय की और आवश्यकता है इसलिये मैं इस प्रश्न पर स्वयं कोई कार्यवाई करने का आदेश नहीं करता यदि कोई भी सदन के सदस्य पृथक से इस पर प्रस्ताव करें तो विचार किया जा सकता है। अस्तु।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order Sir, reference to an orders having been issued on me by the Hon'ble Deputy Speaker to quit this Chamber are not corresponded by the proceedings of the House on that day; so which should be taken as authentic ?

श्री अध्यक्ष—There is no point of order. If you have any grievance against the proceedings which have taken place in the House you can come to my chamber and discuss. There is no point of order .

(श्री हरिकृष्ण व्यास बोलने को उद्यत)

Come to order please.

If there is any point of order I am always ready to decide, but if the Hon'ble Member has any dispute regarding the proceedings taken in the House

[श्री अध्यक्ष]

he can come to my chamber and lay his objections. I have got a verbatim recording of that and the Hon'ble Member from opposition and all others have admitted the correctness of these proceedings.

कु० श्री जसवन्तसिंह—We have admitted but the treatment meted out to the opposition is also known to all.

श्री अध्यक्ष—I have never done any injustice to the opposition, I have allowed leniency to the opposition.

कु० श्री जसवन्तसिंह—If the House has confidence in the Speaker we are prepared to challenge it.

श्री अध्यक्ष—Come to order please ! I have given you sufficient leniency to discuss everything even if it was not in a procedural and constitutional way and it is no use to adopt it any longer as your intention here on the floor of the House is just to lower the dignity and grandeur of the House.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Who is responsible for that, Sir !

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक, १९५२
(अग्रेत्तर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—We come to the Private Members' Business to discuss further on the following motion moved by Shri Gopilal Yadav:—

"That the Bill to provide for the prohibition of animals and birds sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise be taken into consideration."

We have discussed on this Bill, the Constitutional aspect and heard the views placed before the House by the Advocate General. If any Hon'ble Member wants to say on the legal aspect of that—rather repudiate the points raised by the Advocate General—I will give an opportunity.

श्री अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, चूँकि आप खड़े थे इसलिए मैंने खड़े होकर

[श्री वेदपाल त्यागी]

निवेदन करना उचित नहीं समझा। अब मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष—आज के बिजनेस पर है तब तो कोई बात नह....

श्री वेदपाल त्यागी—आपने पहले कहा था......

श्री अध्यक्ष—मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता। एक चीज़ कहनी है उसी को आप बार-बार कहना चाहते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—I want to rise on a point of order.

श्री अध्यक्ष—What is that point of order ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—I want to raise a point of order, where the motion moved by Shri Vedpal Tyagi about no-confidence in the Speaker has gone ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member had discussed with me this point in my chamber yesterday and I don't think he has a right to raise this point here on the floor of the House. As I see the Hon'ble Member wants to raise certain questions under the guise of a point of order where there is no point of order.

श्री वेदपाल त्यागी—This may be, but the question raised by Mr. Jaswant Singh should be clarified.

श्री अध्यक्ष—Neither the Hon'ble Member is anxious nor the Member who has raised the point of order; he knows the situation.

श्री भैरोंसिंह—We are all anxious.

श्री हरिकृष्ण व्यास—We want to know.

श्री अध्यक्ष—Now we want to proceed further.

They can talk to the Dy. Speaker because he was in the chair on that day. He made announcements. They can discuss with the Dy. Speaker. I am not going to discuss here anything regarding this.

Page No.51

कुं० श्री जसवन्तसिंह—There is a point of order. I want a decision on the point of order.

श्री अध्यक्ष—There can be no point of order in vacuum. There are no proceedings which could offer a point for raising a point of order. If he says any-thing specific we would hear him, otherwise there is no point of order.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is my right to raise a point of order and it is your right to disallow. But if you don't propose to listen to me, well we are prepared to submit to that also; but that will accumulate and burst out.

श्री अध्यक्ष—I am here not to hear any threat on the floor of the House. So far as I am in the chair I am not prepared to hear any threat. The Hon'ble Member is free to take any action he likes and he has already done to worsen the dignity and prestige of the House and even free to adopt, inspite of all the efforts and leniecy, such coercive methods. I appeal to the Hon'ble Members to take serious notice of this. It is not a question of a personal think, but it is a question of the dignity and prestige of the whole House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, I don't question the correctness of the proceedings of the 21st and I am afraid my point was not listened to earlier. I said that in the proceedings of the 21st there is no mention of the Hon'ble Dy. Speaker having ordered me to get out of the House whereas in the ruling given by the Speaker it has been surreptitiously put that Shri H. K. Vyas has defied that order. I want to know which is more authoritative-the proceedings of the 21st admitted as correct or the ruling in which surreptitiously some threats have been put in now ?

श्री अध्यक्ष—There is no question of surreptitiously putting it. The judgment has been based on the proceedings recorded in the House. If the Hon'ble Member has any dispute regarding the proceeding of the House he can come and see me. I can assure him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In the proceedings there is no such mention.

श्री अध्यक्ष—You come to order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But listen me.

श्री अध्यक्ष—There is no point of order. You are not in the possession of the House. So far as I stand—the chair is on its legs—you should......

(व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण व्यास—But you should also give me an apportunity to stand.

श्री अध्यक्ष—You have had an opportunity to stand, not otherwise than you caught my eyes and I allowed you. Now permission cannot be given on questions on which the Hon'ble Member disputes the very proceedings of the House. They have no right to disturb the proceedings of the House. They should not be guided with high feelings. I am prepared to give every reasonable hearing to him just I have been doing already. Now I am unable to do so because they had some objections formerly and I gave them patient hearing Nothing reasonable will satisfy the opposition or......

श्री हरिकृष्ण व्यास—I feel exception to this, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

(सदस्यों में परस्पर वार्तालाप)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Aspersions should not be cast.

श्री अध्यक्ष—I will just like to explain if the......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then this must be discussed. There cannot be one sided aspersions.

श्री अध्यक्ष—There have been aspersions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not against the chair.

श्री अध्यक्ष—You should maintain the decorum and the dignity of the House. If you have to say anything about the correctness of what I have said, you can come to me; but if you want to raise discussions over it, just now. I am not going to allow. I am prepared to give time if you proceed in a constitutional way. If you dispute I am prepared to challenge the correctness of what I have said.

Now we come to the discussion on the Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I move that the word 'nothing reasonable will satisfy the opposition' are aspersions and should be expunged from the proceedings of the House. Such aspersions have never been made in any legislative assembly in India.

श्री अध्यक्ष—Those who want to speak on the Birds and Animal Sacrifices Bill will speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it that my request has deen rejected, Sir ?

श्री अध्यक्ष--Yes.

कु० श्री जसवन्तसिंह—At least our protest should be registered.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Have you rejected my request ?

श्री अध्यक्ष—Come to order please. Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the ruling ?

श्री अध्यक्ष—There is no point for giving any ruling.

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री बोलने के लिए खड़े होते हैं)

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want one more information, Sir.

श्री अध्यक्ष—Let him speak first. Then you can seek information.

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम...

(सदन में शोर होने के कारण तथा माइक खराब होने के कारण अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is one piece of information.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय..

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Come to order please. The Hon'ble Member is in possession of the House and you should not disturb.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इस सम्बन्ध में......

कु० श्री जसवन्तसिंह—Since the Speaker is not prepared to expunge, in protest it is only open for us to walk out of the House. There is no dignity of the House, how could it be maintained ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to seek a piece of information.

Page No.54

श्री अध्यक्ष--You can seek it in my chamder.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has ever a privilege motion been delayed for two months ?

श्री अध्यक्ष—Come to order please ! Order please !!

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान 'निरोधक' विधेयक १९५२

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशु-पक्षी बलिदान निरोधक बिल, जो इस सदन में पेश है, उस बिल का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आज धर्म के नाम पर हजारों बकरों, भैंसो का बलिदान किया जाता है, मन्दिरों में उनका बलिदान किया जाता है। पर यह सब स्वार्थवश किया जाता है।

आपने स्वयं ने देखा होगा, दशहरे के दिनों में लोग शराब पीकर हजारों भैंसों का देवी के नाम पर बलिदान करते हैं और मांस को देवी का प्रसाद मान कर खाते हैं। इस प्रथा से दलित जातियों, आदिवासियों का अधः पतन होता है, दिनरात लड़ाई झगड़े होते हैं, सामाजिक पतन होता है एवं हीनता आती है। साथही सन्तति पर भी बुरा असर पड़ता है।

दूसरे इससे हमारे राज्य के पशुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जाती है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल--On a point of order, Sir. क्या यह कॉन्स्टीट्यूशनल या वैधानिक बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष—When the Hon'ble Member is speaking what is the point of order ?

श्री हरीशंकर सिद्धान्तशास्त्री—इसके अलावा आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े शहरों में गरीब बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं......(चारों ओर शोर) (अस्पष्ट)

श्री सज्जनसिंह—On a point of order, Sir, the mover of the Bill is not present in the House. Shall we continue discussion on this Bill ?

(श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—The legal issue of this Bill was being discussed and it was not completed और कानून की इसके अन्दर जो बहस चल रही थी कि यह लिया जा सकता है या नहीं, यह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं है, इस बात पर बहस हो रही थी, तो उसी सिलसिले में वह बहस नामुकम्मिल रही थी, तो यह मौका फिर दिया जा रहा है कि इसके बारे में सदस्य कुछ

[श्री उपाध्यक्ष]

कहना चाहें तो कहें। कानूनी बहस के अलावा और कोई बहस नहीं होगी। कानून की बात तय हो जाने के बाद यह बिल आयेगा आपके सामने तो फिर इस पर वादविवाद होगा।

जो बोलना चाहें, कानून के लिहाज से लिया जाना चाहिए और इस पर कोई रोक नहीं हो, यह बात लेकर बोलना चाहिए।

(वाक आउट करने वाले सदस्यों के वापिस आने पर)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी वैधानिक प्वॉइन्ट पर मैं आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो बुरी प्रथाएं हैं उनका बुरा असर पड़ता है और लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य के खराब होने पर मोरेलिटी खराब होती है और लोगों की सभ्यता खराब होती है।

श्री कानसिंह—(बोलने के लिए खड़े होते हैं)

श्री उपाध्यक्ष—सदन की वह लिस्ट मुझे मिल चुकी है। जो बोल चुके हैं वह अब नहीं बोलेंगे, जो नहीं बोले हैं वह बोलें; लेकिन एक-एक दफा ही बोलने की बात है।

श्री कानसिंह—कानून की बात तो एडवोकेट जनरल ने कह दी है।...

जो माननीय सदस्य ने यह बात कही कि इस प्रकार से जनता पर बहुत असर पड़ता है, यह हाउस की परम्परा के खिलाफ है।...

श्री उपाध्यक्ष—यह उनको कहने दीजिये। अपनी-अपनी राय है। बाद में आप जवाब देदें कि यह गलत है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में माननीय एडवोकेट जनरल ने जो राय बताई थी उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रख देना चाहता हूँ उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ को कोट (quote) किया था और उन्होंने यह बतलाया था कि इस बिल से हमारी धार्मिक स्वतन्त्रता को आघात पहुँचता है, इस प्रकार का बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तथा ऐसे ही बिल अन्य रियासतों में पास हो चुके हैं। पहले ट्रावन्कोर रियासत में सन् १९५१ में इस प्रकार का बिल पास किया गया था, मद्रास में १९५० में इस प्रकार का बिल पास किया गया था और मैसोर में भी इसी प्रकार का बिल सन् १९४८ में पास किया गया जिसे राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृत कर लिया है। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद २५ (२) में लिखा है कि—

"Nothing in this article shall affect the operation of any existing law to prevent the State from making any law

[श्री हरीशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice."

इस बिल से किसी के धर्म को आघात नहीं पहुँचता है और विधान में भी यह अधिकार दिया हुआ है कि इस प्रकार धर्म के नाम पर जो हत्या होती है उससे हमारी सभ्यता पर बहुत खराब असर पड़ता है और हमारी मोरेलिटी गिरती है। इसलिए इस प्रकार के कानून हम बना सकते हैं।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा मैं आप से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इससे जानवरों की बहुत बड़ी हानि होती है। दूध देने वाले पशु मारे जाते हैं तो उन जानवरों की रक्षा के लिए, ऐसे दूध देने वाले जानवरों की रक्षा के लिए जिनके दूध से बल बढ़ता है हमारी तन्दुरुस्ती ठीक होती है, ऐसे जानवरों को मारने के लिए यह वैधानिक कानून बनाना है जिसका अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिया हुआ है और वह स्पष्ट है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माननीय Advocat General का यह कहना या राय देना भारतीय संविधान की २५ वीं धारा के अन्तर्गत हम इस प्रकार का कानून नहीं बना सकते हैं, यह मेरी राय में बिल्कुल गलत है। यदि उनकी यह राय सही होती तो भारत सरकार इस प्रकार के कानूनों को जो अन्य रियासतों में बने हैं किस प्रकार से पास करती ? यह विषय विचारणीय है। अतः मैं सदन से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि सदन इस पर विचार करे, यह बहुत बुरी प्रथा है; इसको बन्द कर देना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर से यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि धार्मिक संस्थाओं के अन्दर यानि जहाँ मन्दिर हैं, उसके अन्दर कोई बलिदान नहीं किया जाय। खुद के लिए, मारकर मांस खाने वालों के लिए जो इस प्रकार गलत अर्थ लगाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जहाँ मन्दिर हैं, जहाँ कि देवता का स्थान है वहाँ पर इस प्रकार के पशु नहीं काटे जाँय, देवताओं के नाम पर बलि नहीं की जाय? हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ इस पर किसी को एतराज नहीं है। आप देखते हैं, कि देवता न खाते हैं और न कुछ कहते हैं। हमीं लोग देवता के नाम पर पशुओं को काट-काट कर उनका खून बहाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, जहाँ तक इस पशुबलि के सिलसिले में बिल आया, और कुछ मित्रों ने इसका विरोध किया खास तौर पर एडवोकेट जनरल महोदय से कांस्टीटयुशनल और लीगल राय माँगी गई तो उन्होंने यह कह दिया कि कॉंस्टीट्युशनली यह उचित नहीं है और उन्होने रेफर किया आर्टिकल २५ को जो डील करता है "Right to freedam of Religion." मैं अर्ज करूं कि २५ वें आर्टिकल का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें साफ लिखा है कि "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess,

[श्री श्रीदास गोयल]

practise and propagate religion. तो सबसे पहले आर्टिकल २५ (१) है उसमें कई कंडीशन्स लगादी हैं कि फ्रीडम ओफ रिलीजियन के साथ-साथ बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। यदि उन कंडीशन्स का ब्रोच होता है तो वह कानून द्वारा 'फ्रीडम' ऑफ रिलिजियन वर्जित किया जा सकता है।

अब मैं इस सिलसिले में, जैसा कि अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा, बताऊंगा कि कुछ बी. स्टेट्स में इस प्रकार के कानून पहले से ही बने हुए हैं। लेकिन मैं १९५५ ए. आई. आर. बोम्बे के चीफ जस्टिस छागला की रूलिंग कोट करता हूँ आपकी खिदमत में, जिसमें रेफर किया गया है कि रिलिजियस फ्रीडम किस तरह की है और किस तरह से वैधानिक करार देनी चाहिये : "After a perusal of Article 25 it would appear that the crux of the matter is one namely; sacrifices at places of worship is religious practice or secular activity associated with the religious practice. If it affects public order, morality and health it could be controlled. The distinction between religious practice and secular activity associated with this has been brought out in a Bombay decision. 35 Bombay 242, His Lordship observed, "There are religions which bring under their own cloak every human activity. There is nothing which a man can do, whether in the way of clothes or food or drink, which is not considered a religious activity. But it would be absurd to suggest that a Constitution for a secular State ever intended that every human and mundane activity was to be protected under the guise of religion."

This is a very important ruling given by the Chief Justice of Bomby. Similarly I am quoting another ruling of the Supreme Court of America because our Constitution has been guided by the Constitution of England and America and that is why this becomes incumbent and necessary for me to quote the ruling of America's Supreme Court. In 1889 the Supreme Court of America was to deal with polygamy. Mr. Justice Bradley of the Supreme Court of America observed as follows :—

"One pretence for this obstinate course is, that their belief in the practice of polygamy, or in the right to indulge in it, is a religious belief, and therefore under the protection of the constitutional guaranty of religious freedom. This is altogether a sophistical plea. No doubt the Thugs of India imagined that their belief in the right of assassination was a religious belief; but their thinking so did not make it so. The practice of suttee by the Hindu widows may have sprung from a supposed religious conviction. The offering of human sacrifices by our own ancestors in Britain was no doubt sanctioned by an equally conscientious impulse. But no one, on that account, would hesitate

[श्री सन्तोषसिंह]

में सदन को यह बताना चाहूँगा कि यह रिलीजियस कामों में बाधा देता है कि नहीं ? कोई भी धर्म पशु बलि की इजाजत नहीं देता और न इसमें कोई कानूनी बाधा ही आती है। यह मैं हरेक धर्म के आधार से बताने की कोशिश करूँगा।

सब से पहले मैं, मुस्लिम धर्म में इस 'सेक्रिफाइस ऑफ एनीमल्स एन्ड बर्ड्स' को मना किया है, इस बात को बताने की कोशिश करूँगा। इसके अन्दर कुरान की एक आयत में कहा है कि अपने पेट को जानवरों की कब्र मत बनाओ। जब कि मुस्लिम धर्म भी कहता है कि मांस खाना मना है तो इसमें कानूनी कोई एतराज नहीं होता।

एक और आयत, के अनुसार मरे हुए जानवर का मांस, जानवर का खून और सूअर का मांस हराम करार दिया गया है।

एक और आयात में लिखा है कि खुदा को जानवर का मांस या खून कभी नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल की पवित्रता पहुँचती है। तो इसमें धार्मिक आपत्ति आ ही क्या सकती है ? मुस्लिम धर्म में साफ लिखा है कि किसी जानवर का मांस खाना हराम है तो धर्म पर आक्षेप की बात पैदा ही नहीं होती।

इसके बाद में आपको ईसाई मत के अन्दर बताऊंगा कि मसीह ने परमात्मा से प्रार्थना की है कि आज की रोटी हमको दे।

अगर ईसामसीह मांस खाते होते तो प्रार्थना करते कि हे प्रभो ! रोटी ही नहीं बल्कि साथ में एक मांस का टुकड़ा भी दे। तो इससे साबित होता है कि ईसा मसीह मांस खाने वाले नहीं थे, बल्कि दयालु थे; इसीलिए रोटी की प्रार्थना की। ईसाइयों के धर्म ग्रन्थों में भी मांस खाने की मनाही लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि इस कानून के बारे में ईसाई धर्म को भी आपत्ति नहीं होगी। इंजील के बाब १६ में लिखा है कि :

"जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आँखें छुपाऊंगा और जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा जब कि तुम्हारे हाथ खून से भरे होंगे"..........

ये बातें ईसामसीह ने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताई हैं। तो इस तरह हमारे ईसाई धर्म में भी इस कानून से धार्मिक बाधा नहीं आती।

इसी प्रकार हमारा जैन धर्म तो 'अहिंसा परमो, धर्मः मानता है। इसके लिए विशेष कहने की जरूरत नहीं है।

[श्री श्रीदास गोयल]

to brand these practices, now, as crimes against society, and obnoxious to condemnation and punishment by the civil authority."

ऐसी हालत में यह बहुत स्पष्ट निवेदन है कि आर्टिकल २५ का जब कन्सीड्रेशन किया जाय तो "freedom of religion" का यह अर्थ नहीं है कि हरेक एक्टिविटी किसी प्रकार भी "freedom of religion" हो जाती है और आर्टिकल २५ के कोटेशन में आता है। "freedom of religion" के सिलसिले से यह उसको ब्रीच करने वाला नहीं है, तो वह "public order, morality and health and to the other provisions of this part." के अन्तर्गत आता है।

यह जो एनिमल सेक्रीफाइस गोडेसेज़, देवताओं के सामने किया जाता है, आया वह फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तारीफ में आता है। जैसी तीन-चार एग्जेम्पल्स कोट की गई कि पहले सती प्रथा थी, मनुष्यों का वध किया जाता था, वह अब पशुओं तक सीमित रह गया, कई सदियों से जो प्रथाएँ थीं जंगल में रहने वालों की तमाम प्रथाएँ बन्द होती जा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन के हरेक पहलू में कदम-कदम पर रिलीजियन लागू है। एक मनुष्य का गर्भाधान संस्कार होता है वहाँ से अन्त में मृत्यु तक हरेक चीज में वहाँ रिलीजियन है। कांस्टीट्युशन की २५ वीं धारा का गलत मतलब लगाकर रुकावट नहीं डाली जा सकती है।

अन्त में मेरा यही निवेदन करना है कि एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, गोडेस भवानी के सामने करते हैं, जिनको हम भारतीय जीव मात्र की मां कहते हैं उसी मां के सामने उसी के बच्चों को सेक्रीफाइ किया जाय, और उसे "रिलीजियस एक्टीविटी" कहा जाय और यह कहा जाय कि फ्रीडम ऑफ रिलिजियन, के आर्टिकल्स से प्रोटेक्टेड है, यह एक अशोभनीय दलील है। लेकिन यह भी निहायत जरूरी है कि इस दलील को देते हुए जैसा कि एडवोकेट जनरल मध्य भारत ने एक जगह कोट किया है कि यदि कुछ लोग अपने घर से ऐसी प्रथाएँ चालू कर कर देते हैं जिनको बाद में रिलीजियन का नाम दे दिया जाता है। मन्दिर हरेक के लिए खुले हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। मनु के कोटेशन से जाहिर होता है कि दस बातें जो बतायी हैं मनुष्य जीवन के लिए, उनमें अहिंसा को ऊँचा स्थान दिया गया है। पूज्य बापू भी अहिंसा के प्रतीक थे और अहिंसा को उन्होंने कितने व्यापक रूप से मनुष्य जीवन में उतारा। एडवोकेट जनरल राजस्थान ने आर्टिकल २५ को कोट करके 'फ्रीडम ऑफ रिलीजियन' से इसको प्रोटेक्टेड कहा है। वह सही नहीं है और जो बिल श्री गोपीलालजी यादव ने प्रस्तुत किया है उसको पास करने करने में कोई कांस्टीट्युशनल अड़चन नहीं आती।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष, अभी सदन में जो राजस्थान एनिमल एन्ड बर्ड सेक्रिफाइसेज़ 'एबोलिशन' बिल आया है और उसके अन्दर कानूनी बात पूछी गई है, उसके मुतल्लिक

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

बौद्धधर्म के अनुसार भी मांस खाना अधर्म है और वह अहिंसा के कदमों पर चलता है। यह जो मांस खाने की प्रथा भारतवर्ष में सबसे पहले चली वह वाम-मार्गियों का धर्म चला, तब से चली। वाम मार्गियों ने लोगों को कहा कि पशुओं को मार-मार कर बलि चढ़ाई जाय। अपने बच्चों की खैर के लिए उन्होंने लोगों को पशुओं की बलि देने का उपदेश दिया। इसके बाद जब महात्मा गौतम बुद्ध हुए तो उन्होंने देखा कि मानव-जीव अभी बहुत ही बुरी हालत में है; तो उन्होंने अपने उपदेशों से पशु बलि के विरुद्ध प्रचार किया और उन्होंने लोगों से हिंसावाद छुड़ा दिया। इस सिलसिले में मैं बताऊंगा कि गोरखपुर में सारी दुनियाँ के; चीन, जापान, बर्मा, नेपाल, भूटान वगैरह बौद्धधर्म के अनुयायी, बुद्ध निर्वाण के दिन एकत्रित हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को मांस का भोग न लगा कर खीर का भोग लगाया। इससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक हमारे यहाँ किसी भी जगह मांस का भोग लगाना गुनाह ही समझा है।

अब यहाँ यह सवाल आता है कि बलि काली माता, चामुण्डा माता के नाम से चढ़ाते हैं लेकिन इसका तात्पर्य क्या था? इन लोगों ने समझा नहीं। देवी की मूर्ति देखने से साफ जाहिर हो जाता है कि वह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में खप्पर लिये हुए और मुण्डों की माला पहने हुए राक्षस की छाती पर चढ़ी हुई है। इसको उन्होंने समझा नहीं, केवल अपने स्वाद के लिए बलि चढ़ाना समझा है। वास्तव में बात यह थी कि उस वक्त जब मुसलमानों का राज्य था उस वक्त स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, तो हरेक औरत अपने हाथ में तलवार निकालती; उसका रूप है, यह बताने के लिए कि औरत कितनी बहादुर है।

इसलिए मेरा बताने का मतलब यह है कि सारे धर्म जब इसमें आपत्ति नहीं करते हैं तो तो सदन इसको जल्दी से स्वीकार करके मन्जूर करें।

श्री भोपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरी राय यह है कि यह जो बिल सदन के सामने पेश हुआ है, इसमें धर्म पर आघात किया गया है। धर्म, जो आदमी जैसा मान कर चले उसको धर्म कहना चाहिये। कोई कहते हैं कि बाइबल में यह लिखा है तो कोई कहते हैं कि कुरान में यह लिखा है। जिन लोगों के धर्म में पशु देवताओं को चढ़ाना है और जो देवताओं के नाम पर ऐसा करते हैं उनके धर्म सुन लीजिए। उनके धर्म में ऐसा है। आप अपने धर्म में उसको क्यों मिलाते हैं? इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल ने अपनी राय भी देदी है और उससे ज्यादा आपको लीगल राय कौन दे सकता है? ऐसी सूरत में अगर यह बिल पास किया जावेगा तो मैं यह कहूँगा कि एक वर्ग विशेष पर प्रहार होगा। मालूम होता है कि आपने एक वर्ग विशेष पर पहले ही काफी हमला कर दिया है। उनकी जमीनें छीन ली है, जागीरें जब्त कर ली हैं, उनके हकूक छीन लिये हैं। अब आप उनके खाने तक को भी कोसना चाहते हैं?

Page No.61

[श्री भोपालसिंह]

अगर आपको किसी विशेष वर्ग से विरोध है तो छोड़ कर जाने व मरने के लिये तैयार हैं। मैं यह बता दूं कि अगर आपको ऐसा करना ही है तो सारे हिन्दुस्तान में करना चाहिये। मुसलमानों को बकरा काटना बन्द कराना चाहिये। अगर सब के लिये यह हो जावेगा तो हम भी इसको मंजूर करने के लिये तैयार हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि राजपूत देवताओं के नाम पर बकरा नहीं काटें और अगर आपका यह कानून है तो हम इसके लिये तैयार हैं। आप जो कुछ भी चाहें करें। हम भी उसका पालन करने के लिये तैयार हैं। आप एक दफा बकरा आदि काटना बन्द कर दीजिये। हम आपको मदद देंगे और इसमें शरीक होंगे। यह मेरा अर्ज करना है, अगर आप यह चाहते हैं कि दूसरों के लिये बन्द न हो और हमारे लिये ही बन्द हो और हम अपने देवी-देवताओं को नाम पर बलि नहीं कर सकते तो यह मेरी राय है कि आप इस प्रकार से हम पर हमला मत करियेगा।

श्री मोटाराम चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एनिमल एन्ड बर्ड सेकरीफाइसेज़ एबोलिशन का बिल सदन में रखा गया है वह बहुत ही सुन्दर है। राजस्थान में देवताओं के नाम पर कई बकरे और भैंसे काटे जाते हैं। जब दशहरा मनाया जाता है तो एक ही दिन में सैकड़ों बकरे और भैंसे काटे जाते हैं। राजस्थान में भैंसे हैं, वे खेती में बैलों की जगह काम आ सकते हैं। आज राजस्थान में हजारों भैंसे बलिदान में काम लेते हैं। इसलिये राजस्थान में भैंसों की संख्या आगे ही बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा नेताओं से कहता हूँ कि राजस्थान में बलिदान और देवताओं के नाम पर हजारों बकरे और भैंसे काटे जाते हैं। अगर लोगों को मांस ही खाना है तो अलग मिल सकता है। तो फिर देवताओं के नाम पर बलिदान क्यों करते हैं, यह अच्छा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूँ कि हमारी काँग्रेस सरकार गरीबमिनखों के सामने बता दे कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में बलिदान बन्द करना चाहती, है उसके बारे में काँग्रेस को अविश्वास लाना चाहिये और गरीब मिनखों की बात को ध्यान में रखना चाहिये। इसलिए मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बलिदान देवताओं के नाम पर नहीं चाहिये और भैंसे तो बिलकुल ही बलिदान नहीं होने का कानून बनाना चाहिये।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, क्या आप लीगल पोइन्ट पर बोल रहे हैं?

श्री मोटाराम चौधरी—मुझे आप बोलने दें। बाद में आप भी बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मै तो आपके द्वारा साफ बताना चाहता हूं कि हमारे पुराने और मोटे लोग यह कहते हैं कि काँग्रेस ने अत्याचार करावे है और बलिदान करावे है। उसके लिए तो मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बलिदान को रोकने की बात है, यह पास होनी चाहिये और भैंसे तो देवताओं के नाम पर हरगिज नहीं कटने चाहिये। अतः इस बिल को पास करना चाहिये।

Page No.62

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, 'राजस्थान एनिमल एण्ड बर्ड्स सेक्रीफाइसेज़ एबोलिशन बिल, १६५२' पर आज बहस हो रही है। इस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ, इस बिल के चार आस्पेक्टस हो सकते हैं: (१) लीगल आस्पेक्ट (२) रिलीजियस आस्पेक्ट (३) मोरल और (४) इकोनोमिकल आस्पेक्ट। हमने एडवोकेट जनरल की कानूनी सलाह इस विषय पर क्या थी वह गत अधिवेशन में सुनी। मैं समझता हूँ कि हाउस को उससे बहुत कुछ संतोष हो गया होगा। फिर भी मैं लीगल आस्पेक्ट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। हम भारतवर्ष के कॉन्सटीट्यूशन के प्रति वफादार हैं और खास कर एसेम्बली के सदस्य होने के नाते, जिन्होंने वफादारी की शपथ भी ग्रहण की है। हमें लिगल आस्पेक्ट पर विचार करते समय सबसे पहले कोन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया को देखना है। अगर हम भारत के संविधान के प्रिएम्बल को देखते हैं जो सबसे पहले है तो उसमें भी लिखा है कि इक्वेलिटी किस-किस बात की होती है:—"equality of status and of opportunity and to promote among them all..." इसके बाद लिबर्टी (liberty) किस-किस की होगी कि:—"liberty of thought, expression, faith and worship," तो वर्शिप (worship) की लिबर्टी (liberty) दी गई है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं का यह हक है कि जिस प्रकार वे चाहें अपने देवताओं को वर्शिप करें। फिर भी हमारे सामने यह बिल प्रस्तुत है, जो वर्शिप की लिबर्टी (liberty) पर हमला करने वाला है इसके बाद हम आगे संविधान को देखते हैं तो उसमें अनुच्छेद १५ में साफ दर्ज है कि: "*Prohibiton of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.* The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them."

तो इससे यह साफ जाहिर है कि स्टेट worship के performance के बारे में discrimination नहीं करेगी, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो मालूम होता है कि यह पहला discriminatory बिल है। जब संविधान में वर्शिप के लिये आजादी है और वह हर तरह से परफोर्म कर सकता है; तो फिर एक वर्ग पर इस बिल के द्वारा क्यों यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि वे अपना वर्शिप स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं कर सकें। अस्तु।

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो बिल है वह सरासर डिस्क्रिमिनेटरी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायोलेट करने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इसके लीगल आसपेक्ट को भी देखें, यदि हम कोन्स्टिट्युशन के अनुच्छेद २५ को देखें तो हमें पता चलेगा कि उसमें ज्यादा आजादी mode of worship, freedom of religion पर दी गई है। "freedom of religion" पर अनुच्छेद २५ यह कहता है कि:—

"Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

[रावत श्री शम्भुसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद २५ के द्वारा जो धर्म की स्वतन्त्रता हमें कॉन्स्टिटयुशन के द्वारा प्रदान की गई है उसमें उस स्वतन्त्रता का अपहरण और हनन करने वाला यह बिल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें पूरी स्वतन्त्रता है धार्मिक मामलों में । हम जिस तरह से चाहें उस तरह से हम धर्म की उपासना करें। इसमें एक बात जरूर है और वह यह है कि वह मोरेलिटी के खिलाफ न हो। मैं समझता हूँ कि हमारी यह धार्मिक उपासना है और किसी प्रकार से किसी मोरेलिटी के खिलाफ नहीं है; अलबत्ता यदि पशुओं की समुदाय हो और उसकी मोरेलिटी हो तो उसके खिलाफ हो सकता है। हम मनुष्य समाज में रहने वाले हैं और यह उसके खिलाफ नहीं है और इसलिए रिलिजियन की स्वतन्त्रता का उपभोग करने के हम पूरे अधिकारी हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि एडवोकेट जनरल ने इस कानूनी आस्पेक्ट पर जो विचार व्यक्त किये वे बहुत ज्यादा थे और उनको सुन कर हाउस इस बात के लिए कन्वीन्स्ड हो गया होगा कि यह बिल कॉन्स्टिटयुशन के अल्ट्रा-वायर्स है और कॉन्स्टिटयुशन को वायोलेट करने वाला है और मैंने भी आपके सम्मुख कोन्स्टिटयुशन ऑफ इन्डिया से निकाल कर कानूनी मिसालें उपस्थित कीं। तो मैं समझता हूँ कि हमें वैधानिक दृष्टि से भी धार्मिक उपासना स्वतन्त्रता-पूर्वक करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह डिस्कशन केवल कानूनी बातों पर ही सीमित था या कन्फाइन्ड था, इसलिए अब मैं रिलीजियस आस्पेक्ट पर भी विचार प्रगट करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—कॉन्स्टिटयुशनल बहस पर इजाजत हो जाय तो फिर आम डिस्कशन होगा। इस वक्त इसको कॉन्स्टिटयुशनली, क्या इसके आस्पेक्ट हैं इस पर ही बहस होगी; इजाजत होनी चाहिए या नहीं, इस पर बाद में बहस होगी।

श्री भैरोंसिंह—रिलिजियस पॉइन्ट पर बोल सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिटयुशनल पोइन्ट पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—जहाँ तक हो इसको एवोइड करना चाहिए। यह जनरल डिस्कशन नहीं है।

रावत श्री शम्भुसिंह—तो मुझे बोलने का मौका फिर दिया जायगा कि रिलीजियस इकोनो-मिकल आदि आस्पेक्टस पर फिर अपने विचार रख सकूं?

श्री उपाध्यक्ष—दिया जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—चूँकि यह बिल कॉन्स्टिटयुशन को violate करने वाला है, अल्ट्रा-वायर्स है इसलिए मैं हाउस से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा बिल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, एडवोकेट जनरल की इस सदन में यह राय हुई कि यह बिल जिसका विचार इस वक्त सदनमें हो रहा है कॉन्स्टिटयुशन के खिलाफ जाता है। उस पर मैं आज, चूँकि कॉन्स्टिटयुशन इसकी इजाजत देता है या नहीं, यह अल्ट्रावायर्स है या नहीं, अपने

[श्री श्यामलाल गोयल]

विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। एडवोकेट जनरल ने जो राय व्यक्त की है उसमें दो पोइन्टस ही विशेष रूप से उन्होने बताए है कि क्यों यह कॉंस्टिटयुशन के खिलाफ जाता है ? एक तो यह है कि यह अनुच्छेद २५ कोन्स्टिटयुशन को वायलेट करता है, जिसमें कि 'रिलिजियन की फ्रीडम' हरएक शख्स को दी गई है और दूसरा यह है कि यह बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। इन दोनों ही पहलुओं को लेते हुए मैं यह एक्स्प्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यह बिल कॉंस्टिटयुशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाता है। इस बिल को देखने के पहले हमें दूसरी जगहों के उदाहरणों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी स्टेटस में भी ऐसे बिल पास हो चुके हैं। ट्रावन्कोर कोचीन में हो चुका है, मद्रास में हो चुका है और मैसुर में हो चुका है और जैसी कि ओपिनियन है कि यह बिल कॉंस्टिटयुशन के खिलाफ जाता है हमारे राजस्थानके एडवोकेट जनरल ने राय दी है; उसके खिलाफ बल्कि उस ओपिनियन के विपरीत, दूसरी ओपिनियन दूसरी जगह के एडवोकेट जनरल्स ने दी है और उसमें से मध्य भारत के लरनेड (विद्वान) एडवोकेट जनरल के लिए मै कह सकता हूँ माननीय श्री श्रीदासजी गोयल ने जो भाषण दिया था, उन्होंने उनकी राय में से कुछ उद्धरण पेश कर दिए हैं।

सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन का पोइन्ट लिया जाय। तो यह बिल किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि बहुत से माननीय सदस्य यह खयाल करते हैं कि यह किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय है। मैं तो कम से कम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर इस बिल को पास ही करना है तो हम यहाँ से चले जांय। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात इस बिल में नहीं है। यह तो किसी वर्ग विशेष की तरफ लक्ष्य नहीं करता, किन्तु यह तो जो रिलीजियस प्रेक्टिसेज़ गलत चली आ रही हैं उनको Ban करता है और उन गलत प्रेक्टिसेज़ को बिलकुल Ban करने का यह बिल है जो कि देवी और देवताओं के नाम से बलि करते हैं। यह बिल यह नहीं करता कि जो नोन वेजिटेरियन हैं वे वेजिटेरियन बन जाँय, और यह इस बिल की मन्शा भी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि क्या वजह है कि म्युनिसिपेल एरिया या दूसरी जगह स्लाक्टर हाउसेज बने हुए हैं और उनको इजाजत दी जाती है ? मैं अर्ज करूं कि उनके लिए अलग एरिया होता है, वे एन्क्लेजड रहते हैं। खुले तौर पर वहाँ स्लाटर नहीं होता, वहाँ तो गुप्त रूप से जानवरों को काटा जाता है और काटे जाकर जानवरों का मांस बेचा जाता है। किन्तु यह जो रिलिजियस प्रेक्टिसेज़ हैं कि दो सौ, हजार, दो हजार आदमियों के सामने देवी और देवताओं के नाम पर जो बलि की जाती है तो यह क्यों की जाती है और इसको बन्द करने के लिए ही यह बिल है।

श्री भोपालसिंह—On point of order, Sir आपका क्या मतलब ? क्या खुले आम नहीं काटे जाँय ?

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा यह मतलब है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। डिस्क्रिमिनेटरी जिस माने में यह बताया जाता है, जो आर्गूमेन्टस दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूँ। देवी और देवताओं के नाम से इस तरह की जो बलि की जाती है यह किसी तरह न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता है और किसी हालत में मैं इसे कम से कम डिस्क्रिमिनेटरी नहीं मानता।

[श्री श्यामलाल गोयल]

अगर कोई विशेष वर्ग या दूसरे लोग इस प्रकार की प्रेक्टिस को चालू रखते हैं या उनके चालू है उन सबको रोकता है। मुझे एक हरिजनसदस्य ने भी बताया कि उनके यहाँ भी ऐसा होता है, तो इस प्रकार की जो रिलिजिस प्रेक्टिसेज़ हैं उन तमाम को इस बिल से रोका जाता है चाहे कोई भी करे।

अब दूसरा सवाल रहता है अनुच्छेद २५ का। अनुच्छेद २५ हमें रिलिजियन की फ्रीडम देता है। किन्तु हमारे संविधान में कहीं भी यह डिफाइन्ड नहीं है कि रिलिजियन क्या है ? संविधान में रिलिजियन की कहीं डेफीनेशन नहीं है। इसलिए रिलिजियन की डेफीनेशन के लिये या तो हमें समय समय पर हाई-कोर्टों द्वारा दिये गये फैसलों को देखना पड़ेगा। अगर उनको न देखा जाय तो जो पर्सनल लॉ है उसको देखना पड़ेगा। इन दोनों बातों को देखने से पहले हमें यह सोच लेना है कि रिलिजियन क्या है ? उसके लिए एक फैसला है जस्टिस छागला का, जो मैं आपके सामने रखता हूँ:--

"In the case 'Ratilal versus the State of Bombay reported in 1953—Bombay 252:—

इसमें उन्होंने यह एक्सप्लेन किया है:--

"Religion as used in Articles 25 and 26 must be construed in its strict etymological sense Religion is that which binds a man with his creator.—Even where you have a religion which does not believe in a creator, every religion must believe in a conscience and it must believe in ethical and moral precepts. Therefore, whatever binds a man to his own conscience .. and whatever moral and ethical principles regulate the lives understood in the Constitution."

यह है डेफीनेशन रिलिजियन की जैसी कि हाई-कोर्ट द्वारा दी गई है। अगर पर्सनल लॉ को देखा जाय तो वह भी यह इजाजत नहीं देता कि पशुबलि की जाय। श्रीमद्भागवतगीता से कुछ उद्धरण देना चाहता हूँ, जिससे मैं यह बतलाने की चेष्टा करूंगा कि श्रीमद्भागवतगीता जो हिन्दू धर्म की सब से बड़ी पुस्तक है, जिसकी सर्वत्र इज्जत की जाती है उसके पांचवें अध्याय में यह लिखा है कि—

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि,
शुनिश्चैव श्वपाके च पंडिताः सम दर्शिनः।

इसका मतलब यह है कि हमारा धर्म सबमें एक आत्मा बतलाता है; वह चाहे इन्सान हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में एक ही आत्मा व्याप्त है और जब सब में एक आत्मा व्याप्त है तो सब से एक सा व्यवहार होना चाहिये। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि वह अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरे जीवधारियों की हिंसा करे और वह भी धर्म के नाम पर। यह कहीं भी अधिकार नहीं। तो अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे और हम जब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह जब आप किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिये।

Page No.66

[श्री श्यामलाल गोयल]

अगर एक गाय बैल या भैंसा सींग मारता है तो हम उसको डंडे मारते हैं, तो उसी तरह अगर हम किसी गाय, बैल या भैंसे को मारते हैं, क्योंकि उस बेचारे के पास उसका बदला लेने का साधन नहीं, तो क्या हम न्याय करते हैं ?

दूसरा अगर हम इसी गीता का १६ वाँ अध्याय देखें तो उसमें दो प्रकार की सम्पत्ति बतायी गयी है एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी सम्पत्ति जो बताई गई है उसमें अभय व अहिंसा को मुख्य बतलाया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों के लिये अभयदान दे। हम अभयदान देना नहीं चाहते, हम भला नहीं करना चाहते ; किन्तु धर्म के नाम पर दूसरों की कुर्बानी करना चाहते हैं। धर्म के नाम पर क्या यह ठीक है ? क्या यह अहिंसावृत्ति के माफिक है ? मैंने यह बतलाकर यह दिखलाने की कोशिश की है कि रिलिजियन क्या है, हिन्दू धर्म क्या है ? हिंदू धर्म कभी बलि की इजाजत नहीं दे सकता, यह हो सकता है वेद और उपनिषद् के बाद कुछ ऐसा तरीका विशेष परिस्थितियों में चालू हुआ है तब से बलि देने का कायदा चला आया है और वह बलि आज भी चल रही है। किन्तु यह रिलिजियन हो, यह मैं नहीं मानता। जब यह रिलिजियन नहीं तो हम इसे रिलीजियस प्रेक्टिस नहीं मान सकते। अगर एक मिनट के लिये भी रिलीजियस प्रेक्टिस मान भी लिया जाय तो भी आर्टिकल २५ के अनुसार स्टेट को बस पर कन्ट्रोल करने के लिये इजाजत है।

रिलीजियस प्रेक्टिस जो रिलीजियन की मन्शा के खिलाफ हो, वह रिलीजियस प्रेक्टिस जिससे आम जनता को तकलीफ पहुँचती है, रिलीजियस प्रक्टिस जिसके अन्तर्गत गरीब पशुओं को मारा जाता है, उसको जरूर बन्द किया जा सकता है और बन्द किया जाना चाहिये अनुच्छेद २५ के तहत।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह आपके ख्याल हैं या सब धर्मों के ख्याल बता रहे हैं ?

श्री श्यामलाल गोयल—(अपना भाषण जारी रखते हुए)मैं आपको लीगल आस्पेक्ट बता रहा हूँ।

रावत श्री शम्भुसिंह—On a point of order, Sir, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो गीता के श्लोक का पाठ किया है उसमें ऐसे बहुत से श्लोक हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, क्या वे भी आप बतायेंगे ?

श्री श्यामलाल गोयल— (अपना भाषण जारी रखते हुए) गीता के अन्दर कोई भी एक भी, श्लोक ऐसा नहीं है जो पशुबलि की इजाजत देता हो।

श्री उपाध्यक्ष—(रावत श्री शम्भूसिंह से) आप लीगल आसपेक्टस एक्स्प्लेन कर रहे हैं ?

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय सदस्य ने यह कहा कि गीता में ऐसे श्लोक हैं जो पशुबलि का समर्थन करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो पशुबलि की आज्ञा देता हो। यज्ञ जरूर बतलाये गये हैं, किन्तु किसी भी यज्ञ में पशुबलि हो, मैंने तो कम से कम कहीं नहीं पाया।

इसलिये मेरा यह कहना है कि यह आर्टिकल २५ के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाता। रिलीजियन इसकी इजाजत नहीं देता। जब रिलीजियन इजाजत नहीं देता है तो वह रिलीजियन प्रक्टिस नहीं हो सकती। जब रिलीजियस प्रेक्टिस नहीं तो कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ यह जाय क्यों? अगर इस तरह के बिल को ब्रीच ओफ रिलीजियस प्रेक्टिस या संविधान के खिलाफ बतलाया जायगा तो कोई भी सामाजिक, आर्थिक या किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। बंबई हाई-कोर्ट के जितने भी फेसले हैं उनमें जहाँ तक अनुच्छेद २५ का संबन्ध है रिलीजियस प्रेक्टिसेज़ को महदूद कर दिया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल संविधान के मुवाफिक है। यह बिल किसी प्रकार भी संविधान की अवहेलना करता नहीं। इसलिये इस बिल को जरूर कन्सीडरेशन में लिया जाना चाहिये।

साथ ही एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इस बिल को पेश हुए काफी अरसा हो गया है। हर दफा जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें इस तरह की चर्चायें होकर समय निकल जाता है सिर्फ सारे सेशन में एक दिन का समय मिलता है। अब यदि इसको पास नहीं किया गया तो फिर इस पर विचार करने के लिये दूसरे सेशन में मौका मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको लम्बा न डाला जाकर इसका जल्दी से जल्दी तस्फिया करना चाहिये और क्लाजवाइज़ कन्सीडर किया जाना चाहिये। यह संविधान की अवहेलना नहीं करता है, इसलिये इस पर ज्यादा समय नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो वाद-विवाद चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़ी भारी खामी हो। जो बिल को पाइलट करने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस बिल को पाइलट करते हुए, अपने विचार सदन के सामने रखते हुये जो रिमार्क दिये उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह बिल रिलीजियस प्रेक्टिस के लिये ही नहीं है। जो इस रिलीजियस बिलीफ में विश्वास करते हैं वे हमारी सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं। इस विषय में संविधान का अनुच्छेद २५ है उसमें जो रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रेक्टिस बताई गई है उसमें बहुत अन्तर है।

जहाँ तक रिलीजियस बिलीफ का सवाल है वहाँ तक कान्स्टीट्यूशन भी हमें फ्रीडम देता है, यानि कोई भी आदमी कुछ भी विश्वास धार्मिक दृष्टि से अपना कायम रख सकता है। उसके इस विश्वास में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। मतलन हम यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का यह विश्वास है कि मनुष्य को बलि चढ़ाने से भगवान मिलते हैं; तो इस तरह का वह व्यक्ति बिलीफ

[श्री वनसिंह]

करने के लिए स्वतन्त्र है, वह ऐसा बिलीफ कर सकता है; इससे कोई उसको रोक नहीं सकता। पर जहाँ तक प्रेक्टिस में उसे लाने का सवाल है वहाँ अपने विश्वास को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अगर वह आदमी को बलि चढ़ाने लगे तो वहाँ स्टेट कन्ट्रोल कर सकती है अर्थात् स्टेट ऐसी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट कर सकती है। पर जहाँ तक विश्वास का सवाल है वहाँ तक स्टेट इस बात पर रुकावट नहीं डाल सकती कि हम अपने उस विचार को छोड़ दें या उसका पालन न करें। तो इस प्रकार यदि हमारा यह विश्वास है कि मनुष्य को मारने से भगवान् मिलते हैं तो इस विश्वास पर हम स्वयं विश्वास कर सकते हैं, दूसरों को विश्वास करा सकते हैं; इससे हमें संविधान के अन्तर्गत कोई रोक नहीं सकता। पर जहाँ तक मारने को सक्रिय रूप देने का सवाल है वहाँ स्टेट इस प्रकार के कार्यों में रुकावट डाल सकती है, क्योंकि स्टेट को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक सकती है जो पब्लिक हैल्थ, पब्लिक मोरेल के खिलाफ पड़ती हो अथवा जो इकनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से देश की आर्थिक व्यवस्था, समाज और स्टेट की आर्थिक व्यवस्था के विपरीत पड़ती हो।

पर जहाँ तक इस पशु-बलि विधेयक का प्रश्न उपस्थित होता है वहाँ यह चीज़ सामने नहीं आती। यदि हमारे देश में यह प्रथा प्रचलित होती कि मनुष्य मारे जाते और उनकी बलि आमतौर से दी जाती तो मनुष्य सब जगह कटते और ईश्वर के नाम पर भी वह काटे जा सकते। तो स्वभावतः ऐसी बात कहने में रुकावट नहीं होती, इसलिये नहीं होती कि जहाँ मनुष्य मारना पब्लिक हैल्थ, मोरेल के खिलाफ नहीं है वहाँ मनुष्य मारना यदि ईश्वर के लिये मारा जावे तो पब्लिक के मोरेल के खिलाफ कैसे हो सकता है। जहाँ इस प्रकार की रिलीजियस बिलीफ की फ्रीडम है तो इसका सीधा मतलब है रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो इस बिल को रखते हैं वे यदि यह कहें कि पशुबलि स्वयं में बड़ी खराब है, मनुष्य मात्र को यह नहीं चाहिये कि अपने भोजन के लिये भी उसे खावें; अगर ऐसा वे कहते है तो यह बात उनकी न्यायोचित गिनी जा सकती थी। वे इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि कोई भी मांसाहारी नहीं रहना चाहिये, किसी को मांस नहीं खाना चाहिये, क्योंकि यह पशु मारने के खिलाफ है। अगर ऐसी आम रोक लगाते तो मैं मानता कि वह इस अनुच्छेद २५ के अन्दर आता है और इस प्रकार का बन्धन वे इस प्रस्ताव द्वारा डाल सकते हैं या वह इस प्रकार के बन्धन डालने को पब्लिक इकोनामिक पोइन्ट ऑफ व्यू से इस चीज को रखना चाहते हैं या पब्लिक हैल्थ के लिये रखना चाहते हैं या सामाजिक हित के लिए रखना चाहते हैं। तो जहाँ तक बिलीफ का सवाल है वहाँ तक यह कहना उचित नहीं है कि यदि किसी स्थान पर मनुष्य को मारने का विधान है और कोई इस पर विश्वास करता है कि मनुष्य के मारने से भगवान मिलते हैं तो माननीय सदस्यों को वहाँ ले जावेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये आर्ग्युमेंट्स भावना प्रधान हैं, पर तथ्य के आधार पर नहीं हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि रिलीजियस बिलीफ को साथ लेकर जाने का प्रश्न ही मिसगाइड करता है। हम किसी भी प्रकार का बिलीफ रख सकते हैं और वह अनुच्छेद २५ के अनुसार फ्रीडम हमे है।

अभी कई सदस्य यह भी कहने लग गये कि ईसा मसीह ने यह कहा था और मोहम्मद साहब ने यह कहा था, फलाँ ने यह कहा था और फलाँ ने यह कहा था, तो इन बातों से यहाँ कोई

[श्री तनसिंह]

प्रयोजन नहीं है। मोहम्मद साहब ने जो कहा है उसके विरुद्ध भी बात हो सकती है, ईसा मसीह ने जो कहा उससे भी विपरीत बातें हो सकती हैं। इस बहस में मैं नहीं उतरना चाहता। पर जहाँ तक विश्वास का सवाल है कोई प्रश्न तर्क के लिए ठहराया नहीं जा सकता। ऐसे बहुत से कॉंस्टीट्यूशनल जजमेंट आये हुए हैं। एक जस्टिस डग्लस डूलस के जजमेंट में आया है :—

"Man may belief what they can do, they may not be put to prove their religious doctrines and beliefs."

जहाँ तक प्रश्न है बिलीफ का, वहाँ तक इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कह सकता है कि मनुष्य को मारना बुरा है, पर दूसरा यह कहता है कि पशु को मारना अच्छा है। तो जहाँ तक विश्वास का सवाल है वहाँ तक इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करने की जरूरत नहीं है। एक मनुष्य कहता है कि भगवान् है, स्वर्ग है, नर्क है; पर दूसरा कहता है कि भगवान नहीं है, नर्क-स्वर्ग कुछ नहीं है। एक भगवान पर श्रद्धा रखता है, दूसरा नहीं। तो जहाँ श्रद्धा का प्रश्न है, बिलीफ का प्रश्न है वहाँ तर्क के लाने की जरूरत नहीं है। इसलिये श्रद्धा और विश्वास के सामने तर्क का लाना न्यायसंगत नहीं और इस विधान के अन्तर्गत भी नहीं है। तो बिलीफ का जहाँ तक प्रश्न है, मेरा खयाल है माननीय सदस्य स्वयं भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि विधान ने इसकी पूर्ण स्वतन्त्रता हमें और उनको दी है।

पर जहाँ तक उस श्रद्धा और विश्वास को क्रियान्वित करने का सवाल है स्टेट को कुछ हद तक उनको रोकने के अधिकार हैं। यह रोक स्टेट तभी लगा सकती है जब कि उस श्रद्धा और विश्वास को क्रियान्वित करना या तो पब्लिक हैल्थ के खिलाफ हो, पब्लिक मोरेल के खिलाफ हो, इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से जरूरी हो या सोश्यल वैलफेयर के खिलाफ हो। इस प्रकार कुछ सीमित परिस्थितियाँ जिनमें स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक सकती है। अब ये जो सीमित चीजें हैं इन पर अगर स्टेट कानूनी रोक लगा सकती है तो समान स्तर पर ही लगा सकती है। अगर सारी जगह स्टेट में इस प्रकार की चीजें अपनाई जा रही हैं तब तो ठीक है। ये पशु तो मारे जावें और जगह भले ही मारे जावें, पर वहाँ नहीं मारे जा सकते हैं कि जहाँ भगवान की वर्शिप होती है, जहाँ ईश्वर का स्थान है, जो अर्चनास्थल है किन्हीं का। इस प्रकार के भेद के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। अपने पेट में खाने के लिए अगर पशु को मार डालें तो कोई अपराध नहीं, अगर एक बकरे को मार रहे हैं मांस के लिए या अपने खाने के लिए तब तो कोई रोक नहीं; इन कामों के लिये तो मार सकते हैं इसमें कोई अपराध नहीं हैं, इसे स्टेट गवर्नमेंट बुरा नहीं मानती, यह माननीय सदस्य भी बुरा नहीं मानते। हम मांस खाते हैं तो यह माननीय सदस्य बुरा नहीं मानते, पर इस बात को बुरा समझते हैं कि वह मांस, वह बकरे को मारना किसी ईश्वर के नाम पर न किया जावे। वह वध किसी अपने बिलीफ के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए न किया जावे। तो यह भेदपूर्ण बर्ताव न्यायसंगत नहीं हो सकता, संविधान और इस अनुच्छेद २५ के अनुकूल नहीं हो सकता।

[श्री तनसिंह]

हम तो समझते हैं, यह हमारा बिलीफ है कि यह सारा संसार ईश्वर का है, इसकी सारी चीजें भगवान की हैं, यह सारा अन्न, हवा, पृथ्वी ईश्वर की है, हम इन्हें ईश्वर का दिया मानते हैं। उसी के नाम से सब चीजें अर्पण करके फिर खाते हैं। हम भोजन भी करते हैं तो पहले भगवान का समर्पण करके फिर करते हैं। तो हमारे इस विश्वास को माननीय सदस्य कैसे बुरा बतायेंगे और यह विधान भी इसको कैसे रोक सकेगा? मेरा विश्वास है कि मैं जो भी खाना खाऊंगा पहले भगवान को समर्पण करके फिर खाऊंगा। मै मांस अगर खाता हूँ तो उसे भी भगवान को समर्पण करके फिर खाऊंगा। तो जब मेरा यह विश्वास है तो मेरे इस विश्वास को कोई रोक नहीं सकता। पर अगर स्टेट यह कानून बना दे तो यह मेरे इस विश्वास पर चोट होगी। इस कानून के मुताबिक मैं न तो भगवान को ऐसा मांस दे सकता हूँ और न भगवान के यहाँ बकरा काट सकता हूँ। तो जहाँ तक इस बिल का प्रश्न है वह इस विश्वास के अनुसार भगवान के यहाँ बकरा काटने की इजाजत नहीं देता। विश्वास का जहाँ तक सवाल है वहाँ तक तो यह रोक है। पर जहाँ पेट के लिए, खाने के लिए बकरे के काटने का सवाल है वहाँ यह बिल चुप है। तो यह भेदभाव विधान-सम्मत नहीं है। तो जहाँ तक पशु-बलि का सवाल है अगर उसे ही रोकना है तो सब जगह से रोकना चाहिए, वह कहीं नहीं होनी चाहिये। पशु मारा ही नहीं जाना चाहिये। अगर ऐसा है तो इस अनुच्छेद २५ की तहत में स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार का कानून बनाने का पूर्ण अधिकार हो सकता है, क्योंकि वे इस चीज़ को, इस पशु-बलि को पब्लिक मोरेल के विरुद्ध समझते हैं, वे इसे इकोनोमिक ग्रान्ड पर ठीक समझते हैं, पब्लिक हैल्थ के विरुद्ध समझते हैं; पर वे इसे पब्लिक मोरेल और पब्लिक हैल्थ आदि दृष्टि से तो ठीक स्वय भी समझते हैं। और सब जगह बकरे कटें इससे तो उनको कोई ऐतराज नहीं है, पर सिर्फ एक ही स्थान पर उसे रोका जावे यह उनका आग्रह है जो उचित नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि (Exemption) क्लॉज ५ में यह कहा गया है कि:—

"Nothing contained in this Act shall be deemed to apply to Mohammedans, Christians and Parsis."

मैं यह नहीं समझता हूँ कि यह सिर्फ हिन्दुओं पर ही रोक लगाई जावे और इस 'हिन्दू' शब्द में जैन, बौद्ध, आदि तो आते हैं, लेकिन मुसलमान, ईसाई और पारसियों पर यह एप्लाई नहीं होता। जब कि सीधी और साफ बात यह है कि मुसलमान और क्रिश्चियन आज यह विश्वास करने लग जावें.........

श्री गोपीलाल यादव—Where is it? इस बिल में नहीं है। It is in the Dowry Bill.

श्री तनसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) I am Sorry. तो जहाँ तक इस रिलीजियस बिलीफ का सवाल है; मेरे माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि इस प्रकार की जो पशु-बलि होती है वह बकरीद के लिए नहीं होती है। जिस दिन ईद होती है उस दिन वह बकरे को काटते हैं जो निश्चय रूप से एक धार्मिक काम है। मुसलमानों के लिए ईद एक बड़ा उत्सव है और उस दिन बकरे काटने का धार्मिक उत्सव है। इसलिए यदि माननीय सदस्य यह कहें कि ईद पर वह

[श्री तनसिंह]

बकरे नहीं काटें तो वह स्पष्ट रूप से उनका जो धार्मिक अधिकार है और वैधानिक अधिकार हैं जो कि कॉन्स्टीट्यूशन ने उनको दिया है, उसके विरुद्ध है। यह बिल्कुल कॉन्स्टीट्यूशनली पास नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीमानसिंह— Mr. Speaker, Sir, last time when this Bill was presented to the House, the Advocate-General raised a constitutional issue, and several of my friends have debated on this issue. Recently one of the Hon'ble speakers said that this Bill, on grounds of being discriminatory, is unconstitutional. Under Article 25, read with other explanations, you will find that freedom of religion is subject to various factors and it is not an absolute right. There are certain clauses and explanations. It is subject to public order, morality, health and social welfare. Thus, as the State guarantees preservation of belief and conscience, it has every right to put limitations on external action or acts.

This Bill prohibits certain sacrifices of animals and birds. It checks external acts. I will take my friends back to history and tell them that once upon a time with the Hindus it was a religious rite, not religion or righteousness that left them to human sacrifices, as well as it was the duty of every Hindu woman to burn herself on the funeral pyre of her husband. Well, for this a great hue and cry was raised by certain sections that this is against our religious rights and freedom of religion. Then the constitutional limitations must come that human beings must live and hence that was abolished. Similarly, the State protects beliefs and not practices.

Hinduism is such a vast religion and its followers come from diverse sections. They follow diverse practices. It is upto the State to prevent those activities which go against public order, public morality, health and social welfare.

The cry of liberty of religion is true; but if all the fundamental rights are gone through the House will come to one conclusion that the right of liberty is not unrestrained, it is a limited right. It has to be reasonably restrained. Like all other rights and beliefs this right of freedom of religion is restrained It does not give to the followers an unrestrained and unlimited right over that. But even if we take for granted that it is discriminatory, that it is against the Constitution, I will ask my friends to define the term 'religion'. Can it be defined ? Can you place it just under one thing that this is religion ? It is so comprehensive that right from the time of birth till death it is involved, and if the Constitution was to give this freedom to every individual, this right would involve everything and then we will have to put under it everything that is possible under the earth. Therefore this right of religion being so vast, it would

[श्री श्रीमानसिंह]

embody the whole of man, right from birth to death. Therefore, this right must be limited. It has to be restrained. You will find that the intention of the framers of the Constitution, viz., Ambedkar and others, was that this right must be limited. If unlimited rights would have been given today, the temples would not have been open to the scheduled castes because it was not so previously.

Similarly, religion to me it means one thing; I take it in one sense only that it signifies the relation of man to the Creater. The practices such as sacrifices etc. do not either establish or emphasise or take one to any distance towards heaven or entitle him to that. The practice of sacrifice does not strengthen that relation between the Creator and the Man.

As the State guarantees freedom of religion that freedom of faith and belief must be defined, but that can not be defined nor that relationship with the Creator can be defined. Certainly the State can define practices. The State can limit certain beliefs and practices. This is the simple Constitutional issue.

Now, we are today in a democracy and we have also to see the powers of the Legislatures in a democracy. The Legislature has to function within the powers given to it by the Constitution and when we come to that, we think that the functions of the Legislature are in no way limited by this clause. We can formulate or pass this legislation. We are a sovereign body and it is within our right to pass this when we see that the birds and animals are sacrificed, just because it is a practice or rite and not religion and there is no constitutional issue involved except the issue of delaying tactics.

श्री श्री दास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, काफी इस सिलसिले में बहस हो चुकी है। कॉन्स्टीटयुशनल डिफीकलटीज पर इतनी डिबेट से चुकी हैं; इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर क्लोज़र मोशन मूव करते हुए आगे की प्रासिडिंग चालू की जाय।

श्री श्री मानसिंह—I now propose that the question be put up.

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर मोशन मूव हो चुका है। इस पर बहस काफी लम्बी हो चुकी है और मैं हाउस की सम्मति जानना चाहूँगा कि अब भी बहुत से सदस्य हैं जो इसके कन्स्टीटयुशनल (वैधानिक) प्रश्न पर बोलना चाहता है; मेरे ख्याल से वैधानिक दृष्टि से बोलने वाले ज्यादा नहीं हैं, आम बहस पर बोलने वाले ज्यादा हैं।

मैं इसकी इजाजत देता हूँ कि क्लोज़र मोशन मूव किया गया और भी यादव कोई स्पिचाई देना चाहें तो दें।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष: इसके ऊपर, लीगल अस्पक्ट पर, काफी बहस हो चुकी है और करीब-करीब सभी पोइन्टस क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्द कह देना चाहता हूँ ?

सबसे पहले हमें देखना यह है कि क्या वाकई इस बिल के अन्दर कोई डिस्क्रिमिनेशन है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन के ये मायने नहीं है कि एक जैसे काम तमाम दुनिया के आदमी करें और यदि किसी तबके को न करने दिया जाय तो वह डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 'टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन कानून' पास किया गया, उसमें एक चीज़ यह है कि फौजियों पर वह कानून लागू नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन के बिना पर उसको हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तब होता जब कि वह फौज के किसी एक आदमी को प्रोटेक्ट करता और दूसरों को नहीं करता होता, लेकिन जबकि तमाम फौजियों का एक तबका है तो वह एक तरह से एक क्लास है। जब कि क्लास मान लिया है और सब पर लागू है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं निवेदन करूं कि यह कानून प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप से संबन्धित है और जगहों पर खाने-पीने से इसका सम्बन्ध नहीं है। प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप जहाँ जहां पर हैं उन सभी जगहों पर यह एक ही तरह से लागू होता है। उसमें कोई भेद-भाव नहीं है और न हिन्दुओं, मुसलमानों सिक्खों और ईसाइयों में कोई भेद-भाव है। मैं यह समझता हूँ कि किसी भी मजहब के विरुद्ध यह नहीं है। मैं इस्लाम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि घर पर बनाने, खाने में, कोई रोक नहीं है। मस्जिद में किसी जानवर को नहीं काटते। घरमें कोई काटे तो उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप में काटने से ऑफेन्स बन जायगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।

एडवोकेट जनरल श्री हजेला ने जो बात कही उसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद २५ को यह वायोलेट करता है। मैं निवेदन करूं कि अनुच्छेद २५ में बहुत खुलासा दिया गया है:—

"Nothing in this Article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law..."

यह वह अनुच्छेद है जिसमें फ्रीडम ऑफ कांसाइन्स एंड फ्री प्रोफेशन प्रेक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन के राइट्स दिये गये हैं। जहाँ यह आजादी दी है वहाँ ये सभी शर्तें लगादी हैं कि उससे जो आजादी दी है उसके बारे में स्टेट को कानून बनाने से नहीं रोकती। किस कदर यह मैं बता हूँ:—

"regulating or restricting any economic, financial, political and other secular activity which may be associated with religious practice."

सबसे पहली चीज़ उन्होंने यह की कि कोई सेकुलर एक्टिविटी, एकोनोमिक एक्टिविटी, जो रिलीजियस प्रेक्टिस से एसोसियेटेड या सम्बन्धित है उसको रोकने के लिये स्टेट कानून बना सकती है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हमारा खाना-पीना बंद करते हैं। लेकिन वास्तव में यह चीज नहीं है।

[श्री गोपीलाल यादव]

खान-पीना किसी का बंद नहीं करते हैं, लेकिन जो सेकुलर एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। हम क्या खाँय और देवता को क्या खिलाया जाय या पहनाया जाय यह प्रश्न है। एक कांग्रेसी कहेगा मैं देवता को खादी पहनाऊंगा। दूसरा कहेगा मैं रेशम पहनाऊंगा और तीसरा कहेगा मैं नंगा रखूंगा; ये जो एक्टिविटीज़ हैं कि देवताओं को क्या खिलाना क्या पिलाना, कैसे खाना खिलाना कैसे कपड़े पहनाना ये सब रिलीजियस एक्टीविटीज़ नहीं है बल्कि ये सेक्युलर एक्टीविटीज़ है इसलिये सेक्युलर एक्टीविटीज़ के लिये रियासत कानून बना सकती है।

इसके अलावा दूसरी चीज़ निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोविज़ो (बी) में दिया गया है: "providing for social welfare and reforms" रियासत कानून बना सकती है, किस चीज़ के लिये? सेकुलर वेलफेअर के लिये, रिफोर्म के लिए और इस कनून को बनाने से बाधा हो सकती है कि वह हमारे धार्मिक आजादी में रोड़ा नहीं डाले और उसके खिलाफ न हो। अनुच्छेद २५ में जो कैफियत दी गई है उससे आप साफ देखोगे कि यह जो बिल है it is a reform, यह सुधार है। मैं एक छोटी सी चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ। यह मेरे बचपन की बात है। हरिजनों का एक मोहल्ला था जिसमें हरिजन लोग रहते थे। उनकी देवी का एक मन्दिर था जहाँ काटने के लिये बकरे ले जाया करते थे। यह चीज़ हमको बुरी लगती थी। हमने एक बार १०–१५ बच्चों ने मिलकर उनको ऐसा करने से मना किया। इस पर उनको इतना गुस्सा आया कि एक आदमी तलवार उठा कर हमको मारने के लिये दौड़ा। आज उन लोगों ने वे सब चीजें छोड़ दी है और आज ऊंचा सर करके फिरते हैं। पहले उनको ऊंचे लोग, तहज़ीब वाले, नफरत की निगाह से देखते थे। आज उनकी हालत बदल गई है, उन्होंने जानवरों को मारना बिल्कुल छोड़ दिया है। ऐसी-ऐसी चीजें देवताओं के नाम पर चलती थी। रियासत ने कानून बनाये, धार्मिक सुधार किये भरतपुर में स्टेट टेम्पल्स में हजार-हजार बकरे रोज चढ़ते थे, उनको रोक दिया गया। आज कोई नहीं कहता कि हमारे मजहब पर आघात किया गया। आज सभी इसको अच्छा समझते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह सोशियल रिफौर्म है। हम मन्दिरों के लिये ऐसा करें कि वहाँ जानवरों को काटना और लेजाना रुक जाय, यह सेकुलर एक्टिविटी के लिये ठीक है। क्या ऐसा करने से कोई खास फायदा होने जा रहा है जिसकी वजह से हजारो जानवरों को बेकार काटते हैं? अगर काटना ही है तो मजहब के नाम पर क्यों काटा जाय? मैं कहूँगा कि तमाम बुराइयाँ मजहब के नाम पर करते हैं। जानवरो को मारना है तो मजहब के नाम पर, मारकर खाना है तो मजहब के नाम पर। संसार में फैली हुई जितनी बुराइयाँ हैं वे सब ईश्वर के नाम पर की जाती हैं।...

राज श्री हिम्मतसिंह—चोरी-डाका भी ईश्वर के नाम पर होता है क्या?

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) चोरी-डाका भी ईश्वर के नाम पर ही करते हैं। ऐक मालदार आदमी है और दूसरे गरीब आदमी हैं। एक आराम से खाता है और दूसरा भूखा मरता है, तो भूखों मरने वाला कहता है कि ईश्वर ने सब को एक सा बनाया है तो धनवान आराम से क्यों रहता है और हम तकलीफ क्यों उठाते हैं। क्यों न हम धनवान को लूट लें? इस प्रकार से इस में भी धर्म का नाम आ जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें धर्म के नाम पर कर

[श्री गोपीलाल यादव]

सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल पर एडवोकेट जनरल ने अपनी राय दी और कई दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उसी तरह की अपनी राय जाहिर की। मैं आप से बताना चाहता हूँ कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य ने कॉन्स्टीट्यूशन लागू होने के बाद इस तरह का कानून पास किया और प्रेसीडेन्ट ऑफ इंडिया के उस पर हस्ताक्षर हुए। जब प्रेसीडेन्ट की आज्ञा ऐसे कानून पर मिल चुकी है और कई राज्यों ने ऐसा कानून बनाया है तो यह कहना कि यह विधान के खिलाफ है, गलत है; यह विधान के खिलाफ नहीं है। मिस्टर हजेला ने यह कहा कि:—

"There is no doubt the people have been believing in it and if they should be entitled to offer sacrifices in the name of deities they should also be entitled to offer sacrifices in the name of their religions beliefs."

उनकी यह राय अनुच्छेद २५ के खिलाफ है, दूसरों से जो राय आई है उसके खिलाफ भी है और जो उचित राय हमारे हाईकोर्ट ने दी है उसके खिलाफ भी है और समझदारों की राय के खिलाफ भी है। यह कहा गया कि यह रिलीजियस बिलीफ की तारीफ में आता है। रिलीजियस बिलीफ में तीन चीजों की इजाजत दी है, वे ये हैं; "freely to profess. practise and propagate religion pure and simple religious belief." रिलीजियन का फ्री प्रोफेशन कर सकता है, मान सकता है अपने दिल में, रिलीजन की प्रेक्टिस कर सकता है और रिलीजन का प्रचार कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रचार करने के सम्बन्ध में और मानने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं है। आप प्रचार कर सकते हैं प्रेक्टिस कर सकते हैं। प्रेक्टिस करने की चीज अकेले से सम्बन्ध रखती है। दूसरे के मोरेल पर असर नहीं करता, प्योर एंड सिम्पल बिलीफ है। तो उन पर कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिये। यदि वह बिलीफ नहीं, प्रेक्टिस है और सेकुलर है तो उस पर रोक स्टेट लगा सकती है।

तो मैं निवेदन यह करूं श्रीमन् की मार्फत कि हाउस इस पर विचार करे और विचार के दौरान में इसमें कुछ कमियां दीखें तो प्रिएम्बल में और इसमें दूसरी धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं। जैसे एडवोकेट जनरल ने कहा तथा और भी मित्रों ने कहा कि सोशियल रिफॉर्म्स के लिये सदन कर सकता है, इसमें मोरेलिटी पोसिबल नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें बहुत सी चीजें हैं। "humanitarian and cruelty to animals- Objects and Reasons." इसमें हैं, इसको रोकने के लिये यह है।

और इस पर विचार करने लगें तो प्रिएम्बल में हम यह एड कर देंगे कि सोशियल रिफोर्म्स के लिये यह बहुत जरूरी है।

इसलिये किसी शब्द की कमी है, इस वजह से इसके खिलाफ जायँ, तो यह उचित नहीं होगा, इसमें सुधार किया जा सकता है, कोई गलती हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है। तो इस तरह कानून इसमें रूकावट डालता हो, ऐसी बात नहीं है।

इसलिये मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इसे पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर यह आपत्ति उठाई गई कि इसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहाँ इसमें विधान का विरोध है। वैसे जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस का जो रूल नम्बर ११६ हैं उसके नीचे प्रोविज़ो है :—

"Provided that when a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इस प्रोविजो के तहत वैधानिक प्रश्न के प्रस्तुत होने पर कल वाद-विवाद के लिये समय दिया गया। हमारे सामने पूरा वाद-विवाद हुआ और वैधानिक दलीलें दोनों ओर से पेश की गई। अब इसके बारे में स्पीकर की रूलिंग होनी चाहिये कि यहां क्या हो ?

मैं जहाँ तक इस पर विचार करता हूँ और यह विचारने के योग्य भी है, Coustitutional दलीलें दोनों ओर से आई हैं और-और जगह क्या फैसले हुए हैं उनको स्पीकर साहब और हम और ध्यानपूर्वक देख कर ही इसकी जो रूलिंग दें कि स्वीकृति मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये। यह अन्यथा जब प्राइवेट मेम्बर्स का दिन होगा तब दी जायगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—On a point of order, Sir, इस सम्बन्ध में स्पीकर साहब और आप विचार करके फिर निर्णय करेंगे इससे तो बढ़िया यह होगा कि सदन की राय ले ली जाय। अगर सदन मान ले कि यह कॉन्स्टीट्यूशनल है तो इसे लिया जाय और अगर सदन की राय न हो तो इसे नहीं लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। रूलिंग तो चेयर से ही दी जाती है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल अपना रिज़ोल्यूशन पेश करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें रूलिंग का तो कोई प्रोविज़न नहीं। या तो हाउस रूलिंग पर छोड़े या मूवर रूलिंग की मांग करे। यहां तो सिर्फ यह है, डिस्कशन में श्रीमान् ने राय जान ली, अब हाउस की राय जान लीजिये, फिर आप समझें कि गलत हैं तो किसी टाइम, किसी भी स्टेज पर इसके सेकिन्ड रीडिंग के समय इसे रूल आउट किया जा सकता है।

श्री तनसिंह—On a point of order. Sir, when a ruling has been given it cannot be challenged.

श्री उपाध्यक्ष—मैंने इस बारे में अपने विचार रख दिये। इसके बारे में जल्दी या घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में रूलिंग दे दी गई है।

श्री मोतीलाल चौधरी—तब तो इसके लिये कोई जल्दी की तारीख मुकर्रर कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जल्दी ही कर दिया जायगा।

राजस्थान दहेज (निवारक) विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति को)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Mr. Deputy Speaker, Sir, I move that the Bill to prevent and restrain dowry be referred to a Select Committee consisting of the following members :—

1. Shri Chandan Mal Baid, Deputy Minister.
2. Shri Mathura Das Mathur.
2. Shri Gulab Chand Kasliwal.
4. Shri Damodar Lal Vyas.
5. Shri Triveni Shyam.
6. Shri Chaudhry Ram Chandra.
7. Shri Roshan Lal.
8. Shri Bhairon Singh (khejarla).
9. Captain Shri Sajjan Singh.
10. Shri Vedpal Tyagi.
11. Shri Mohabat Singh.
12. Shri H. K. Vyas.
13. Shri Jawan Singh.
14. Shri Ram Lal Bansiwal.
15. Shri Shyam Lal Goel.
16. Shri Nathu Ram Mirdha.
17. Shri Manphool Singh.
18. Shri Brijsunder Sharma.
19. Shri Man Singh (Mahar).
20. Shri Ram Dayal and.
21. myself.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें यह नहीं बताया गया है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कब तक आयेगी ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अभी खत्म नहीं किया है। यह सिलेक्ट कमेटी नेक्स्ट सेशन के शुरू होने के पहले-पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय श्री कपिलदेवजी ने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये move किया है मुझे उसका विरोध करना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय प्रस्तावक महोदय इसके लिये बड़े आतुर थे इसे पास कराने को और कहा था कि यह एक सोशियल रिफोर्म का कानून है अतः इसे सदन जल्दी से जल्दी पारित करे। बहुत सम्भव है कि उस समय उनकी आतुरता विशेष कारणों से हो और आज जो समय आ गया है उसके कारण उनकी यह विवशता स्वयं के लिये नहीं बल्कि दूसरों के लिये भी लाभ-दायक हो; यह सोच कर उचित समझा हो कि इसमें अड़चन डाली जाय। जहां तक राजस्थान विधान सभा में सरकारी रेजोल्युशन्स का सवाल आता है तो हमने अच्छी प्रकार देखा है कि इस प्रकार के कानून जब सरकार की ओर से पेश किये जाते हैं तो उन पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करके सरकार उसे पारित कराने को आतुर रहती हैं और प्राइवेट मेम्बर्स की तरफ से आते हैं तो या तो वैधानिक आपत्ति डाल कर ऐसे मार्ग में डाल दिया जाता है कि उसमें देर हो। या प्रस्तावक अपनी आतुरता को उस ढंग से दर्शाते हैं कि जो आतुरता पेश करने के वक्त थी उससे कम है।

आज यह बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं कि राजस्थान में इस प्रकार की बीमारी भयंकरता का रूप नहीं लेती जा रही है। आज सभी लोग मानते हैं कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह दिनों-दिन भयंकर होती जा रही है और राजस्थान सरकार की तरफ से भी कागजों में इस भयंकर बीमारी को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। सरकार कागजों में बहुत प्रयत्नशील है। सरकार और पब्लिक के प्रयत्नों के बावजूद भी आशंका इस प्रकार की है कि समाज की आर्थिक स्थिति दिनों-दिन ज्यादा भयंकर बनाती जा रही है। अगर समय पर इस संबन्ध में कानून का रूप देकर इस बीमारी को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि राजस्थान की स्थिति बदलते बदलते विषम ही, नहीं जटिल हो जावे और लोगों को इस बीमारी का शिकार होना पड़े। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक सोशियल रिफोर्म का मामला है, इसमें देर नहीं की जावे। अगर आप चाहते हैं कि सोशियल रिफोर्म हो तो ये रिफोर्म जल्दी से जल्दी होने चाहिये, आज आप देखेंगे कि दो साल की प्रतीक्षा के बाद आज इस पर डिस्कशन का समय मिला है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के इम्पोर्टेन्ट सोशियल रिफोर्म को जल्दी ही पास कराया जावे। अगर माननीय प्रस्तावक महोदय ने इसको समाज-सेवा की सही भावना से काम करने की नीयत से रखा है तो मैं यह कहूंगा कि वे इस सिलेक्ट कमेटी की मूव किये हुए प्रस्ताव को वापिस लेंगे और इसको हाउस में ही डिस्कस करके इस प्रकार के समाज-सुधार के कानूनों को पास करवा कर जल्दी से जल्दी अमल में लाने का प्रयत्न करेंगे। वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और जनता के सामने उदाहरण रखेंगे कि वे सच्चे समाज सुधार के पोषक हैं, ताकि जल्दी से जल्दी समाज सुधार का यह बिल अमल में आये।

(श्री राज हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, श्री भैरोंसिंहजी ने डॉवरी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में विरोध किया है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि यह एक बहुत छोटा-सा बिल है और

Page No.79

[श्री श्रीदास गोयल]

हाउस में सीधा आ सकता था। वास्तव में कभी-कभी सोशियल रिफोर्म के बारे में बिल सदन में लाये जाते हैं और उनके आने के बाद में कोई बिल पब्लिक ओपीनियन के लिए और कभी कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में भेज दिये जाते हैं और अकारण ही उसमें डिले हो जाती है। यह एक ऐसी बात है जिससे समाज के कई लोग रोजाना शिकार होते हैं। इसलिए इसको अति शीघ्र तय करना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री कपिलदेवजी यदि हाउस में इस बिल को सीधा इन्ट्रोड्यूस कर देते तो ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता और सामाजिक विचारधारा का सही प्रतीक होता। सिलेक्ट कमेटी में जाने से इसमें काफी समय लग जावेगा, जबकि एक एक दिन भारी हो रहा है और यह भी मैं मानता हूँ कि यह एक साधारण बिल है। इसमें कोई कम्प्लीकेशन्स नहीं हैं जिनके कारण इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी में जाने से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं है और न इसमे पब्लिक फन्ड को भी कोई फायदा हो रहा है। इसलिए मैं अन्त में आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार श्री भैरोंसिंहजी ने कहा है, श्री कपिलदेवजी इस पर दुबारा विचार करेंगे और इसे सिलेक्ट कमेटी में न भेजकर सीधा हाउस में विचार के लिए रख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—On a point of order, Sir.

श्री श्रीदास गोयल—He should speak in the last.

श्री सभापति—Let them have a say.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—On a point of order, Sir,

Rule 124 (3) reads as follows:—

"Where a motion that a Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon is carried, and the bill is circulated in accordance with the direction and opinions are received thereon, the member-in-charge. if he wishes to proceed with his Bill thereafter, must move that the Bill be referred to a Select Committee, unless the Speaker in his discretion allows a motion to be made that the Bill be taken into consideration."

In that case—इसलिए इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जावे, that it be referred to a Select Committee.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र इस धारा का अर्थ नहीं समझे हैं। पहले इसको पब्लिक ओपिनियन हेतु मूव किया जावे और पब्लिक ओपिनियन आने पर वे यह कह सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। पब्लिक ओपिनियन मूव हो सकती। इस पर एक धारा है। पहले पब्लिक ओपीनीयन के लिए दो ढाई साल लग गये। इस बिल की एक धारा पर विचार करना है। अगर यह एक धारा के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे तो फिर इसमें दो तीन साल लग जावेंगे। इसका यह कारण है कि हमारे अध्यक्ष महोदय प्राइवेट मेम्बरों के बिजनेस पर इस कदर, पता नहीं, नाखुश हैं कि इसके लिए टाइम ही नहीं देना चाहते। पिछले ? सालों में कोई प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस नहीं हुआ। अगर यही रफ्तार प्राइवेट मेम्बरों के बिलों का रही तो मैं यह कह सकता हूँ कि एक बिल चाहे वह एक धारा का ही क्यों न हो, ६ वर्षों में भी पास नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम हर सप्ताह में एक दिन प्राइवेट मेम्बरों के लिए रखा जावे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जब प्राइवेट मेम्बर्स बिल इन्ट्रोड्यूस हो जावे तो उसको भी गवर्नमेंट बिल के बराबर माना जाना चाहिये और day to day लेकर पास करना चाहिये। उसको पेन्डिंग रखने के लिए दुनिया के किसी लेजिस्लेचर में कोई प्रथा नहीं है। सरकारी बिल की लेवल पर प्राइवेट मेम्बरों के बिल भी मानने चाहिये और उसको उसी तरह day to day लेकर समाप्त करना चाहिए। इसके साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह डॉवरी बिल इतना छोटा है कि इसको एक ही धारा है। इस एक धारा पर एमेंडमेंट आएं ले लिए जावें। एक धारा ता है हो। इस पर ज्यादा से ज्यादा २० एमेंडमेंट होंगे उन सब पर सदन में विचार हो जावेगा और इसमें कोई दिक्कत की चीज नहीं है।

सिलेक्ट कमेटी में बिलों को मूव करने के लिए एक सिद्धान्त है कि यदि वह यह बिल इतने बड़े हों कि जिससे हाउस में उन पर विचार करने में काफी समय लगता है, इसलिए थोड़े से आदमी मिलकर उसको ठीक कर दें तो उस पर आसानी से विचार हो सके और कोई दिक्कत हो तो दूर हो जावे। लेकिन यहां तो एक सेक्शन ही है। इसको भी अगर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे तो यह तो ठीक नहीं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, जो प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में रेफर होने के लिए है मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह सही है कि इस बिल में सिर्फ एक ही क्लॉज़ है उसको हाउस में रख दिया जावे लेकिन उसके साथ में यह भी सही है कि जिस वक्त इस बिल पर जनरल डिस्कशन्स चले थे उस समय जितने भी मेम्बर इस बिल पर बोले सभी उससे समूल सहमत थे कि डॉवरी की प्रथा को शीघ्र बन्द करना चाहिये। सबने यह राय दी थी कि यह इम्पोर्टेन्ट बिल है तो इस बिल पर ज्यादातर सदस्यों ने यह मानते हुए कि मौजूदा सूरत में जो बिल है वह इम्प्रेक्टिकेबल है इसलिए इस बिल को इसी मन्शा से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया कि जरूरी संशोधन किये जाकर प्रेक्टिकेबल बना दिया जाय। यह मैं जरूर मानता हूं कि इसको अगले सेशन तक पोस्टपोन नहीं किया जावे। यह एक छोटा सा बिल है। इस पर ७ दिन में सिलेक्ट कमेटी विचार

[श्री श्यामलाल गोयल]

कर सकती और ७ दिन में किसी भी रोज बैठ कर इसको पूरा कर सकती है और इसी सेशन में कोई और दूसरे दिन मुकर्रर हो जाय प्राइवेट मेम्बरों के लिए उस दिन इसको कन्सीडर किया जा सकता है। अगर यह मेम्बर महोदय को मन्जूर हो, तो मैं समझता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने में कोई ऐतराज नहीं। इसमें गवर्नमेंट के कोई एडीशनल एक्पेन्सेज नहीं होंगे।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा जैसा कि मेरे मित्र यादवजी ने कहा कि प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस को बिलकुल निगलेक्ट किया जा रहा है। अब तक एक भी प्राइवेट बिल ऐसा नहीं है जो पास हुआ हो। एक रोज थोड़ा-सा डिसकशन उस पर हो, फिर दूसरी तारीख उसके लिए मुकर्रर होती है और उस रोज छुट्टी हो जावे या कोई दूसरा मौका आ जाता है तो वह बिल पेश नहीं हो पाता। इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि प्राइवेट मेम्बरों के बिज़नेस के लिए ज्यादा समय दिया जावे और वह समय कम से कम हर सेशन में ५-७ दिन का दिया जावे ताकि प्राइवेट मेम्बर्स को यह कहने का मौका नहीं मिले कि हम पब्लिक के फायदे का कोई काम नहीं कर सकते। अगर सरकार यह समझती है कि जो बिल मूव करें उनको जल्दी से जल्दी पास करे तो प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस के लिए भी ज्यादा समय दिया जाना चाहिये और मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सेशन में भी दो-तीन रोज इसके लिए जरूर दिये जावें। इन्हीं शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—मि० चेयरमेन, सर।........

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय चेयरमेन, यह जो बिल आ रहा है मैं भी उचित नहीं समझती कि उसके विषय में ज्यादा बहस की जाय और वह बिल सिलेक्ट कमेटी के हाथ सौंप दिया जाय। जहाँ तक उचित समझा जाय इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करके इसको अमल में लाने की कोशिश की जाय। बिल के लिए जो देर हो रही है उसके लिए हम लोग जितने आपके सामने अनुभव रख सकते हैं उतनी मुझे यह जानकारी नहीं कि मेरे माननीय सदस्य हैं वे उसके ऊपर अनुभव रख सकते हैं कि दहेज प्रथा से महिला जाति को क्या-क्या दिक्कतें होती हैं और यह सारी जानकारी अगर बिल पूरी तरह सामने आयगा और उस पर बहस होगी तब सदन के सामने दूंगी और दो शब्द कहने का साहस करूंगी। अभी मेरे माननीय सदस्य इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बिल चाहे पढ़ा हो या न पढ़ा हो, किन्तु मुझे उस पर काफी अनुभव है, क्योंकि आप लोग दहेज लेते हैं और जब घर पर आता है तो बड़े खुश होते हैं और जब दहेज देते हैं तो कितनी कठिनाई होती है और कितनी आपत्तियां महिलाओं पर आती हैं। मैं यह सारी बातें आपको फिर सुनाऊंगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माननीय चेयरमेन, कि आप इस बिल को जितना जल्दी हो सामने लावें और उसको पास करने की कोशिश करियेगा। मैं कहती हूँ कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजियेगा और इसको पास करियेगा।

Page No.82

श्री मानसिंह महार—मि० चेयरमेन, सर।

इस विधेयक के बारे में........

(विराम)

श्री सभापति—श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—चेयरमेन महोदय, डॉवरी के सम्बन्ध में जो बिल पेश है वह महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आवश्यक भी है। ऐसा लगता है कि मूवर महोदय को जो उत्साह उस वक्त इस बिल को रखते वक्त था वह आज नहीं मालूम हो रहा है और उससे ज्यादा उत्साह सदन के दूसरे सदस्यों को है जो चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा बहस न करते हुए, चेयरमेन महोदय, मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा १२४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसके अन्दर कहा गया है कि अगर इस प्रकार के प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी के लिए आवें तो स्पीकर महोदय की इच्छा पर है कि या तो वे इसको रिजेक्ट कर दें या कन्सीडरेशन के बारे में आज्ञा प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा, माननीय चेयरमेन, कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इसको कन्सीडरेशन की आज्ञा प्रदान करेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन, सर, इस सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहने की आवश्यकता मुझे भी अनुभव हुई है। जिस जाति से मैं आया हूँ उस जाति में इस डॉवरी प्रथा का रस्म रिवाज है। जिस घर में तीन-चार लड़कियाँ हो जाती हैं उनके लिए एक आफत हो जाती है बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ईश्वर के घर से छिकी आ गई और यह भी कहने में मुझे शर्म नहीं आती है क्योंकि सदन में सही बातें कहना पड़ेगा कि राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में १९५४ में भी यह रिवाज है कि राजस्थान में कहीं भी आज के दिन भी अगर बच्ची किसी के यहाँ जनम जाती है तो अफीम देकर मार दिया जाता है। इसलिए मार दिया जाता है कि शादी करने के लिए प्रबन्ध नहीं होता है। कई जगह और राजस्थान में भी मजबूरन सोशियल रिफोर्म किये जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह नहीं सोचा जा रहा है कि यह प्रेक्टिकल है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि इस तरह के कानून केवल पेपर कानून होंगे और उनका व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल करने में कठिनाई होगी। इसलिए जिन खानदानों के लाभ का ख्याल करके यह बिल लाना चाहिए उसके साथ साथ अगर इसका इम्प्लीमेन्टेशन भी रिगोरसली किया जायगा, तो उन घरों में आफत आ जायगी और ऐसी आफत आ जायगी कि अब तक जो सोशियल कोन्टेक्ट है, एक जाति से दूसरी जाति में शादी करने की मुमानियत है, पुराना सम्पर्क रहने की वजह से अपनी एक जाति में सम्बन्ध किया जाय, या एक गौत्र में न किया जाय, इस प्रकार का जो रिवाज है तो जब तक यह रिवाज समाप्त न

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हो जाय और यह एकदम होना भी मुश्किल है, तब तक एक बड़ी आपत्ति आ जायगी। अगली जेनरेशन में यह २०-२५ साल के बाद तो मिट सकता है, यह जाति-पाँति का भेद मिट सकता है, किन्तु ओर्थोडोक्स फेमिली में जाति-पांति का भेद तो अभी रहेगा ही। अगर पाबन्दी लगा भी दी जाय तो मैं कहूँगा कि उनको अपनी बेटियों की शादी करना मुश्किल हो जायगा और उनको कुँवारी आजन्म घर में रहना पड़ेगा। इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए गौर करना पड़ेगा और सदन की यही इच्छा है कि सोशियल रिफॉर्म्स बिल को पास करके ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये और उसको अमल में लाना जरूरी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यह अच्छी बात नहीं है। यदि कोई कानून पास करें तो हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए कि उसका अमल भी किया जाय। अगर इस तरह का कानून जल्दी में ही पास कर लेंगे तो दुनियाँ को दिखाने के लिए कि राजस्थान कैसा प्रगतिशील प्रान्त है कि जहाँ रिफोर्म के कानून पास किये जाते हैं, किन्तु यदि अम.. में नहीं आवेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अतः मैं निवेदन करूं सदन से कि इस पर पूरी तरह विचार करें, गौर करें, सब पहलुओं को अच्छी तरह से सोचें और यह बिल सिलेक्ट कमेटी को, प्रवर समिति को, जरूर जाना चाहिये। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन इन्वाइट करें।

एक माननीय सदस्य—पब्लिक ओपिनियन इनवाइट हो चुकी है। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि यह सक्युलेट हो गया था।

चूंकि जनहित के लिए यह कानून हम पास करने जा रहे हैं, इसलिए सिलेक्ट कमेटी इस पर पहले अच्छी तरह से गौर करे। मैं भी उस जाति से आता हूँ जहाँ कि डावरी का बुरा रिवाज है। मैंने इसलिए अपने विचार रखे। इस पर पूरी तरह से विचार करना आवश्यक है, सिलेक्ट कमेटी में पार्टी लेवल पर ही इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, एकोस दा टेबल माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में फ्रेन्कली विचार करें और दो महीने, छः महीने में या साल भर को देरी भी हो जाय तो उससे कोई बात होने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूँगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री मानसिंह महार—मि० चेयरमेन, सर,......

श्री सभापति—श्रीमती कमला बेनीवाल।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—माननीय चेयरमेन, समिति बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है उस विषय में मेरा यह कहना है कि डावरी प्रथा, जैसी कि दूसरी प्रथायें हमारे समाज में हैं, उनमें से एक बहुत जटिल प्रथा है; उसको एकदम खत्म करने से बहुत बड़ा सामाजिक सुधार हो जायगा, या समाज में क्रान्ति आ जायगी, ऐसा मैं नहीं समझती।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

मैं मानती हूँ कि इससे सामाजिक सुधार हो जायगा, यह एक बहुत प्राचीन प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है और जो गरीब दहेज लेने और देने के कारण बड़ी तकलीफ पाते होंगे इस बिल से उनकी दिक्कतें खत्म हो जायेंगी । लेकिन जितनी बड़ी प्रथा यह है, जो बहुत अर्से से चली आ रही है, उसकी जटिलता को अनुभव करते हुए मेरा निवेदन है कि इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । यह जितनी जटिल समस्या है उतना ही इस पर अधिक विचार किया जाना चाहिये । यह बहुत पुरानी प्रथा है, इसका समाज के अन्दर बहुत बड़ा असर है । इसको जिस तरीके से हम हटाना चाहते हैं वह तरीका ऐसा हो जिससे समाज में एक दम तहलका न मच जाय । जो समाज-व्यवस्था बनी हुई है, समाज व्यवस्था में जो आप बुरी बातें समझते हैं, उनको इसी तरह हटाया जा सकता है जिससे समाज में एकदम तहलका न मचे । इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी में रखना चाहिये ताकि सिलेक्ट कमेटी इस पर पूरी तरह छान-बीन करके इस पर विचार करे । जितने भी संशोधन हों, सुधार हों, वे वास्तव में तभी हो सकते हैं जब कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय । यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट वास्तव में अधिक कार्य करके, काफी समय इस बिल पर देकर के, जल्दी से सदन के सामने पेश करने की कोशिश करे ।

एक दूसरी बात यह है, डावरी प्रथा समाज से संबन्धित है, इसका समाज से ज्यादा संबन्ध रहता है और वह भी खास कर स्त्री-समाज से ज्यादा सम्बन्ध रहता है । इसलिये माननीय सदस्य ने जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम लिये हैं उनसे जब कि हाउस में दो महिला सदस्यायें हैं तो उनमें से किसी को स्थान अवश्य देना चाहिये था ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—On a point of informaton, Sir, हाउस की दोनों महिला सदस्याओं के नाम इसमें एड कर लिये गये हैं ।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, इस समय जिस विषय पर वाद-विवाद हो रहा है उसके बारे में मुझे भी कुछ निवेदन करना है । डावरी बिल है वह एक महत्त्वपूर्ण बिल है । कुछ लोगों ने समाज सुधार को लेकर यह धारणा बनाली है कि इस प्रकार के कानून जल्दी से जल्दी बना दिये जाँय । मगर देखना यह है कि जल्दबाजी से हम कहीं ऐसे कानून न बना जायें जिससे यह न हो कि हमारे बनाये हुए कानून स्टेटयूट बुक पर ही पड़े रहें । इस बात पर विचार करने के लिये यह बड़ा आवश्यक है कि इस बिल को इम्पलीमेंट किस तरह किया जाय ? जहाँ इम्पलीमेंटेशन का सवाल आता है तो दो पहलुओं को हमें ध्यान में रखना है । एक तो यह देखना कि यह वास्तविकता से इम्प्लीमेन्ट होता है या नहीं, दूसरा यह देखना कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन से जनता को हित के बजाय अहित तो नहीं हो जाय ? इन बातों पर विचार करने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय । एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि इस सेशन के दर्मियान में ही एक दिन बैठकर इस पर विचार कर लिया जाय । जो श्री श्यामलाल जी गोयल ने यह फरमाया कि उसमें उनका खयाल यह था कि सिलेक्ट कमेटी में बैठकर इस बिल को डिस्कस किया जायगा, इस में सरकार का खर्च व्यय होगा । तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस बिल को १६० आदमीयों की

[श्री मानसिंह महार]

पंचायत में इस प्रकार के बिल को डिस्कस करने में जितना खर्चं आता है उसके मुकाबले सिलेक्ट कमेटी जो करीब २० आदमियों की बनेगी उसमें यदि डिस्कस किया जायगा तो खर्च कम आयगा। कानून बनाते समय खर्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये। कानून एक ऐसी चीज है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ बनाना चाहिये। हाउस में तो यह भी देखा जाता है कि लोगों को बोलने से रोका जाता है, टाइम की भी लिमिट रखी जाती है और यह दबाव डाला जाता है कि इतना टाइम दिया जायगा, यह सरासर गलत है। कहीं किसी भी पार्लियामेन्टरी पद्धति में यह नहीं है कि कानून बनाने में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय। कानून बहुत सोच-विचार के साथ बनाने चाहिये, यह मेरी राय है।

इसके अलावा हमारे मित्र जो 'नगर' से आये हैं उनका इन्टरेस्ट इसमें कम होता जा रहा है, उन्होंने यह फरमाया।

श्री गोपीलाल यादव—मैं जब बोल रहा था तो माननीय सदस्य सोये हुए थे ऐसा मालूम देता है।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो कुछ मैंने सोते-सोते सुना वही तो कह रहा हूँ। नगर से आये हुए माननीय सदस्य ने यह जो कुछ कहा उस कहने में विश्वास मानकर उन्होंने बांसवाड़ा से आयी हुई बहनजी को, जिन्होंने बिल को देखा नहीं, उन से कह दिया, उनको मुगालते में रखा कि इस बिल के सिलेक्ट कमेटी में जाने से बड़ा अनर्थ हो जायगा, यह बड़ा समाज-सुधार का बिल है; इससे भारी नुकसान हो जायगा। दरअसल चीज यह है कि हम तो हमेशा स्त्री समाज का भला चाहते हैं। यह बिल जो हमारे मित्र कपिलदेवजी ने रखा है उन्होंने इसी नियत से रखा है। हम तो हमारे नगर वाले सदस्य की भांति नहीं है कि पशुबलि जैसे बिल लाते हों। हम तो समाज-सुधार के बिल लाते हैं, जिसमें खास तोर से स्त्री समाज की भलाई के लिये बिल लाते हैं।

डावरी एक ऐसी चीज है यदि इसको कायम रखा गया तो यह उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जायगी जिनके लड़किये हैं।

श्री भैरोंसिंह—आप भी अपने कुंवर साहब के लिये डावरी लेने वाले हैं?

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय चेयरमेन, मैं इस बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां जितने भी आदमी बैठे हैं उनमें से किसी ने ५० हजार रुपया या पाँच हजार रु० डावरी में न लिया हो; किन्तु मैं एक मात्र ऐसा सदस्य हूँ कि जिसने टीके में एक भी पैसा नहीं लिया...

श्री भैरोंसिंह—आप अपने कुंवर साहब के टीके में कितने लेने की सोच रहे हैं?

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय चेयरमेन, मैंने तो अपने बच्चे को यह खुली इजाजत दे रखी है कि वह अपनी मन-पसन्द पत्नी चुने। मैं ऐसा दकियानूसी आदमी नहीं कि पुरानी रूढ़ियों को मानूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री कपिलदेवजी ने जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम बताये हैं उनमें हीरे और मोती मौजूद हैं; इसलिये मेरा यह कहना है कि इस बिल को ऐसी सिलेक्ट कमेटी को जरूर सौंपा जाय जो इस बिल पर संजीदगी के साथ विचार करे।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं इस पक्ष में हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। इस सिद्धान्त की तरफ देखते हुए हमें यह देखना होगा कि आखिरकार इसका प्रचलन किस तरह से हुआ? हमारा हिन्दू समाज अन्य समाजों से मुस्लिम समाज और इसाई समाज से भिन्न है। हिन्दु समाज में लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में हक नहीं होता है और दूसरे वर्ग और दूसरे समाज में कानूनन लड़की का पिता की सम्पत्ति में हिस्सा होता है। जिस समाज में पिता की सम्पत्ति में लड़की का हाथ नहीं होता उस समाज के लिए ऐसा कानून लागू कर दिया गया था, ऐसी प्रथा चालू कर दी गई होगी और यही इस प्रथा के प्रचलन का कारण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

यह एक प्रथा जो काफी अर्से से चली आ रही है उस प्रथा को एक दम नयी प्रथा का दबाव डालकर बन्द कर दिया गया तो ठीक नहीं होगा। इसलिये यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, जहाँ पर ही यह तय हो सकता है। यह बिल प्रभावशाली बिल है इसलिये केवल इस पर प्रेक्टिकल बातें ही नहीं बोलनी हैं बल्कि इसके साथ इसमें व्यावहारिक बातों का समावेश होना चाहिये। इस बिल द्वारा दहेज देने पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा तो वे पिता जो अपनी कन्या को अपनी मर्जी से दहेज देते हैं वे भी कानून के अपराधी होंगे और उसको अधिकार होना चाहिये कि पिता अपनी मरजी से चाहे जितना धन अपनी कन्या को दे। इसमें कानून द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिये। मगर यह बात जरूर है कि वर पक्ष की तरफ से नाजायज दबाव डालकर नहीं होना चाहिये।

इसके बाद में एक बहुत जरूरी बात निवेदन कर देना चाहता हूँ और जो एक रिवोल्यूशन समाज में पैदा कर देने वाली है कि हमारे कौंसिल आफ स्टेट में एक इनहेरिटेन्स बिल चल रहा है। उस बिल की बात जब आप पढ़ेंगे......

श्री सभापति—आप और बातों पर न बोलें, सिलेक्ट कमेटी के बारे में ही बोलें।

रावत श्री शम्भूसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में यह रेफर किया जावे और इसकी मयाद कुछ ज्यादा बढ़ाई जावे। इस बीच में जब तक यह इनहेरिटेन्स बिल हमारे सामने आ सकेगा, और तब इस कानून को आप सब दूसरी ही नजर से देखने लग जाओगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल— बारह बजने वाले हैं और इससे पहले ही बहस खत्म हो जानी चाहिये। इसलिए मैं क्लोज़र मूव करता हूँ।

श्री खेतसिंह—मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलने वाला हूँ इसलिये वे चाहते हैं कि इस पर बोला नहीं जावे। माननीय चेयरमेन, इस बिल को माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहते हैं इसलिए मुझे कहना है कि इस बिल की अहमियत को देखते हुए और जैसा कि श्री भैरोंसिंह जी ने कहा कि यह हाउस में अगर डिस्कस हो जाता तो अच्छा होता, पर जैसा कि हमारे लिस्ट ऑफ बिजनेस में दो रोज ही रखे गये हैं इसलिए यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजकर इसको गम्भीरता से देखकर विचार किया जावे तो भी अच्छा है। लेकिन जैसे कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के नाम लिये गए हैं और जिस पर मेरे मित्र दांता रामगढ़ या जम्वा रामगढ़ के सदस्य ने कहा है कि हीरे और मोती चुन-चुन कर यह सिलेक्ट कमेटी को माला बनाई है, अगर ये हीरे और मोती नकली निकले तो सिलेक्ट कमेटी का सारा मामला गुड़-गोबर हो जावेगा। इसलिए मेरा हाउस से यह निवेदन है कि इस सिलेक्ट कमेटी में आप ऐसे नॉन सीरियस मेम्बरों को न रखकर वास्तव में अच्छे मेम्बरों को रखें ताकि इसका कुछ सुधार होकर इसका सुन्दर रूप बन सके और यह बिल वास्तव में जनता के लिए हितकर हो सके। इस सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों में इस दृष्टि से मैं चाहता हूँ कि इन मेम्बरों को भी शामिल किया जाना चाहिये :—

श्री रामकिशोर व्यास,

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल,

श्री गोपीलाल यादव,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया,

कुं श्री जसवन्तसिंह और श्री भैरोंसिंह खाचरियावास।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—और खेतसिंहजी भी कहिये।

(हँसी)

श्री खेतसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अगर खेतसिंह का नाम रखेंगे तो और भी अधिक उद्धार हो सकेगा।

(हँसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन महोदय, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं यह समझता हूँ कि जहाँ तक सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रश्न है उस पर ज्यादातर ने यही कहा है कि यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय क्योंकि यह बताया गया है कि नॉन ऑफीशियल बिज़नेस के लिए असेम्बली में ज्यादा समय नहीं दिया जाता। सारे सेशन में एक दो दिन अलॉट किये जाते हैं और इसमें भी खास बहस नहीं होती है और अगले

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

सेशन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा था कि सिलेक्ट कमेटी में इसे विचारार्थ भेज दिया जावे और सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सेशन के शुरू होने के पहले पहले दे दे। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर माननीय स्पीकर साहब इस सेशन के खत्म होने के पहले नॉन ऑफोशियल बिज़नेस के लिए और एक दो दिन अलोट कर दें तो इस सेशन की समाप्ति पर ही दुबारा रिपोर्ट पेश हो जावे; तो भी मुझको कोई ऐतराज नहीं होगा और मैं इस स्थिति के लिए तैयार हूँ। लेकिन चूँकि मुझको मालूम नहीं है कि ऐसा वे कर सकेंगे या नहीं तो इस स्थिति से सेफ साइड में रहने के लिए मैंने यह मोशन मूव किया था कि अगले सेशन के पहले पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर दे और अगर सम्भव हो सकेगा तो इस सेशन के खत्म होने के पहले भी सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। पर चूँकि वह मेरे हाथ की बात नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ।

दूसरा जैसा कि माननीय श्री खेतसिंहजी ने बताया कि जो सिलेक्ट कमेटी हमने बनाई है वह शायद सही नहीं बैठेगी, उसमें ऐसी चीज नहीं है। यह मैं मानता हूँ कि गलती से आपका नाम नहीं आया है। आपके नाम की अब इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस तरह के चीज को कानून इजाजत नहीं देता है। मैं नहीं चाहता किसी का नाम काटकर आपका नाम लिखूं। मैं इसकी माफी चाहता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि जब वह हाउस के सामने आये तो आप अपने पूरे विचार प्रकट करें और जो खराबियाँ रह जाँय उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

जहाँ तक महिला सदस्यों का सवाल है तो मैंने दोनों महिला सदस्यों के नाम रख दिये हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर माननीय चेयरमेन स्पीकर साहब से मिलकर यह अरेन्ज कर सकें कि एक दिन और नॉन ऑफोशियल बिजनेस के लिए एलॉट किया जा सकता है तो मैं इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस सेशन के खत्म होने से पहले ही पेश कर दी जाय; अन्यथा जैसा कि मैंने उसमें कहा है कि अगले सेशन के शुरू में ही टाइम दिया जाय।

श्री सभापति—श्री कपिलदेव ने राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ डावरी बिल जो पेश किया है जो कि पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट भी हो चुका है आज वह प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस के कार्य के अन्दर हाउस के सामने आया है; उन्होंने सेक्शन १२४ (१) रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए तजवीज किया है। उसके अन्दर स्पीकर को डिस्क्रिशन दिया गया है कि अगर वह चाहे तो ओवर रूल करे, लेकिन हाउस का मत देखते हुए मैं भी उचित समझता हूँ कि जो सिलेक्ट कमेटी बनाकर सदस्यों की नामावली पेश की है उसको यह बिल रेफर किया जाय। उस सिलेक्ट कमेटी में जो मेम्बर हों उनके नाम फिर से पढ़ देता हूँ ताकि मेम्बर साहबान को मालूम हो जाय:--

श्री चन्दनमल वेद।

एक माननीय सदस्य—हाउस की राय है कि इस पर वोट लिया जाय।

श्री सभापति—इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद
श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
श्री त्रिवेणी श्याम
श्री रोशनलाल
श्री के० सज्जनसिंह
श्री मोहब्बतसिंह
श्री जवानसिंह
श्री श्यामलाल गोयल
श्री कपिलदेव अग्रवाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री रामदयाल
श्री मथुरादास माथुर
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री रामचन्द्र चौधरी
श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
श्री वेदपाल त्यागी
श्री एच. के. व्यास
श्री रामलाल बन्सीवाल
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री मनफूलसिंह
श्री मानसिंह महार
श्रीमती यशोदा देवी
श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल।

२३ मेम्बर सिलेक्ट कमेटी के होंगे। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नेक्स्ट सेशन के पहले-पहले हाउस में पेश कर दी जायगी।

श्री जवानसिंह—Who would be the Chairman of this Committee ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Deputy law Minister.

श्री सभापति—एक प्रोसीजर की बात और रह गई है जो कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि क्या हाउस की अनुमति है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय ?

श्री श्रीदास गोयल—रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा १२५ (२) में यह प्रेस्क्राइब किया गया है "The other members of the Committee shall be appointed by the Assembly when the motion that the Bill be referred is made, or in the case of a motion made by way of amendment under rule 124 on that day or at any subsequent sitting :"

तो जैसा कि श्री खेतसिंहजी ने इस सिलसिले में ऐतराज किया है वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से बहुत से बिल्स आ सकते हैं प्राइवेट मेम्बर्स के। यह रूलिंग बहुत निहायत जरूरी है कि मेम्बर इन्चार्ज हैं वे सिलेक्ट कमेटी में अपनी तरफ से जिसको खड़ा कर दें वह फाइनल हो या असेम्बली को अधिकार है कि वह सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स तय करे।

Page No.90

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, उनके प्रस्ताव पर मत ले लिए जाँय तो सारा मामला तय हो जाय।

श्री सभापति—जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा तजवीज की गई है, श्री कपिलदेव ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है वह स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

I think the Ayes have it.

कई माननीय सदस्य—Noes have it, Sir.

श्री सभापति—क्या डिवीजन की जरूरत है ?

कई माननीय सदस्य—Yes, Yes.

(विभाजन घण्टी के पश्चात् श्री कपिलदेव आदि द्वारा चेयर के पास विचारार्थ आने पर)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—On a point of order, Sir, is the House functioning ?

श्री सभापति—Pardon ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is the business of the House continuing.

श्री सभापति—We are deciding as to who will be the members of the Select Committee. The list that has been submitted by the mover of the Bill has not been approved by the House. They want to incorporate certain members.

श्री मोतीराम चौधरी—हाउस का मत है कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा ही न जाय।

श्री भैरूं सिंह—On a point of order, Sir, माननीय चेयरमेन इस विषय पर मत लेते समय उन मेम्बर्स को यह हिदायत दी जाय जिनके नाम सिलेक्ट कमेटी के अन्दर रखे गये हैं कि वे अपना अपना मत नहीं दे सकते हैं

श्री खेतसिंह—उन मेम्बर्स की जिनके कि नाम सिलेक्ट कमेटी में लिए गए हैं क्या उनकी स्वीकृति माननीय मेम्बर साहब ने प्राप्त कर ली है ? कई ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वीकृत नहीं दी है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अगर कोई चाहें तो वे विद्ड्रा कर लें। जिनको मैंने ठीक समझा है उनके नाम सजेस्ट किए हैं। उसमें ऐसी खींचतान क्या है? मैंने नाम पढ़ दिए हैं, जो नहीं चाहते हैं वे वापिस विड्रा कर लें और फिर नए सिरे से नाम वापिस ले लें।

श्री जवानसिंह—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री कपिलदेव ने प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव रखा था उसके विषय में दूसरे सदस्यों ने अपना मत सदन के सामने प्रकट कर दिया है। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव में यह सम्मिलित है कि प्रवर समिति के सदस्य निम्न प्रकार से होंगे। तो इस वक्त सदन के सामने एक ही प्रश्न रह जाता है कि यह जो बिल है वह प्रवर समिति को भेजा जाय और जिसके सदस्य निम्न प्रकार से होंगे। यही प्रश्न सदन के सामने रह जाता है और इस पर सदन की राय ले ली जाय और जैसी भी राय हो उसके अनुसार कार्यवाई की जाय।

श्री तनसिंह—चेयरमेन महोदय, इस प्रस्ताव के दो भाग हैं, एक तो यह है कि क्या इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय? दूसरी बात यह है कि इसके बारे में राय ली जाय की क्या यह नाम प्रवर समिति के लिए ठीक हैं? सदन की राय प्रवर समिति में भेजने की है या नहीं और अगर समिति में जाने के बारे यह होना चाहिए—इस प्रस्ताव को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्लॉज़ १२४ (१) की तहत मैंने यह मोशन मूव किया था कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय और चेयरमेन साहब की रूलिंग हुई कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। धारा १२५ की तहत यह बात है कि सिलेक्ट कमेटी को एसेम्बली नियुक्त करेगी। अब जो सदस्यों के नाम बताये गये हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है और कई ऐसे हैं जिनके नाम रह गये हैं। मैंने अपने जाने ज्यादा से ज़्यादा और हर क्षेत्र के लोगों को लेने की कोशिश की और यदि कोई रह गये हैं तो दो सदस्यों को लेने की गुंजायश और है और उनको लेने के लिए मैं तैयार हूं। दो सज्जन जिनको लेना आप ठीक समझते हैं उनको लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इसमें बहस की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी आना चाहिये और दूसरी तरफ सिलेक्ट कमेटी में डिविजन चाहते हैं। यदि आप कहें कि इन दो को और लेना चाहिए तो मैं लेने को तैयार हूं। श्री एच. के. व्यास ने कहा है कि मैं नहीं रहना चाहता।

एक माननीय सदस्य—उन्होंने नहीं रहने का कारण भी बताया है या नहीं?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो ज्यादा उत्सुक हैं उनके लिए स्थान खाली करने के लिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—To make room for more enthusiastic persons.

Page No.92

श्री चन्दनमल वैद—महरबानी करके मेरा नाम निकाल दीजिए।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें कहीं बाहर से आने-जाने का सवाल नहीं है। विधान सभा के इसी सेशन में मीट करना है, इसलिए भत्ते आदि का कोई सवाल नहीं है। (हियर-हियर) हम तो सेशन के बीच में ही मीट करके रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। जो लोग ज्यादा उत्सुक हैं वे बता दें कि उनका नाम रखा जावे तो मैं रख दूँ।

श्री श्रीदास गोयल—अभी माननीय मित्र ने कहा कि इस सेशन के अन्त तक सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, जब कि चेयर से कहा गया कि नेक्स्ट सेशन के शुरू होने से ७ दिन पहले रिपोर्ट पेश की जाय; यह क्या बात है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह आपकी समझ का फर्क है। हम मीट इस समय कर लेंगे और रिपोर्ट बाद में दे देंगे।

श्री सभापति—अब बहुत बहस हो चुकी है। मैंने डिविजन बेल इसलिए बजाई थी कि इस पर निर्णय किया जाय। अब मैं फिर कहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है और जो नाम पढ़ कर सुनाये हैं उनको सिलेक्ट कमेटी के लिए इजाजत दी जाय या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—Except my name.

श्री मोतीलाल चौधरी—On a point of order, Sir, सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या नहीं: पहले यह तय करें।

एक माननीय सदस्य—That has been decided by the Chair.

श्री सभापति—जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ और जहाँ तक मेरा रीडिंग है हाउस ने इजाजत दे दी है कि बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय; फिर भी वोट लिए जायेंगे। लेकिन मतभेद मेम्बर्स के नाम के बाबत है। यह साफ कर देना चाहिये कि आप किन-किन को लेना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह—यह तो आपका रीडिंग है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि लोग actually चाहते हैं या नहीं इस पर रीडिंग नहीं चलेगा, मत ले लीजिए।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—A ruling has already been given on this point, Sir.

Page No.93

श्री कानसिंह—चेयरमेन सर,......

श्री सभापति– Order ! order !!

पहले इस बात के लिए आप के मत लेना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं ? जो इस पक्ष में हैं वे 'हाँ' कहेंगे और जो विरुद्ध में है वे 'ना' कहेंगे।

(मतदान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य--Noes have it, Sir.

कुछ अन्य माननीय सदस्य—Ayes have it, Sir.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Sir, under Rule 124 is it mandatory that the motion must be made for reference to Select Committee, except that the Speaker may direct it to be considered in the House. So it is not subject to discussoin on the floor of the House at this stage, and it is not necessary to submit it to the vote of the House under Rule 124.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Therefore the motion for reference to Select Committee has been adopted. What are we voting about ?

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले भी प्रक्रिया के नियम १२४ (१) को पढ़कर अर्ज किया था कि मेम्बर इन्चार्ज सिलेक्ट कमेटी को देने का प्रस्ताव "must move" करें। किन्तु यह स्पीकर के पॉवर की बात है कि बिना सिलेक्ट कमेटी के भी हाउस में कन्सीडर करने की इजाजत दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन ने अपनी रूलिंग दे दी है।

श्री श्रीदास गोयल—तो जैसा कि पहले निवेदन किया था, सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने में मतभेद है। वास्तव में ऐसी स्थिति हो वहाँ १२४ (१) के अन्तर्गत चेयर ने निर्णय दिया था कि सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय। प्रश्न यह था कि अगर जैसा कि कपिलदेवजी ने कहा था इस बिल को प्राइवेट मेम्बर्स डे के दिन इसी सेशन के अन्त में लें लिया जाय तो सिलेक्ट कमेटी इस पर जल्दी ही कार्यवाही कर ले। इस सिलसिले में जैसा मुनासिब ख्याल हो तय कर लिया जावे।

दूसरा सवाल १२५ (२) के अन्तर्गत था, उसमें ४ और मेम्बर नियुक्त करने थे।

श्री खेतसिंह—चेयरमेन साहब, समय हो गया है १२ बजकर १० मिनिट हो गये हैं। अगले समय में इस पर विचार किया जाय।

Page No.94

श्री सभापति—अगले समय का सवाल नहीं है। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की जो लिस्ट पेश की गई है वह मन्जूर है या नहीं?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री चन्दनमलजी ने अपना नाम वापिस ले लिया है। उनके एवज में श्री लालसिंहजी शक्तावत का नाम ले लें। और श्री एच. के. व्यास.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am prepared to withdraw my name.

श्री सभापति—श्री भैरूँसिंहजी खेजड़ला ने अपना नाम विथड्रा करने के लिए लिख कर दिया है। इस तरह से तीन आदमी विथड्रा करते हैं जिनकी एवज के नाम बताना चाहिए।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I am quite prepared to adjust.

श्री कानसिंह—चेयरमेन सर, यह सवाल जिस तरह शुरू में पेश हुआ उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि सदन के सामने सवाल यह है कि सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करना चाहिये या नहीं? अगर चेयर चाहे तो सदन को क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडर करने का अधिकार है। लेकिन इस पर तो आपका रूलिंग हो चुका है। अब दो आदमियों ने विथड्रा कर लिया उनके स्थान पर दूसरे दो और लेने का सवाल सदन के सामने है। सदस्यों का यह विचार है कि वह इस बिल पर लागू न हो।

श्री सभापति—अब आप इस झगड़े में क्यों पड़ते हैं? जिन्होंने नाम विथड्रा कर लिया है उनके बजाय नाम दें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री चन्दनमल जी की जगह श्री लालसिंह जी शक्तावत चेयरमेन व श्री एच. के. व्यास की जगह श्री रामकिशोर व्यास।

श्री चेयरमेन—श्री भैरूँसिंह खेजड़ला की जगह और नाम प्रोपोज़ कर दीजिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री खेतसिंह और श्री श्रीदास गोयल का नाम और एड कर दीजिये, to avoid all further troubles.

श्री खेतसिंह—I do not want my name.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Now, it is a good Select Committee of 25 and if there is any possibility we can subtract, Sir.

श्री खेतसिंह—I withdraw my name. I do not want the inclusion of my name.

श्री श्रीदास गोयल—I have already withdrawn.

श्री सभापति—The names now are :—

1. Shri Lal Singh Saktawat.
2. Shri Mathura Das Mathur.
3. Shri Gulab Chand Kasliwal.
4. Shri Damodar Vyas.
5. Shri Triveni Shyam.
6. Shri Chowdhry Ram Chandra.
7. Shri Roshan Lal.
8. Shri Captain Sajjan Singh.
9. Shri Vedpal Tyagi.
10. Shri Mohabat Singh.
11. Shri Ram Kishore Vyas.
12. Shri Jwan Singh.
13. Shri Ram Lal Bansiwal.
14. Shri Shyam Lal Goel.
15. Shri Nathu Ram Mirdha.
16. Shri Kapil Deo Agrawal.
17. Shri Manphool Singh.
18. Shri Brij Sunder Sharma.
19. Shri Man Singh Mahar.
20. Shri Ram Dayal.
21. Shrimati Yashoda Devi.
22. Shrimati Kamla Beniwal
23. Shri Khet Singh and
24. Shri Shridas Goel.

श्री खेतसिंह—मैं अपना नाम विथड्रा करता हूँ और माननीय श्री जसवन्तसिंहजी का नाम पेश करता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं भी अपना नाम विथड्रा करता हूँ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं भी एक सुझाव पेश करता हूँ कि जो अपने नाम विथड्रा करें उनके स्थान पर और नये नहीं लिये जाँय।

श्री सभापति—यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जायगा। सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम पेश कर दिये गये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—On a point of order, Sir, under Rule 125 proviso, a Select Committee shall not, except with the leave of the Assembly, consist of

Page No.96

[श्री श्रीदास गोयल]

more than fifteen members and in no case of more than twenty-five. So the special leave of the House is very essential prior to it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—By voting in favour of the motion, the House has given the leave.

श्री श्रीदास गोयल—No.

कुछ माननीय सदस्य—No.

श्री सभापति—अच्छा तो हाउस की लीव ले ली जाती है, Is it the leave of the House.

(मतदान के पश्चात्)

The Ayes have it. The leave is granted a such. The Bill is referred to the Select Committee.

अब समय हो गया है इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही कल सुबह ८ बजे फिर प्रारम्भ होगी।

(सदन की बैठक, १२ बजकर १७ मिनट पर दिनाँक ६–८–५४ प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—५ अगस्त, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

1282. (415/C. M.) **Shri H. K. Vyas, M. L. A. (Div. N0. 160)**—Will the Minister for Industries be pleased to answer:—

(a) What have been the financial results of the Ganganagar Sugar Factory from the date it was taken over till 30-6-54 ?

(b) Has the balance sheet of the Company for the year ending 31st March, 54 been prepared ? If so, what is the position of profit and loss disclosed therein ?

(c) Has the balance sheet been audited ?

(d) Has a trial balance sheet for the three months ending 30-6-54 been prepared ? If so what is the profit and loss position disclosed ?

(e) What is the total amount so far paid by the State Government to the former managing agents in respect of lease money interest or any such account ?

उत्तर

1. The actual financial result of the Ganganagar Sugar Factory will be worked out on the 30th September, 1954 when the financial year of the factory will close.

2. Tentative figures of profit and loss for the year ending 31st of March 1954 were worked out for Departmental use only. The actual figures of profit and Loss will be wotked out on 30-9-54.

3. As already stated above the final Balance Sheet will beprepared in the end of September and will be sent to auditors for scrutiny.

5. No payment has so for been made to the Managing Agents,

Page No.98

प्रश्न

१२६६. (३०६/एफ. एम.) श्री बिशनसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर २२— क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक जोधपुर पॉवर हाउस के कौन-कौन से कन्ज्यूमर्स के कितने-कितने रुपये जो कि ५००) रुपयों से अधिक बकाया हैं अभी तक वसूल नहीं हुए ?

(ख) प्रश्न संख्या १२७ तारीख १७-२-५३ के उत्तर में जो कन्ज्यूमर्स की बकाया ३,६३,५४१-८-० रुपये बतलाई गई, उसमें से कितने रुपए किन किन कन्ज्यूमर्स के वसूल हुए।

(ग) जिन कन्ज्यूमर्स को रेड स्लिप भेज दी गई थी क्या उनके बकाया रुपये वसूल करके उनकी बिजली अब भी चालू है ?

(घ) जिन कन्ज्यूमरों के बकाया के लिए कलेक्टर को पूछा गया उनका क्या हुआ ?

(ङ) जिन कन्ज्यूमरों को डाईरेक्टर, इन्डस्ट्रीज़ और कॉमर्स के सिफारिश पर किश्तों पर रखा गया उनकी बकाया कितने कितने रुपयों की कितनी कितनी किश्तों में वसूल हुई ? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं ?

उत्तर

सूचना एकत्रित की जा रही है, बहुत पुरानी बकाया से प्रश्न का सम्बन्ध है।

प्रश्न

१३०२. (२६६/आर. एम.) श्री कपिलदेव एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ७:— क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को पशु-उन्नति के लिए कुछ रुपया दिया गया है ? यदि हाँ, तो वह कितना ?

(ख) वह किन-किन मदों में किस प्रतिशत से खर्च किया गया ?

उत्तर

(१)	१. डिज़ीज़ (वेटेरीनरी) इन्वेस्टीगेशन स्कीम	२६,२३४ रु०
	[४ वर्ष ५ महीने के लिए खर्च ५० प्र०]	
	२. केन्द्रीय ग्राम योजना [की विलेज स्कीम]	७१,६६० रु०

Page No.99

[१९५४-५५] ५० प्र०

१. गोशालाओं में नर बछड़ों के पालने के लिए सहायता आदि। दो वर्ष के लिए ५० प्र० — १२,००० रु०

४. गोशाला विकास योजना (तीन वर्ष) — ५,००० रु० प्रति वर्ष

५. गोसंवर्धन दिवस समारोह मनाने के लिए [हर वर्ष ५० प्रतिशत] — १,००० रु०

(२) इनमें योजना नं० ५ का पूरा खर्चा हो चुका है।

योजना नं० १ पर जितना खर्च किया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	स्वीकृति	खर्च
१९५१-५२	७,४५०	६,५४७ रु० ५ आ०
१९५२-५३	१५,५५०	१०,६४३ रु०
१९५३-५४	१७,४२३	१४,२६६ रु० ० आ० ६ पा०
१९५४-५५	१६,०१५	खर्च के आँकड़े बाद में उपलब्ध होंगे।

योजना नं० ३ की स्वीकृति आ चुकी है और इस पर कार्य शुरू हो गया है।

योजना नं० २ और ४ का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति आने पर शुरू कर दिया जायगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १२६४ का उत्तर देखिए)

APPENDIX 'A'

List of Road Works of Chittor District Provided in the Five Year Plan.

S. NO.	Name of road.	Mileage.	Estimated Cost.	Actual expenditure upto 52-53	Approx: expenditure during 53-54.	Proposed provision for 1954-55.	1955-56.	After 55-56.
1.	Approach road form Gangrar village to Railway station.	1	28,900	—	16.423	12,477	...	—
2.	Approach road from Begun to Katonda.	4	48,200	—	10,468	37,735	...	...
3.	Approach road from Matsara Alod to Chechat.	5	1,00,000	...	...	40,000	60,000	...
4.	F. W. Road from Matsara to Kuakhera	25	1,00,000	...	...	40,000	60,000	...
5.	Approach road from Chittor to Manpnr	1	24,000	...	16,372	7,628	—	...
6.	Metalling unmetalled portion of road from Chittor to Udaipur.	24	4,32,000	—	77,097	2,50,000	1,04.903	—
7.	Metalling unmetalled portion of road Nasirabed to Nimbahera. —	45	8,10,000	—	50,907	2,00 000	2,00,000	3,59,093
8.	Metalling bad portion of road from Bundi to Chittor.	25	4,50,000	...	40,024	2,00,000	2,09,976	—

APPENDIX 'A'

S. NO.	Name of road.	Mileage.	Estimated cost.	Actual expenditure upto 52-53.	Approx: expenditure during 53-54.	Proposed provision for 1954-55.	1955-56	After 55-56.
9.	Metalling portion of singholi to Bhichore road.	5	1,00,06I	—	61,561	38,500	...	...
10.	Mengalwara Nimbahera gravelled road	G. 25	1.00.000	—	—	1,00,000	...	...
11.	Chittor Kapasin road.	M. 10	2,40,000	...	61	1,00,000	1,00,000	39,939
12.	Construction of Pratapgarh Arnaud Piploda gravelled road.	G. 35	1,50,000	...	41,474	1,08,526	...	—
13.	Metalled road from Chhoti Sadri to Bari Sadri.	M. 14	3.50,000	...	21,563	1,28,500	1,30,000	69,937
	TOTAL—		2933161		335947	1263366	864879	468969

APPENDLX—'B.'

S.NO.	Name of words	estimated Amount.	Expenditure during 53-54
1.	A. & A. to Secretariat Building at Chittore.	20,000	7,192
2.	A. & A. to strong room for Tehsil Treasury at Kanera.	1,000	950
3.	A. & A to strong room for Dundla Try.	1,000	592
4.	—do— Kapasin —do—	1,000	948
5.	A. & A to office of the police Dy. Supdt. Chittor.	5,000	5,057
6.	Comstn. to lock up at Begun.	20,000	36
7.	A. & A. to —do— Sadri.	6,000	5,477
8.	—do— —do—Chitthorgarh	3,000	3,077
9.	Constn. of B. Class Bungalows at Chiitor.		5.027
			28,356

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १३०६ देखिये)

फहरिश्त दरख्वास्त सब डिविजन किशनगढ़ (राजस्थान)

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तान्त ५३-५३ के	कमी के कारण वेचना	कमी के कारण चोरी	मोजूदा वृक्षों की संख्या	विशेष विवरण
१	हनुमान सागर	४७०	—	७	४६३	
२	वाला सागर	५६	—	—	५६	
३	मदन सागर	५६४	—	१२	५८२	
४	कारोल ई	२४०	—	१०	२३०	
५	झोल	१७२	—	१६	१५६	
६	खीर सागर	५४५	—	३१	५१४	
७	काली पाल	४५३	—	१४	४३९	
८	वीर सागर	२१०	—	७	२०३	
९	फते सागर	६६	—	७	५९	
१०	रूप सागर	२६	—	८	१८	
११	राम सरोवर नुवा	२६२	२	६४	१९६	
१२	मोती सागर	८	—	—	८	
१३	किशन सागर	१०	—	—	१०	
१४	गोपाल सागर	२०	—	—	२०	
१५	हमीर सागर	११४	—	—	११४	
१६	सातो लाव	१९	—	—	१९	

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तान्त ५३-५३ के	कमी के कारण वेचना	चोरी	मोजूदा वृत्तों की संख्या	विशेष विवरण
१७	जल धमन	९७	१	–	९६	
१८	रणसमद	११६	९	–	१०७	
१९	गुदो लावं	११७	१३	=	१६४	
२०	सुमेर सागर	५६	१	९	४६	
२१	मोती सागर	९६	७	४	८५	
२२	बडको का नाडा	१८	४	–	१४	
२३	राम सागर	२२१	२	–	२१९	
२४	खेडावाला तालाब	२२	१	–	२१	
२५	खेडा मठिया	६	–	१	५	
२६	रघुनाथ सागर	३३	–	१	३२	
२७	उम्मेद सागर	१४	–	–	१४	
२८	धोबी धारा	१४	–	–	१४	
२९	राम सरोवर	६९	–	–	६९	
३०	नोरोया	४६	–	–	४६	
३१	खातोलाई	८०	–	–	८०	
३२	शो सागर	५६	–	–	५६	
३३	हीलो लाव	३२	–	६	२६	
३४	विगो लाव	२७	–	–	२७	
३५	जय सागर	१४५	–	–	१४५	
३६	मदन सागर	६७	–	–	६७	

Page No.105

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तान्त ५३-५४ के	कमी के कारण		मोजूदा वृक्षों की संख्या	विशेष विवरण
			बेचना	चोरी		
३७	करण सागर	४६	–	–	४६	
३८	परवत सागर	१२५	–	–	१२५	
३६	लाग्वा	१०४	–	–	१०४	
४०	जगली सागर	५८	–	२	५६	
४१	राम सरोवर	२६४	–	१	२६३	
४२	वाला सागर	२०१	–	१	२००	
४३	सुख सागर	४४०	५	–	४३५	
४४	कोड!	६६३	३०	१०	६२३	
४५	सुर खेली	८६	–	–	८६	
४६	गुलाब सागर	६०	–	–	६०	
४७	जुवार सागर	४३०	१	–	४२६	
४८	दुदो लाव	१११	४	–	१०७	
४६	दोपी पली	४५४	१	५	४४६	
५०	भवानी सागर	३६	८	–	२८	
५१	गनेश साग	६२	–	–	६२	
५२	नया तालाब	३३६	–	–	३३६	
५३	नया सागर	७२	–	–	७२	
५४	हिम्मत सागर	१०३	–	–	१०३	
५५	अलख सागर	६३	१	–	६२	
५६	हनुमान सागर	२६	–	–	२६	

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तान्त ५३-५४ के	कमी के कारण बेचना	चोरी	मोजूदा वृक्षों की संख्या	विशेष विवरण
५७	विजै सागर	१३८	–	–	१३८	
५८	भुयो लाव	१०७	४	–	१०३	
५६	मदन सागर	३२	–	–	३२	
६०	कैरिया	३५	–	–	३५	
६१	वन जारी नाडी	७३	५	–	६८	
६२	विजे सागर	१६३	५	–	१८८	
६३	तुरत सागर	१५	१	–	१४	
६४	किशन सागर	८२१	३	–	८१८	
६५	रोडो लाव	३४	–	–	३४	
६६	गीता लाव	५२	८	–	४४	
६७	आना सागर	३५	–	–	३५	
६८	काला तालाब	३	–	–	३	
६६	धन्ना सागर	५०	२	–	४८	
७०	हनुमान सागर	२५	–	–	२५	
७१	डन्ड बन्द	३००	–	–	३००	
७२	कवानिया	४०	–	–	४०	
७३	मकीया सागर सरवाड	४३	–	–	४३	
७४	खारिया गोविंद सागर	४६	–	१४	३२	
७५	भगवत्याजड जोहल	८२	–	४०	४२	
७६	सिकन्दर सागर	१७	–	–	१७	

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तन्त ५३-५४ के	कमी के कारण बेचना	कमी के कारण चोरी	मोजूदा वृक्षों की संख्या	विशेष विवरण
७७	भोलागन सागर	७८	–	४९	२९	
७८	मदन सरोवर धानसा	१९०	–	११९	७१	
७९	विजै सागर फतेगढ़	३४०	–	६२	२७८	
८०	आनासागर	१९४	–	४५	१४९	
८१	बालासागर बालापुरा	१२७	–	–	१२७	
८२	सुरज सागर जतीपुरा	१२८	–	१०	११८	
८३	संग्राम सागर सरसुदा	१२	–	–	१२	
८४	ताजसरोवर अरना	४२०	–	८४	३३६	
८५	आमोलाव. भेलागरु सागर	१०७०	–	३०	१०४०	
८६	भेला मदनपुरा	–	–	–	–	
८७	नया सागर लिलाई	१६५	–	–	२१३	
८८	राज सागर हींगोलिया	३९	–	९	३०	
८९	वाला सागर विलावटा	१५२	–	८२	५७०	
९०	गरडीवाला हींगतड़ा	२०	–	३	१७	
९१	आमोलाव हींगोनिया	१४५	–	९	१३६	
९२	कालातालाब सोहनपुरा	१७१	–	३	१६८	
९३	मोती सागर सायला	७००	–	५०	६५०	
९४	वाकया स गर सायला	१९३	–	४	१८९	
९५	भेला सागर सायला	१९	–	५	१४	
९६	कयरपदा बिडला	१४२	–	–	१४२	

नं० शुमार	नाम बन्ध	प्रारम्भिक वृत्तान्त ५३-५४ के	कमी के कारण बेचना	कमी के कारण चोरी	मोजूदा वृक्षों की संख्या	विशेष विवरण
९७	आगरया बिडला	७०	–	–	७०	
९८	भरताजी वाला बिडला	५६	–	–	५६	
९९	नयातालाब बिडला	२०२	–	–	२०२	
१००	सुलापुरी फतेगढ़	६५	–	–	६५	
१०१	गनेश सागर	८६	–	–	८६	
१०२	भवानी सागर	८१	–	–	८१	
१०३	काला तालाब सातोलाव	१२१	–	७	११४	
१०४	नया तालाब सोतोलाव	९४	–	–	९४	
१०५	अमरती नाडी	१६	–	–	१६	
१०६	नया सागर बोराडा	१६०	–	–	१६०	
१०७	राम सागर बोराडा	१७५	८	७	१६०	
	मिजान	१६७७५	१२६	८७१	१५७७८	